सत्र-**04** **07** जनवरी, **2026**

खण्ड- **08** ............ बुधवार, ............

अंक- **20** **17** पौष,**1947**(शक्)

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

**(**खण्ड-**08** सत्र-**04** में अंक **18** से **22** तक सम्मिलित हैं।**)**

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-**54**

सम्पादक वर्ग

**EDITORIAL BOARD**

रंजीत सिंह

सचिव

**RANJEET SINGH**

**Secretary**

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

**MAHENDRA GUPTA**

**Deputy Secretary (Editing)**

# विषय सूची

**सत्र-4 बुधवार, 07 जनवरी, 2026/17 पौष,1947(शक्)अंक-20**

## दिल्ली विधान सभा


| क्र.सं. | विषय | पृ'ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची | 4-5 |
| 2. | गुरूओं के संबंध में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के मुददे पर सदन में अव्यवस्था | 6-20 |
| 3. | तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | 21-48 |
| 4. | अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | 49-149 |


नोट - सभी तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के विभागों द्वारा भेजे गए विस्तृत उत्तर नेवा के वेबसाइट **https://dla.neva.gov.in/** के **Question Module** पर उपलब्ध।

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## सत्र-4 बुधवार, 07 जनवरी, 2026/17 पौष,1947(शक्)अंक-20

## निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 07.01.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | क्र.सं. | सदस्य का नाम |
|---|---|---|---|
| 1- | श्री अहिर दीपक चौधरी | 33- | श्री ओम प्रकाश शर्मा |
| 2- | श्री आले मोहम्मद इकबाल | 34- | श्री पंकज कुमार सिंह |
| 3- | श्री अभय कुमार वर्मा | 35- | श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत |
| 4- | डॉ अजय दत्त | 36- | श्री प्रवेश साहिब सिंह |
| 5- | श्री अजय कुमार महावर | 37- | श्री पवन शर्मा |
| 6- | श्री अमानतुल्लाह खान | 38- | श्रीमती पूनम शर्मा |
| 7- | श्री अनिल कुमार शर्मा | 39- | श्री प्रवेश रत्न |
| 8- | श्री अरविन्दर सिंह लवली | 40- | श्री प्रेम चौहान |
| 9- | श्री आशीष सूद | 41- | श्री पुनरदीप सिंह साहनी |
| 10- | श्री अशोक गोयल | 42- | श्री राज करन खत्री |
| 11- | श्री चन्दन कुमार चौधरी | 43- | श्री राज कुमार भाटिया |
| 12- | चौधरी जुबैर अहमद | 44- | श्री राज कुमार चौहान |
| 13- | डॉ. अनिल गोयल | 45- | श्री रवि कान्त |
| 14- | श्री गजेन्द्र दराल | 46- | श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह |
| 15- | श्री गजेन्द्र सिंह यादव | 47- | श्री रविन्दर सिंह नेगी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16- | श्री गोपाल राय | 48- | श्रीमती रेखा गुप्ता |
| 17- | श्री हरीशे खुराना | 49- | श्री सही राम |
| 18- | श्री इमरान हुसैन | 50- | श्री संदीप सहरावत |
| 19- | श्री जितेन्द्र महाजन | 51- | श्री संजय गोयल |
| 20- | श्री कैलाश गहलोत | 52- | श्री सतीश उपाध्याय |
| 21- | श्री कैलाश गंगवाल | 53- | श्री श्याम शर्मा |
| 22- | श्री कपिल मिश्रा | 54- | श्री सुरेन्द्र कुमार |
| 23- | श्री करनैल सिंह | 55- | श्री सूर्य प्रकाश खत्री |
| 24- | श्री करतार सिंह तंवर | 56- | श्री तरविन्दर सिंह मारवाह |
| 25- | श्री कुलदीप सोलंकी | 57- | श्री तिलक राम गुप्ता |
| 26- | श्री कुलवन्त राणा | 58- | श्री उमंग बजाज |
| 27- | श्री मनजिंदर सिंह सिरसा | 59- | श्री वीर सिंह धिंगान |
| 28- | श्री मनोज कुमार शौकीन | 60 | श्री विजेन्द्र गुप्ता |
| 29- | श्री मोहन सिंह बिष्ट | 61 | श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान |
| 30- | श्री मुकेश कुमार अहलावत | | |
| 31- | श्रीमती नीलम पहलवान | | |
| 32- | श्री नीरज बैसोया | | |

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

बुधवार, **07** जनवरी **2026/17**पौष, **1947**(शक)

सदन पूर्वाह्न **11.03** बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: शुरू करिये आप अपनी बात जो कह रहे हैं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, एक मिनट में खत्म करिये जो भी कहना चाहते हैं आप।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, कल हाउस में जब से हाउस बना है किसी भी गुरूओं का सम्मान पर ऐसी बात जो विपक्ष ने की है उसके लिए मेरी विपक्ष की लीडर नहीं हैं उसके लिए जब तक ये माफी नहीं मांगेगी, जब तक हाउस में और आप उनको जरूर यहां पर बुलाओ आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा मकसद है पूरे हमारे सिख समाज का है गुरूओं का है, चाहे कोई भी गुरु हो अगर उसका अपमान होता है और हाउस में विपक्ष का लीडर और सबसे बडी बात आज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं आपका कहना है तेग बहादुर जी की जो शहादत का 350वां उत्सव हुआ था उस पर जो बातचीत हुई थी उस पर कुछ विषय पर आप कह रहे हैं ना।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह : हां जी मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी के ही विषय पर ही जा रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी का विषय समाप्त हो गया था आपने ये भी कह दिया था कि जो प्रदूषण पर है वो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, सुबह ही आपने कह दिया था, लेकिन बडे शर्म की बात है विपक्ष के लीडर एक तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो चर्चा पर विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया आतिशी ने हिस्सा नहीं लिया विपक्ष की लीडर ने, ये बडे शर्म की बात है कि इतने बडे महान महापुरूष की जब चर्चा हो रही है विपक्ष के लीडर ने दो शब्द नहीं कहे गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बारे में और उसके बाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: देखिये मामला गंभीर है इसको जो है इसके वर्बेटिम को चैक किया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी वो आयेंगे तो।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय श्रम मंत्री : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं आपके ध्यान में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इसमें एक देखिये गुरु महाराज जी के सम्मान में कोई किसी प्रकार की।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय श्रम मंत्री : अध्यक्ष जी मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं सदन में विशेष चर्चा चल रही थी विशेष चर्चा गुरूओं के सम्मान की चल रही थी गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान की चल रही थी और उस वक्त जो भद्दी भाषा बोली गयी है ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है कि मैं उस भाषा को यहां पर बोलूं। मैं यह भाषा बोलूं, मैं अगर ये बोलूं भी, मैं अगर ये बात बोलूं भी।

....व्यवधान....

श्री कपिल मिश्रा, माननीय श्रम मंत्री : आतिशी मार्लिना ने जो किया वो शर्मनाक है। माफी के योग्य नहीं है, शर्मनाक है, इतनी ज्यादा बेअदबी की गई है, मर्यादा तोडी गयी है सदन की, गुरूओं का अपमान किया गया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्य वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अरे गुरूओं के बारे में अपशब्द जो कहे गये हैं उस पर ये वर्बेटिम आ गया, वर्बेटिम आ गया ये, ये बहुत ही खेद का विषय है।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: देखिये माननीय सदस्यगण मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये सर्वथा निंदनीय जो इस सदन में विपक्ष के नेता ने बोला, लेकिन मैं आप सब से कहूंगा कि आप शांति बनाये रखें और इस विषय पर मैंने कल कहा था कि मैं वर्बेटिम का अध्ययन करूंगा और उस वर्बेटिम के आधार पर आपत्तिजनक शब्द बोले गये हैं, जब गुरु महाराज जी के सम्मान पर चर्चा हो रही थी तो उनके सम्मान में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है जो सर्वथा निंदनीय है, मेरा यह कहना है कि सभी सदस्य इस बारे में।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः इस पूरे मामले में।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मैं आपकी, मैं जिन... देखिये आप एक बार अपना स्थान ले लें, स्थान ले लें, मामला गंभीर है इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं, विपक्ष को इसके लिए मांफी मांगनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग निंदनीय है।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः बैठिये।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अपना स्थान ले लें।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हाथों में पेम्फलेट लेकर वैल में आ गये।)

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अपना स्थान ले लें। इस संवेदनशील मामले पर विपक्ष से मेरा कहना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। इससे आप स्थान लें अपना। रविन्द्र जी आप अपने स्थान पर जाईये।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षःसिरसा जी मेरा अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण करें, मनोज शौकीन जी अपना स्थान ग्रहण करें, सब लोग अभय जी सबको कहिये मनोज शौकीन जी स्थान ग्रहण करिये।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: पवन जी माननीय सदस्य पवन शर्मा जी आप अनिल जी, श्याम शर्मा जी माननीय सदस्य अशोक गोयल जी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य गजेन्द्र यादव जी, माननीय सदस्य सतीश उपाध्याय जी, माननीय सदस्य हरीश खुराना जी, सब अपना स्थान ग्रहण करिये।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा ये कहना है कि नेता विपक्ष सदन में आयें और स्पष्टीकरण दें। जो शब्द इस्तेमाल किये गये उससे निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं इस बात से एग्री करता हूं क्योंकि जो वर्बटिम में आया है, जो उनके वर्बटिम में आया है वो आपतिजनक है मैं नेता विपक्ष से अनुरोध करूंगा वो सदन में आ जायें और अपना स्थान ले लें।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष: जो गुरूओं के सम्मान में,महाराज साहब के सम्मान में जो अपशब्द का प्रयोग हुआ है वो इन्होंने जो गुरूओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी उसके बाद जो नेता विपक्ष ने शब्दों का प्रयोग किया वो सर्वथा निंदनीय है उसको स्वीकार्यता नहीं मिल सकती किसी भी रूप में इसीलिये वो सदन में आयें और सदन से बाहर रह कर स्थिति को और विकट न होने दें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : अध्यक्ष जी, जब गुरू जी के सम्मान की बात हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे थे। गुरू जी के सम्मान की बात पर गुरूओं के सम्मान की बात पर नेता प्रतिपक्ष क्या कह रही थीं इसको स्पष्ट करवाईये। अध्यक्ष जी, जब गुरूओं के सम्मान की बात हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रही थी।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष: मेरा ये कहना है आपसे मेरा अनुरोध है आप अपना स्थान ले लें मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने जो बोला है वो

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:एक बार सदन में विपक्ष के नेता को आना चाहिये। नेता विपक्ष सुश्री आतिशी जी सदन में आयें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जो शब्द यहां बोले गये हैं मैं उसकी कडे शब्दों में निंदा करता हूं, जितनी निंदा की जाये उतनी कम है। वो सदन में आयें आतिशी जी और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:वो आपसे चर्चा करके बतायेंगे, बिल्कुल। मेरा कहना ये है एक बार आप अपना स्थान ले लो, सिरसा जी से मैं कहूंगा वो अपनी बात रखेंगे लवली जी अपनी बात रखेंगे, लवली जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखिये, इस विषय में आप बोलिये यहां एक बार सब लोग स्थान ले लें और स्थान लेने के बाद इस पर जिसको जो कहना है अपनी बात कहिये।

...व्यवधान..

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी बहुत चिंता का विषय है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा अनुरोध है, लवली जी, आप अपना स्थान लें एक बार सब लोग अपना स्थान ले लें एक बार विषय सामने आ जाये। मेरा कहना है एक बार स्थान ले लो।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं एक बार स्थान ले लें और नेता विपक्ष सदन में आ जायें मैं सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिये स्थगित कर रहा हूं और मेरा अनुरोध है नेता विपक्ष सदन में आ के अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

(सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गयी)

11:16 से 11:25 तक सदन स्थगित

11:25 पर सदन पुनः समवेत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता पीठासीन हुए)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो एक संवेदनशील गम्भीर मुद्दा यहां उठाया गया है। कल मैने सदन को आश्वस्त किया था कि जो भी नेता विपक्ष ने बोला है गुरु महाराज जी के 350 वें शहादत वर्ष के अवसर जो यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। गुरूओं का सम्मान किया जा रहा था। गुरु महाराज का सम्मान एक मिनट, एक मिनट मैं आपको मौका दूंगा। उसके बाद एक रूलिंग चेयर से हुई थी कि पहले विषय को समझा जायेगा, उसके बाद इस पर कोई बात की जायेगी। उसके बाद verbatim को देखा गया और वो लिखित verbatim मेरे पास है। लेकिन मैं आपकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूं। जो सत्तारूढ दल में विशेष रूप ....व्यवधान.... एक मिनट, एक मिनट बैठिये, सब लोग बैठिये। आप भी बैठिये। सब बैठेंगे। सब बैठेंगे। आप भी बैठेंगे। आप भी बैठिये। वो जो बात यहां कही गई थी रूलिंग पार्टी के सदस्यों द्वारा वो पूरी तरह मैं उससे सहमत हूं verbatim वो आ गया है। गुरूओं के सम्मान को ले करके जो शब्दों का प्रयोग हुआ वो ठीक नहीं था उस समय। अब वो किस उस समय उन्होंने वेग में ये सब बातें बोली हैं। ....व्यवधान.... एक मैं लवली जी को मौका दे रहा हूं। एक एक करके देखिये आप अपनी बात शुरू। फिर आप इनके बाद बोल लीजिएगा। मैं समझना चाहता हूं।....व्यवधान.... एक मिनट तरविन्दर मारवाह जी का माइक खोलें। एक मिनट शुरू लवली जी करेंगे। मैने पहले उनको इजाजत दी है। आप रूकिये। आप बोलेंगे। लवली जी बोलेंगे। मैं आपको बुलवाता हूं अभी। मैं बुलवाता हूं। शुरू करिये। शुरू करिये जी।

श्री अरविंदर सिंह लवली: अध्यक्ष जी देखिये बहुत स्पष्ट है और जिस तरीके का असंवेदनशील रवैया नेता विपक्ष का और इनके दल का रहा है वो साफ तौर पर ये जो है जाहिर करता है कि जिस तरीके की uncomfortableness गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में बात करने की सामने की पार्टी को रही थी और उसके बाद उसमें uncomfortable रहे। इतना महत्वपूर्ण शहादत के ऊपर discussion हुआ Leader of Opposition ने एक शब्द नहीं बोला और जैसे ही discussion का जो है समअप हुआ और जिस तरीके का reaction Leader of Opposition ने दिया गुरु साहब के अपमान का जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गुरूओं के बारे में बात करते हो इधर के बारे में

बात करते हो, पूरी मेरे पास तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही उन शब्दों को दोहराने की जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है इस सदन में किया हो। अध्यक्ष जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, जिसको बर्दास्त नहीं किया जा सकता और मैं ये समझता हूं कि खाली माफी से भी इस सदन में काम चलने वाला नहीं है। वो गुरु तेग बहादुर जी जिनकी शहादत के लिए पूरे देशभर में बात हो रही है। उनका अपमान करना और निश्चित रूप से इनकी मानसिकता दर्शाता है कि क्या इनका जो है हिन्दुस्तान में शहादत देने वालों के प्रति जो है वो रवैया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : जो लोग भी पूछ रहे हैं। बैठिये एक मिनट मुझे मौका दीजिए। मारवाह जी दो मिनट। अध्यक्ष जी, दे रहे है, ठीक बात है। अध्यक्ष जी मैं ये कहता हूं। आज इनका, भैया चुप तो करो एक मिनट। ऐसा है अध्यक्ष जी जब गुरूओं के सम्मान की यहां पर बात की जा रही है। जब गुरूओं के सम्मान के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान पर चर्चा हो रही थी। मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं आप वो वीडियो सुनिये। हम आपको अभी आपके फोन में भेजते हैं आप सुनकर इतने शर्मसार हो जायेंगे। आपके पास जवाब नहीं मैं बोल नहीं पा रहा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : मैं कोई राजनीति, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है पहली बात समझ लीजिए।

...व्यवधान.....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : अरे सुनिए ना भई, आप सुनिए तो सही,देखिए ये हाल है, ये सुनना ही नहीं चाहते।

...व्यवधान.....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : विषय ये है अध्यक्ष जी जब गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी, सुनिए आप भी बता दीजिएगा, मैं अभी आपको विडियो भेजता हूं आपके फोन के ऊपर। अध्यक्ष जी जो वो विडियोग्राफी है बस वर्बैटम आ गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: वर्बैटम है मेरे पास।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : क्या वर्बैटम पढ़कर सुना सकते हैं यहां पे, क्या आपकी हिम्मत पड़ेगी वर्बेटम पढ़ने की, जो उसमें अपशब्द बोले गए है गुरुओं के संबंध में जो बात हो रही थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः देखिए बड़े दुख की बात है कि मैं वर्बेटम को पढ़ भी नहीं पा रहा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : माननीय मुख्यमंत्री जी जब गुरुओं के सम्मान में बात हो रही है, मैं विपक्ष को कहता हूं ये पढ़ के सुना दे वर्बेटम इनमें हिम्मत है ये पढ़ के सुनाने की।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः विपक्ष बार-बार ये कह रहा है कि क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : वर्बैटम दे दो इनको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आपको मालूम है क्या कहा है, मेरे पास वर्बटम की लाइन है।

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः और कल माननीय सदस्य गोपाल राय जी ने स्पष्ट भी किया था।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : गोपाल राय जी ने बाकायदा पढ़-पढ़ के बताया कि क्या बोला था।

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आप चर्चा कराइए भाग ले रहे हैं सब। कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गरु का सम्मान करो, अध्यक्ष महोदय आप चर्चा कराइए, ये क्या शब्द है। क्या शब्द है ये।

...व्यवधान.....

(सत्ता पक्ष के सदस्य हाथों में लिखे हुए बोर्ड थे और नारे लगाते हुए वैल में आ गए)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अरे अपनी सीट पर चलें जाएं सब। बैठ जाइये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : इनकी जो बात हो रही है, यह गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं कर सकते तो गुरुओं का अपमान करने का इनको अधिकार नहीं है। आप सजा तय कीजिए, आप सजा तय कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सुश्री आतिशी जी नेता विपक्ष सदन में आएं और अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण मंत्री : गुरुतेग बहादुर का अपमान करें और हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। आप देखिए गुरुओं के सम्मान में बात हो रही थी यहां पे और गुरु के अपमान में क्या बोले हैं और अभी तक भाग गए हैं यहां से उनके एमएलए अभी भी हंस रहे हैं यहां पे, ये गुरू का.. इसके ऊपर कोई माफी नहीं हो सकती। ये वर्बटम को कोई पढ़ भी नहीं सकता।

....व्यवधान.....

(सत्ता पक्ष के सदस्य हाथों में लिखे हुए बोर्ड और नारे लगाते हुए वैल में उपस्थित रहे)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण कृपया अपनी सीट पर जाएं। आतिशी जी जहां भी हैं वो अब सदन में आने की कोशिश करें तुरंत। मेरा माननीय सदस्यों से कहना है कि इस विषय पर विपक्ष की नेता को एक घंटे के अंदर-अंदर, वो सदन में आएं और सभी सदस्यों से कहना है कि उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और फिर उसका फैसला लिया जाएगा। यहां सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने दें, एक घंटे में। एक बार उनसे स्पष्टीकरण लेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा अनुरोध है सब लोग आसन से दूर रहें, आसन से दूर रहें। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ले लें एक घंटे के अंदर नेता विपक्ष सदन में आएं और अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य अपना स्थान ले लें, सभी सदस्य अपना स्थान ले लें, एक घंटे में नेता विपक्ष को कॉल किया जा रहा है, आतिशी जी सदन में आएं अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

...व्यवधान.....

(अभी भी सत्ता पक्ष के सदस्य हाथों में लिखे हुए बोर्ड थे और नारे लगाते हुए वैल में ही हैं)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(11.36 पर कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

सदन अपराह्न **12.12** बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जी, हां, बताइये क्या कह रहे थे आप। अब आप बैठ जाइये हो गई बात।

**.....** व्यवधान.....

**(**सत्ता पक्ष के सदस्य वैल में अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आ गये और बैनर दिखाए तथा नारेबाजी करने लगे।)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः नेता- विपक्ष जो है वो सदन में क्यों नहीं आ रहीं जरा बतायेंगे गोपाल राय जी आप क्या कारण है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनका आपके साथ?

श्री गोपाल रायः यहां आई नहीं है वो....

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः विपक्ष के सदस्यों से मैं कहूंगा कि क्या कोई जानकारी है**?**

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः ये बहुत ही दुख की बात है कि दो गंभीर मामले पर विपक्ष की नेता की तरफ से कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन अभी तक चेयर के साथ नहीं हुआ है, ना वो सदन में उपस्थित हुई हैं। इस बारे में मैं, आप बतायेंगे मुकेश जी क्या?

....व्यवधान.....

श्री मुकेश कुमार अहलावतः दिल्ली में नहीं, किसी कारण से बाहर हैं दिल्ली से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः ये तो बहुत ही और भी गंभीर बात है, चलते सदन में नेता-विपक्ष दिल्ली में ही नहीं हैं।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः वो कैसे ट्रैवल किया उन्होंने बाई एयर, बाई एयर ट्रैवल कर रही हैं?

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः नहीं, बाई एयर ट्रैवल कर रही हैं, क्या कर रही हैं?

श्री मुकेश कुमार अहलावतः दिल्ली से बाहर है कोई काम से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः हैं?

श्री मुकेश कुमार अहलावतः बाहर हैं सर दिल्ली से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः कहां बाहर, बाहर कहां?

श्री मुकेश कुमार अहलावतः दिल्ली से बाहर गई हैं सर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः कहां गई हैं?

श्री मुकेश कुमार अहलावतः गोवा में गई हैं सर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः गोवा?

श्री मुकेश कुमार अहलावतः सर, बाहर है दिल्ली से।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः गोवा गई हैं, नहीं तो कौन सी फ्लाइट से गई हैं वो?

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ले लें।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण मेरा आपसे अनुरोध है, आपस में कोई बात नहीं करेगा।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सभी सदस्यों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ले लें। जो बात आपको कहनी है, मैं आपको मौका दे रहा हूं।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा अनुरोध है, ये संवेदनशील मामला है अनिल जी, जैसे आप कर रहे हैं उससे अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट। मेरा अनुरोध है सभी से कि सभी सदस्य अपना स्थान ले लें। ये जो संवेदनशील मामला है इस पर विपक्ष के हमारे सदस्य मुकेश जी, माननीय सदस्य....

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है विपक्ष के सदस्य- मुकेश अहलावत जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनकी बात सुन ली जाए।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मुकेश अहलावत जी, एक मिनट, आप अपना स्थान ले लें, वो कुछ कहना चाहते हैं। बताइये।

श्री मुकेश कुमार अहलावतः अध्यक्ष महोदय जी,....

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अजय जी, आप अपनी सीट पर जाइये।

श्री मुकेश कुमार अहलावतः अध्यक्ष जी, पहले इनको बिठवा दो।

डॉ.अजय दत्तः इनको बिठवा दो ये वैल में खड़े हैं।

श्री मुकेश कुमार अहलावतः एक बार इनको बिठवा दो पहले।

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर जाइये। पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

डॉ.अजय दत्तः ये क्या तरीका है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अपनी सीट पर जाइये। अपनी सीट से बोलिए। आपको बोलना है मैं आपको मौका देता हूं।

डॉ.अजय दत्तः ये वैल में खड़े हैं अध्यक्ष जी। वैल में कैसे खड़े हो सकते हैं।

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर जाइये, वहां से बोलिये आप। मैं आपको बुलवाता हूं, आप बोलिये। आप बोलना चाहते हैं अजय जी**?**

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः हां, आप, मुकेश जी बताइये।

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य....

**....**व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण,

**..... ....**व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपना स्थान लें।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा कहना है बैठकर बात करिये। ..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मेरा कहना है कि सदस्य जो हैं अपना स्थान ले लें।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सबसे अनुरोध है अपना।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण तरविंदर जी से अनुरोध है सीट ले लें। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं आप वहां से बात करिये।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ये बहुत ही चिंता का और दुख का विषय है कि सुश्री आतिशी जी, माननीय नेता विपक्ष को मौका दिया गया स्पष्टीकरण के लिए मगर वह नहीं आईं। ये मौका उनको सदन ने दिया है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई संपर्क अभी तक अध्यक्ष के साथ भी नहीं किया, कोई सूचना भी हमको नहीं प्राप्त हो रही। अभी विपक्ष के सदस्य श्री मुकेश अहलावत जी ने यहां पर जानकारी दी है कि वो गोवा चली गई हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि वो इस घटना के बाद गोवा गई हैं या इससे पहले गोवा चली गईं थी क्योंकि सदन में सदन की कार्यवाही चल रही है और चलती कार्यवाही में से जो कल तक ये मांग कर रही थी कि पोल्यूशन पर चर्चा करानी चाहिए और हम आज की तैयार के लिए एजेंडे में आइटम भी है और वो यहां से गोवा चली गई ये बहुत ही अजीब स्थिति यहां पर सदन में पैदा हुई है। मेरे पास इस पूरी परिस्थति से मेरे सीधे तौर पर बार-बार यह कहने के बाद की कोई स्पष्टीकरण विपक्ष की तरफ से आए और विपक्ष इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है ये गंभीर मामला है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है वो अपना स्थान ले लें और सदन की कार्यवाही को आप अपने।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करें। मेरा यह अनुरोध है कि सभी सदस्य अपना स्थान ले लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही में सहयोग करिये और अपना स्थान ले लीजिए।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः कपिल मिश्रा जी मेरा अनुरोध है आप अपनी सीट पर आ जाएं।

..... ....व्यवधान.... ....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः मैं आखिरी मौका दे रहा हूं सभी सदस्यों को वो अपना स्थान ग्रहण कर लें।

..... ....व्यवधान.... ....

# तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

## पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

| | | |
|---|---|---|
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री करनैल सिंह |
| प्रश्न संख्या | : | 21 |
| डायरी संख्या | : | 8/4/44 |
| प्रश्न | : | तारांकित |
| दिनांक | : | 07.01.2026 |

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माने जाने वाले यातायात जाम और अवरोधों को नियंत्रित करने और उनका समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; | यातायात जाम एवं अतिक्रमण से संबंधित विषय नगर निगम दिल्ली (MCD) तथा दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।<br>दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 62 यातायात भीड़–भाड़ वाले स्थलों (कंजेशन हॉटस्पॉट्स) की पहचान की गई है तथा 215 विशिष्ट कार्यों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 83 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 46 कार्य चल रही अवसंरचना परियोजनाओं, पुनर्विकास कार्यों अथवा व्यवहार्यता के अभाव के कारण अव्यवहार्य पाए जाने पर निरस्त/हटा दिए गए हैं। शेष 86 लंबित कार्यों में से 50 कार्य संबंधित एजेंसियों द्वारा एक से छह माह की समयावधि के भीतर पूर्ण किए जाने हेतु निर्धारित हैं। |
| ख. | शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुल कितने स्प्रिंकलर वाहन/ट्रक तैनात हैं और वे किन मार्गों पर चलते हैं, उन वाहनों के पंजीकरण नम्बर प्रदान करें; और | लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 Anti Smog Guns (DL 1MB 2157, DL 1MB 0187) लगाई गई हैं और यह दोनों Anti Smog Guns इस मण्डल के अर्न्तगत आने वाली शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों को कवर करती हैं। |
| ग. | उन स्प्रिंकलर वाहनों को कौन अधिकारी मॉनिटर करता है, उनका नाम, पद और मोबाइल नम्बर प्रदान करें? | लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्प्रिंकलर वाहनों को निम्नलिखित अधिकारी मॉनिटर करते हैं:–<br>नाम – श्री मुकेश कुमार द्विवेदी<br>पद – सहायक अभियंता<br>मो. – 9810536609<br>नाम – श्री राहुल अग्रवाल<br>पद – कनिष्ठ अभियंता<br>मो. – 6376977707 |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

तारांकित प्रश्न संख्याः-22

क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक, DCHFC और अन्य RCS अधीन संस्थाओं में कितनी नई भर्तियाँ हुईं;

(ख) प्रत्येक संस्थान के लिए पदों के नाम, विज्ञापन तिथि, भर्ती एजेंसी, कितने नियुक्त हुए और चयनित उम्मीदवारों की सूची (नाम, पिता/पति का नाम, पता, अंक) प्रस्तुत करें;

(ग) कुल आवेदन शुल्क कितना जमा हुआ और इसका उपयोग कैसे हुआ;

(घ) क्या कुछ भर्ती प्रक्रियाएँ निजी एजेंसियों द्वारा संचालित की गईं;

(ड.) यदि हाँ, तो चयन मानदंड और मेरिट सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय क्या थे;

(च) क्या 2025 में भर्ती में अनियमितताओं या पक्षपात की शिकायतें/नोटिस मिलीं; और

(छ) यदि हाँ, तो जांच की स्थिति क्या है?

| क्रम संख्या | **उत्तर** |
|---|---|
| (क) | दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में भर्ती संबंधित सहकारी समितियों / बैंकों द्वारा उनके नियमों और उपनियमों के अनुसार की जाती है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां स्वयं भर्ती नहीं करता हैं और न ही सभी भर्तियों का कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखता हैं। हालांकि, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक, दिल्ली राज्य सहकारी आवास वित्त निगम (DCHFC) व अन्य संस्थाओ से वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान की गई भर्तियों का विवरण मांगा गया है। कुछ संस्थाओ से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है। अन्य संस्थाओ से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। |
| (ख) | भाग (क) के उत्तर के अनुसार, भर्ती से संबंधित विवरण संबंधित सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर पर रखा जाता है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पास इसका कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। संबंधित संस्थाओं से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। |

| | |
|---|---|
| (ग) | जहां भी आवेदन शुल्क लिया जाता है, वह संबंधित सहकारी संस्थाओं द्वारा उनके नियमों के अनुसार एकत्र और उपयोग किया जाता है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां आवेदन शुल्क एकत्र नहीं करता हैं और न ही इसका कोई रिकॉर्ड रखता हैं। इस संबंध में जानकारी संबंधित संस्थाओं से मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को अवगत कराया जाएगा। |
| (घ) | निजी एजेंसियों की नियुक्ति सहित भर्ती प्रक्रिया, यदि कोई हो, संबंधित सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने नियमों के अनुसार की जाती है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखता हैं। इस विषय में जानकारी संबंधित संस्थाओं से मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को सूचित किया जाएगा। |
| (ङ) | भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना संबंधित सहकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। इसमें पात्रता शर्तों का पालन, चयन मानदंड और मेरिट सूची तैयार करना शामिल है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कानून के अनुसार केवल नियामक के रूप में निगरानी करता हैं। इस संबंध में जानकारी संबंधित संस्थाओं से मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। |
| (च)<br>(छ) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के सदस्यों से हाल ही में हुई भर्तियों के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों को बैंक को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है। शिकायतों पर संबंधित बैंक से अपेक्षित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। यदि दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के किसी भी उल्लंघन का पता चलता है, तो बैंक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों की प्रतियां अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न हैं। |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

| | |
|---|---|
| Department | Delhi Tourism & Transportation Development Corporation Ltd. |
| Department Address | 18 SCO Complex, Defence Colony Delhi |
| Vidhan Sabha Starred Question | No. 23 |
| Dated | 07.01.2026 |

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

| S. No. | Question | Answer |
|---|---|---|
| (क) | क्या यह सत्य है कि रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नत्थू कॉलोनी चौक पर वर्ष 2015 में पर्यटन विभाग द्वारा एक फ्लाईओवर तथा अंडरपास बनाया गया था, जोकि निर्माण के 6 महीने बाद ही भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था और पर्यटन विभाग व लोक निर्माण विभाग | (क) संबंधित आरओबी का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में पूर्ण कर यातायात के लिए खोल दिया गया था। शेष समग्र कार्य वर्ष 2015 में पूर्ण हुआ, जिसके उपरांत वर्ष 2016 में उक्त संरचना को लोक निर्माण |

| | | |
|---|---|---|
| | द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही न करने पर स्थानीय विधायक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई; | विभाग (PWD) को अनुरक्षण हेतु विधिवत हस्तांतरित कर दिया गया था।<br>(ख) वर्ष 2018 में आरओबी में कुछ स्थानों पर दरारें (cracks) दृष्टिगोचर होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी तकनीकी जांच कराई गई।<br>(ग) जांच एजेंसी/विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर संरचनात्मक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019 में आरओबी को लोक निर्माण विभाग द्वारा (PWD) भारी वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित किया गया। |
| (ख) | क्या यह भी सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 महीने के भीतर इस विषय पर ठोस कार्यवाही करने का आदेश दिया था तथा स्थानीय विधायक को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी और कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विजिलेंस इंक्वायरी की भी घोषणा की थी; | यह सत्य है कि माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है<br>जिसके अंतर्गत तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में विजिलेंस जांच कराए जाने की भी घोषणा की गई थी। |
| (ग) | तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा गठित विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए और ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई जाए; और | माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ROB और RUB के निर्माण में शामिल पूरी टीम की विस्तृत जाँच कराने के संबंध में सभी दस्तावेज़ और विवरण दिल्ली सरकार (GNCTD) के सतर्कता विभाग (Vigilance Department) के साथ साझा कर दिए गए हैं आगे की कार्रवाई सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है। |
| (घ) | नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर को भारी वाहनों के लिए खोलने के लिए और फ्लाईओवर व अंडरपास की त्रुटियों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी तथा भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर खोलने की समय सीमा लिखित में उपलब्ध कराई जाए? | ब्रिज विशेषज्ञ से दूसरी राय लेने के लिए, PWD दिल्ली की सिफारिश के अनुसार DTTDC द्वारा 'बी एंड एस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड' (B & S Engineering Consultant Pvt. Ltd.) को नियुक्त किया गया था।<br><br>अंतिम निष्कर्ष देने के लिए, उक्त फर्म ने ROB के 8 डिस्ट्रेस्ड (क्षतिग्रस्त) और नॉन-डिस्ट्रेस्ड पैनलों के लोड टेस्टिंग (भार परीक्षण) की मांग की थी। इसके लिए DTTDC ने कई एजेंसियों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी एजेंसी लोड टेस्ट करने में रुचि नहीं दिखा रही थी। काफी प्रयासों के बाद, NSUT ने दिनांक 25.11.2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | | को अपना कोटेशन दिया और 29.11.2024 को इसके लिए कार्य आदेश (Work Order) जारी कर दिया गया। लोड टेस्ट अप्रैल से मई 2025 के दौरान आयोजित किया गया और NSUT द्वारा 08.09.2025 को लोड टेस्टिंग रिपोर्ट सौंपी गई।<br><br>मूल्यांकन और अंतिम निष्कर्ष के लिए लोड टेस्ट रिपोर्ट 'बी एंड एस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड' को भेजी गई थी। डेक स्लैब पैनल के अवलोकन और सिफारिशों की रिपोर्ट 04.10.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई तत्पश्चात 10.12.2025 को पुनर्निर्माण कार्य के लिए संरचनात्मक डिज़ाइन और आरेख (Structural Design and Drawing) प्राप्त हुए।<br><br>रिपोर्ट को 03.12.2025 को PWD को भेजा गया था, जिसमें ROB डेक स्लैब के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए आगे की कार्रवाई तय करने हेतु एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया था। ताकि समस्त मामला माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके जिसके उपरांत ही सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा विभाग (PWD या DTTDC) पुनर्निर्माण करवाएगा इसके लिए 22.12.2025 को PWD को एक पुनः पत्र भेजा गया है। DTTDC की ओर से व्यक्तिगत रूप से लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय में बैठक शीघ्र आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। |

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**वन एवं वन्य जीव विभाग,**
**ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,**
**नई दिल्ली-110002.**

तारांकित प्रश्न संख्या: 24
दिनांक: 07.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री परदुम्न सिंह राजपूत (द्वारका)

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की कौन-कौन सी भूमि है? | द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के कार्य क्षेत्र वाली भूमि नासिरपुर नगर वन क्षेत्र है। |
| (ख) | यहाँ भूमि किस स्थान पर स्थित है और कितने वर्ग मीटर की है; और | नासिरपुर नगर वन क्षेत्र गांव नसीरपुर (सागरपुर) में स्थित है । टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 15.09.1997 को दायर हलफनामे के अनुसार, नासिरपुर सिटी फॉरेस्ट लगभग 61 एकड़ क्षेत्र में एक संरक्षित वन एवं वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र की सूची में अभिलिखित है। हालांकि, डी.ओ. पत्रांक दिनांक 14.09.2011 में नासिरपुर सिटी फॉरेस्ट का क्षेत्रफल लगभग 22 एकड़ उल्लिखित है (अर्थात लगभग 90,000 वर्ग मीटर), जो परिभाषित सीमाओं वाले दो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित है, और वन विभाग द्वारा इसे सिटी फॉरेस्ट के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। |
| (ग) | वन विभाग की इन भूमि पर वर्ष 2017अप्रैल से वर्ष 2025 मार्च तक इनके रखरखाव या मेंटेनेंस के लिये वन विभाग ने कितनी राशि ख़र्च की है और किस- किस कार्य - के लिये की है, इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए? | **वर्ष** / **व्यय (रु.)** / **कार्यों का विवरण**<br>2017-25 / 1,54,89,579 /- / -<br>2017-22 / 61,10,229/- / 2022 से पहले, वन विभाग के स्थायी कर्मचारी इस नगर वन का रखरखाव करते थे, जबकि एलईडी लाइट लगाना, शौचालय लगाना, कोटा स्टोन का काम, पैदल पथ की मरम्मत, बाड़ लगाना, पीवीसी पाइप लाइन बिछाना, आरसीसी बैठने की बेंच लगाना, बोरवेल मोटर पंप की मरम्मत जैसे अन्य सभी कार्य आउटसोर्स एजेंसियों |

Asubesty
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | के माध्यम से किए जाते थे। खाता प्रमुख 2406-02-800-88-00-49 । |
| | | 2022-25 | 93,79,350/- | नासिरपुर नगर वन का नियमित रखरखाव विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से किया जा रहा है।<br>निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पूरे उद्यान क्षेत्र में लॉन, वृक्ष, झाड़ियाँ, फूलों की क्यारियाँ और वनस्पतियाँ की देखरेख का कार्य किया जा रहा है।<br><br>रखरखाव कार्यों में जैसे निराई गुड़ाई, छंटाई, खाली स्थान भरना, सिंचाई, लॉन की कटाई, घास काटना, उद्यान अपशिष्ट का निपटान और आवश्यकतानुसार खाद, उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग शामिल है।<br><br>निर्धारित दर सूची (बागवानी) / Delhi Schedule of Rates, Horticulture) के प्रावधानों के अनुसार, पगडंडियों / जॉगरट्रैक, प्लंबिंग, बोरिंग और विद्युत कार्यों की छोटी-मोटी मरम्मत, झोपड़ियों की मरम्मत और फुटपाथों तथा आस-पास की सड़कों की सफाई भी की जा रही है।<br>खाता प्रमुख 2406-02-800-88-00-49 । |

Asabosty
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री अशोक गोयल
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–25** व 08 / 4 / 336

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | (क) कृपया वार्ड संख्या नंबर- 67, 68, 69 में दिल्ली नगर निगम और PWD के द्वारा शुल्क लेकर विज्ञापन के लिए लगाए सभी पोल, यूनिपोल अन्य सभी तरह के विज्ञापन माध्यम, लोकेशन और पूरे पते के साथ वार्ड अनुसार सूची प्रदान करें? | **लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>माननीय विधायक महोदय, द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में सूचित करना है कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा शुल्क लेकर विज्ञापन की अनुमति नही दी जाती है । अतः यह मामला लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह मामला दिल्ली नगर निगम से संबंधित है ।<br><br>**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>वार्ड संख्या नंबर 67,68 एवं 69 में दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुल्क लेकर विज्ञापन के लिये लगाये सभी पोल, यूनीपोल अन्य सभी तरह के विज्ञापन माध्यमों की सूची **अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

माननीय विधायक का नाम : श्री मनोज कुमार शौकीन
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–26** व 08 / 4 / 136

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2007 में एमसीडी द्वारा दिल्ली के रेहड़ी–पटरी / फेरी लगाने वाले नागरिकों से ₹100 की पर्ची शुल्क के रूप में राशि ली गई थी, परंतु आज तक उन्हें विधिवत तहबाजारी (लाइसेंस) प्रदान नहीं की गई है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>जी हाँ, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, एवं दिल्ली स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम 2019 अस्तित्व में आ चुकी है, जिसके अनुसार सभी विक्रेताओं का सर्वे करने का प्रावधान है। अतः रू 100 / – पर्ची शुल्क वाले स्ट्रीट वेंडरों को सर्वे में शामिल किया गया है तथा उन्हें 'सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग' प्रदान की गई है। इन वेंडरों को तहबाजारी देने के पहले वेंडर एक्ट 2014, एवं दिल्ली स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम 2019 के अनुसार वेंडिंग जोन बनाने की प्रकिया है जिसको टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। |
| ख | (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे सभी पात्र रेहड़ी–पटरी वालों को तहबाजारी प्रदान कर नियमित करने का विचार कर रही है, जिससे एक ओर सरकार को राजस्व प्राप्त हो और दूसरी ओर रेहड़ी–पटरी वालों को सुरक्षा मिले; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, स्ट्रीट वेंडर रूल 2017 एवं स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम 2019 के तहत पथ विक्रेताओं का सर्वे जारी है, और 'सर्टीफिकेट ऑफ वेंडिंग' जारी करने के उपरान्त वेंडरों की मतदाता सूची बनाकर नई टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जायेगा, जोकि वेंडिंग / नोनवेंडिंग जोन निर्धारित करेगी। |
| ग | (ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछली सरकार के दौरान गठित टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) — जो कि 12 जोन एमसीडी, एनडीएमसी एवं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए बनाई गई थी — का कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि वर्तमान में उसे 11 वर्ष से अधिक समय हो चुका है; और | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br><br>**ग एवं घः–**<br>पिछली टाउन वेंडिंग कमेटी का कार्यकाल सितम्बर 2024 में समाप्त हुआ है तथा नई टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया जारी है। |
| घ | (घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुरानी TVC कमेटियों को भंग कर नई TVC का गठन करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को नियंत्रित किया जा सके और स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित किया जा सके? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री राजकुमार भाटिया
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–27 व** 08/4/147

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क) क्या यह सत्य है कि पंजाब से विस्थापित हिंदू परिवारों में से लगभग 15 परिवारों को ही अभी तक आवासों का आवंटन किया गया है, शेष को अभी तक आवास-आवंटन नहीं किया गया है; | **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>पंजाब में विस्थापित परिवारों के आवास का आवंटन के लिए प्रस्ताव पत्र डिविजलन कमिश्नर राजस्व विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा डूसिब को भेजे जाते हैं । अगर कोई परिवार छूट गया है तो मामलों के रिकॉर्ड को जॉचकर नियमानुसार आवास आवंटन कर दिया जाएगा। |
| ख | ख) क्या यह भी सत्य है कि आवंटन में विलंब डीयूएसआईबी और दिल्ली नगर निगम के बीच अंतरविभागीय निर्देश हीनता के कारण हो रहा है; और | **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>**ख व ग**<br>जी नहीं । |
| ग | ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

तारांकित प्रश्न संख्याः-28 8/4/216

दिनांकः- 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः-श्री सतीश उपाध्याय, माननीय विधायक

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में चल रहे रैन बसैरों की कुल संख्या, उनके स्थानो की जानकारी पते सहित विवरण प्रदान करें। | मालवीय नगर विधान सभा में विभाग का कोई भी रैन बसैरा नही है। |
| ख | रैन बसैरों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या व उनकी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड; | |
| ग | अटल कैन्टीनो का संचालन सीधे डीयूएसआईबी के द्वारा किया जा रहा है अथवा इन्हे गैर सरकारी संगठन / निजी एजेंसियां चला रही है, सम्पूर्ण जानकारी दे। | अटल कैंटीनों के संचालन हेतु दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निष्पक्ष टेंडर प्रणाली के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुभवी एजेंसियों का चयन किया गया है। |
| घ | अटल कैन्टीन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रति प्लेट अथवा प्रति लाभान्वित कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है,और | अटल कैंटीन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी को ताजा पकाया हुआ भोजन मात्र रूपये 5 प्रति प्लेट में उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि रूपये 25 प्रति प्लेट भोजन की राशि दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जा रही है। |
| ड | मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र सहित सभी अटल कैन्टीनों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व पोषण मानको को सुनश्चित करने के लिए बनाये गये निरीक्षण तंत्र का विवरण क्या है? | भोजन की गुणवत्ता का निर्धारण निविदा आमंत्रण (Request for proposal-RFP) के खण्ड़ संख्या 34 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। संबंधित खण्ड़ संख्या 34 को संलग्न किया गया है।(अनुलग्नक-क) |

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री प्रवेश रत्न
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–29** व 08/4/236

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | पटेल नगर विधानसभा में कुल कितने सफाई कर्मचारी तैनात हैं, वार्डवार जानकारी दी जाये; | दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– पटेल नगर विधानसभा के अंतर्गत चार वार्ड 85, 86, 87 और 88 आते है। कर्मचारी की वार्ड वाईज जानकारी निम्नलिखित हैः– |
| ख | इनमें से कितने स्थायी (पक्के) और कितने अस्थायी/ठेके पर हैं; | (नीचे तालिका देखें) |

| क.सं. | वार्ड न0 | स्थायी कर्मचारी | अस्थायी कर्मचारी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 133 | 112 | 245 |
| 2 | 86 | 189 | 141 | 330 |
| 3 | 87 | 186 | 84 | 270 |
| 4 | 88 | 81 | 56 | 137 |

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| ग | क्या यह सत्य है कि क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की कमी है; | दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– सभी वार्ड में सफाई कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के अनुसार कमी नही है। |
| घ | क्या सफाई कर्मचारियों को पूरा वेतन और सुरक्षा उपकरण मिल रहें है; और | दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– सफाई कर्मचारियों को उपस्थिति के अनुसार पूरा वेतन दिया जा रहा है । कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए जाते है (जैसे गम बूट, हन्ड ग्लब्स और एप्रन) आदि) कर्मचारियों का समय–समय पर चिकित्सा जॉच भी कराई जाती है । |
| ङ | कूड़ा उठाने में निजी ठेकेदारों की क्या भूमिका है और क्या इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं? | दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– कॉन्सेशनेयर घर–घर जाकर MSW (Municipal Solid Waste) इकट्ठा करता है और ऐसे कचरे को ऑटो–टिप्पर और मोबाइल कॉम्पैक्टर से सीधे FCTS (Fixed Compactor Transfer Station) में स्थानातंरण करता है । कॉन्सेशनेयर सड़कों की सफाई से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करने, ट्रांसपोर्ट करने, डस्टबीन को खाली करने एवं साफ करने के लिए जिम्मेदार है । यदि ठेकेदार के कार्य में कोई कमी पाई जाती है तो Concession Agreement की शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है । कॉम्पैक्टर ओवरफ्लो, पीरियोडिक मेंटेनेंस और अन्य धाराओं के अन्तर्गत वर्ष 2025 में कॉन्सेशनेयर पर रूपये 18,82,824/– का जुर्माना लगाया गया । इस संबंध में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं मिली है । |

J.P. MEENA
Dy. Secretary

तारांकित प्रश्न संख्याः- 30 8/4/134

दिनांकः- 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः-श्री उमंग बजाज, माननीय विधायक

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 अप्रैल से वर्ष 2025 मार्च तक क्या-क्या कार्य किये गये है; और | इस समय अवधि में कुल 141 कार्य किये गये है जिसमें गलियों में नालियां, सीमेंट ,कंक्रीट (CC) निर्माण, शौचालयों की मरम्मत व निर्माण, चौपाल, बस्ती विकास केन्द्र, शिशुवाटिका आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है, सूचि संलग्न है। (अनुलग्नक-क) |
| ख | इसमें किस-किस कार्य के लिए किस-किस एजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया है, इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए? | सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-ख) |

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री नीरज बसोया
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–31 व** 08/4/79

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | (क) कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में एमसीडी द्वारा संचालित/अनुमोदित सभी पार्किंग स्थलों का विवरण-स्थान, पार्किंग क्षमता, वाहन श्रेणीवार दर सूची, राजस्व-साझेदारी की शर्तें, ठेका आरंभ तिथि एवं समाप्ति तिथि क्या है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित/अनुमोदित सभी पार्किंग स्थलों के विवरण की सूची **अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न है। |
| ख | (ख) कोटला मुबारकपुर स्थित भीष्म पितामह मार्ग पर स्थापित पार्किंग, जिसे अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रारंभ किया गया था, की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त स्थान पर पार्किंग शुरू होने से पूर्व की स्थिति क्या थी; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** वर्तमान स्थिति में कोटला मुबारक पुर भीष्म पितामाह मार्ग पर स्थापित पार्किंग निगम के पार्किंग ठेकेदार द्वारा निविदा के नियम व शर्तो के अनुसार चलाई जा रही हैं। आवंटित पत्र **अनुलंग्नक 'ख'** पर संलग्न है। |
| ग | (ग) क्या यह सत्य है कि भीष्म पितामह मार्ग पर उक्त पार्किंग के कारण यातायात के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है, और क्या इस संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एमसीडी को कोई शिकायत/आपत्ति दर्ज कराई गई है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** ग व घ जी हॉ, इस विषय में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कराई गयी है और पार्किंग ठेकेदार को निर्देश दे दिये है । प्रतिलिपि अनुलंग्नक **'ग'** पर संलग्न है । |
| घ | (घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; | |
| ङ | (ङ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ मामलों में पार्किंग ठेकेदारों द्वारा निजी संपत्ति मालिकों को नकद राशि लेकर एमसीडी पार्किंग आवंटित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** ङ से झ दिल्ली नगर निगम के लाभकारी परियोजना विभाग में इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी । समीक्षा के उपरान्त संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा पार्किंग ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई गयी है एवं दिनांक 23.12.2025 को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका पार्किंग ठेकेदार द्वारा कोई उत्तर उपलब्ध नहीं करवाया गया अतः जुर्माने की राशि को उनके पार्किंग शुल्क में जोड़ दिया गया । तदुपरांत, पार्किंग साइट का पुनः निरीक्षण किया गया जिसके दौरान पाए गए उल्लंघनों हेतु पार्किंग ठेकेदार पर पुनः पेनल्टी लगाई गई है साथ ही कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है जिसकी प्रतिलिपि अनुलंग्नक **'घ'** पर संलग्न है। |
| च | (च) यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों की संख्या, विवरण तथा उन पर की गई कार्रवाई क्या है; | |
| छ | (छ) क्या उपर्युक्त मामलों में कोई जांच कराई गई है; | |
| ज | (ज) यदि हाँ, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और | |
| झ | (झ) यदि नहीं, तो एमसीडी द्वारा कब तक जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? | |

J. P. MEENA
Dy. Secretary

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

माननीय विधायक का नाम : श्रीमती नीलम पहलवान
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–32 व** 08 / 4 / 334

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | (क) नजफ़गढ़ विधानसभा की जो कॉलोनियाँ GSDL MAP में नहीं है उन कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु सरकार की क्या नीतियाँ है तथा विकास कार्यों के लिए बजट कब तक प्रदान किया जाएगा; | **अनाधिकृत कॉलोनी शाखा (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–**<br>अनाधिकृत कॉलोनी में विकास कार्य के संबंध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 19.12.2012 तथा 29.12.2015 के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में ऐसी कोई नीतियाँ नहीं है । |
| ख | (ख) नजफ़गढ़ की UNAUTHORISED कॉलोनियों में क्या-क्या विकास कार्य किए गए है, चल रहे है तथा प्रस्तावित है? विस्तृत जानकारी प्रदान करें; और | **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–**<br>नजफगढ़ विधानसभा में 200 अनाधिकृत कॉलोनियाँ आती हैं।<br>129 कॉलोनियों में मे सड़कों एवं नालियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं (संलग्न सूची 'क')<br>33 कॉलोनियों में सड़कों एवं नालियों का कार्य प्रगति पर हैं (संलग्न सूची 'ख')<br>21 कॉलोनियों मे कार्य किया जाना हैं इनकी GSDL मानचित्र प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड से पानी तथा सीवर लाइन की वर्तमान स्थिति प्राप्त होने के पश्चात इन कॉलोनियों के विकास कार्य की स्कीम बनायीं जाएँगी (संलग्न सूची 'ग')<br>17 कॉलोनियों में विकास कार्य GSDL मानचित्र न होने, दूसरे कॉलोनियों में ओवरलैपिंग होने, दूसरे एजेंसी दवारा कार्य पूर्ण होने के कारण नहीं किये जा सकते हैं (संलग्न 'घ')<br><br>**एमएलएलैड शाखा (शहरी विकास)के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–**<br>आठवी विधानसभा के कार्यकाल में माननीय विधायक नजफगढ़ श्रीमती नीलम पहलवान द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी में एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य अनुशंसित नहीं किया गया है। |
| ग | (ग) जिन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू नहीं हुए है, वहाँ विकास कार्य कब तक शुरू होंगे व विकास कार्य कब तक संभव है? तथा सरकार की क्या नीतियाँ है? | **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–**<br>जिन कॉलोनियों में कार्य शुरू नहीं हुए है, उन कॉलोनियों के मानचित्र GSDL से प्राप्त हो चुके है किन्तु पानी एवं सीवर लाइन की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड से लंबित हैं। इन कॉलोनियों में नियम अनुसार सड़कों एवं नालियों के विकास कार्यों के लिए योजना बनाने का कार्य किया जा रहा है।<br>सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय मंजूरी मिलने, फण्ड आवंटन होने और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। |

From:

| | | |
|---|---|---|
| | | **एमएलएलैड शाखा (शहरी विकास)के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–** आठवीं विधानसभा के कार्यकाल में माननीय विधायक नजफगढ़ श्रीमती नीलम पहलवान द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी में एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य अनुशासित नहीं किया गया है। |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री विशेष रवि
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–33 व** 08 / 4 / 196

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | (क) जनवरी 2025 के बाद से शहरी विकास विभाग द्वारा पूरी दिल्ली में सभी विधान-सभाओं में कितने कामो की मंजूरी भूमि स्वामित्व एजेंसी से बिना NOC लिए दी हैं, विधान-सभा वाइज पूर्ण जानकारी प्रदान करें; | **एमएलएलैड (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>**एमएलएलैड** योजना के अर्न्तगत माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित किये गये विकास कार्यों में स्वीकृति आदेशों में कार्य निष्पादन एजेंसीओं को भी स्वामित्व एजेंसी से कार्य शुरू करने से पहले एन ओ सी लेने हेतु शर्त सम्मिलित की जाती है । |
| ख | (ख) क्या यह सत्य है दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों में नगर निगम के आर पी सेल द्वारा ऑथराइज्ड पार्किंग चलाई जा रही है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>क व ख<br>जी हॉ, दिल्ली नगर निगम के अतंर्गत आने वाले पार्कों में ऑथराइज्ड पार्किंग चलाई जा रही हैं । |
| ग | (ग) यदि हां, तो ऐसे सभी पार्कों का पूर्ण विवरण प्रदान करें ; | पार्कों का विवरण निम्न प्रकार हैः–<br>1. अजमल खॉ पार्क, करोल बाग, वार्ड संख्या –83<br>2. चूना भट्टी पार्क, करोल बाग, वार्ड संख्या –83<br>3. गोविन्दपुरी, के ब्लॉक, कालकाजी वार्ड संख्या –175 मध्य क्षेत्र<br>4. रामलीला मैदान, वार्ड संख्या –77, सदर पहाड़गंज क्षेत्र<br>5. परेड ग्रंउड साइकिल मार्किट, वार्ड संख्या –75 सदर पहाड़गंज |
| घ | (घ) क्या यह सत्य है कि पार्क एवं हरित क्षेत्र में पार्किंग चलाना गैर-कानूनी है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>घ एवं ड<br>दिल्ली में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या तथा पार्किंग स्थलों की आवश्यकता को देखते हुए जनता की मांग के अनुसार इस विषय में निर्णय लिया जाता है । |
| ड | (ड.) यदि हां, तो पार्क एवं हरित क्षेत्र में चलने वाली सभी पार्किंग कब तक बंद कर दी जाएगी, इसकी पार्क वाइज जानकारी प्रदान करें; और | |
| च | (च) अधोहस्ताक्षरी द्वारा शहरी विकास विभाग को पत्र संख्या नं. 130134/30/10/2025 दिनांक – 30/10/2025 पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कृपया पूर्ण विवरण प्रदान करें? | स्थानीय निकाय (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>माननीय विधायक द्वारा उल्लेखित पत्र को सर्विस विभाग, दिल्ली सरकार, को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

तारांकित प्रश्न संख्याः- 34
दिनांकः- 07.01.2026
प्रश्नकत्ता का नामः- श्री प्रेम चौहान (देवली)
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

<table>
<tr><th>क्रम सं</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>रा.रा.क्षे सरकार द्वारा सभी विभागों/निकायों के लिए, विशेषकर सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी), दिल्ली टूरिज़्म एंड ट्रांस्पोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीटीडीसी), दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी),दिल्ली जल बोर्ड ट्रांस्को/ पावर विभाग, शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग , किए गए विज्ञापन व प्रचार पर किए गए कुल व्यय का विभागों/स्वायत्तशासी निकाय वार वर्गीकृत विवरण प्रदान करें ;</td><td rowspan="3">दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी), दिल्ली टूरिज़्म एंड ट्रांस्पोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीटीडीसी), दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी),दिल्ली जल बोर्ड ट्रांस्को/ पावर विभाग, शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग पर किए गए विज्ञापन व प्रचार पर इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से अब तक (01.04.2025 से 31.12.2025) कुल व्यय 12,96,98,713/- (लगभग 12 करोड़ 96 लाख) रुपये हैं ।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मद</th><th>कुल व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>रेडियो</td><td>3,03,008/-<br>(लगभग 03 लाख03 हजार)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>टेलीविजन</td><td>1,61,07,000<br>(लगभग 01 करोड़ 61 लाख)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रिंट मीडिया</td><td>10,05,49,440<br>(लगभग 10 करोड़ 05 लाख)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>आउटडोर मीडिया</td><td>75,10,897<br>(लगभग पचहत्तर लाख 10 हज़ार )</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डिजिटल मीडिया</td><td>52,28,368<br>(लगभग 52 लाख 28 हज़ार )</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल व्यय</td><td>12,96,98,713/-<br>(लगभग 12 करोड़ 96 लाख)</td></tr>
</table>
उपरोक्त कुल व्यय में से मुख्यमंत्री के फोटोग्राफ वाले विज्ञापनों पर कुल ₹6,90,86,421/- (लगभग 6 करोड़ 90 लाख रुपये) व्यय किया गया है तथा विज्ञापनों के संबंध में सदैव सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>ऊपर दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स -जैसे, टेलीविजन (चैनल का नाम व स्पॉट की कुल अवधि लागत), रेडियो (स्टेशन का नाम व लागत), समाचारपत्र (प्रकाशन स्थानीय/राष्ट्रीय का नाम वर्ग सेंटीमीटरों में कुल स्थान व लागत), आउटडोर मीडिया (बिलबोर्डों/होर्डिंग पर कुल खर्च ),बस क्यू शेल्टर तथा मेट्रो रेल ब्रांडिंग(ट्रेन रैप/स्टेशन एड), डिजिटल/सोशल मीडिया (यूटयूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स पर किए गए विज्ञापन) -पर किए गए खर्च का मीडियावार वर्गीकृत विवरण प्रदान करें;</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>विशेषरूप से मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के फोटोग्राफ वाले विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय हुआ और क्या यह सरकारी विज्ञापनों</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, और | |
| (ग) | क्या यह सत्य है कि विज्ञापन रा.रा.क्षे दिल्ली के बाहर अर्थात अन्य राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में जारी किए गए ; | इस वित्तीय वर्ष में प्रवेश सूचना, भर्ती सूचना, रिक्ति सूचना, वॉक-इन इंटरव्यू, निविदा सूचना, इंटर्नशिप कार्यक्रम आदि से संबंधित कुछ वर्गीकृत विज्ञापन दिल्ली के बाहर के संस्करणों में भी प्रकाशित किए गए हैं। उपरोक्त कुल व्यय **₹12,96,98,713/-** में से इन विज्ञापनों पर **₹3,00,98,532/-** (लगभग **3** करोड़ रुपये) की राशि व्यय की गई है। |
| (घ) | यदि हां, तो ऐसे बाहर के विज्ञापनों का कितना व्यय हुआ और इनका क्या प्रशासनिक औचित्य (Justification) है ; | |
| (ड) | इस अवधि के दौरान पैनल की सभी विज्ञापन एजेंसियों व अन्य अनुबंधित एजेंसियों की सूची व इन्हें भुगतान की कई कुल कमीशन अथवा सेवाशुल्क ; | शब्दार्थ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल कमीशन **1,85,66,691/-** रुपए **(**एक करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार छह सौ इक्यानवे**)** है। |
| (छ) | वित्त विभाग के बजट सैंक्शन आदेशों व उन फाइल नोटिंग्स की प्रतियां उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर प्रचार के लिए मूल बजट अनुमानों के अतिरिक्त और राशि जारी की गई ? | प्रचार मद के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 हेतु मूल बजट अनुमानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि वित्त विभाग से मांग नहीं की गई है। |

## शहरी विकास विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
## 9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्रीमती शिखा रॉय
दिनांक : 07.01.2026
तारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–35** व 08/4/187

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्रं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विषय में दिनांक 20.10.2023 की रिट याचिका (सिविल) 14313/2022 पर दिल्ली नगर निगम ने कोई कार्रवाई की हैं, | दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– <br> 'क' से 'ग':– <br><br> जी हॉ, दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः– <br> • कुल सम्पत्तियों की संख्या – 13 <br> • बुक की गई सम्पत्तियों की संख्या – 13 <br> • सम्पत्तियों पर तोड़–फोड़ की कार्रवाई की गई – 08 <br> • सम्पत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई – 09 <br> • सम्पत्तियों पर न्यायालय से कार्रवाई को रोकने के आदेश (stay order) जारी हुये – 06 <br> • सम्पत्तियों को खाली करने के नोटिस (Vacation Notice) जारी किये गये – 10 |
| ख | यदि हां, तो उसका विवरण दें; और | |
| ग | यदि नही तो क्यों? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

विधान सभा तारांकित प्र. स.36

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री संजय गोयल

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या यह सत्य है कि शाहदरा विधानसभा मे वर्तमान मे विभिन योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या मे राशनकार्ड प्रचलित है योजनावार (AAY, BPL, NFSA/सामान्य) कुल राशन कार्ड की संख्या उपलब्ध कराएँ; | वर्तमान मे शाहदरा मंडल मे कुल राशन कार्डो की संख्या 20686 है!<br>(AAY-888), (PHH-19798)<br>कुल- 20686 |
| (ख ) | क्या सरकार द्वारा यह जाँच की जाती है कि AAY/BPL श्रेणी के लाभार्थी अब भी गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं; | राशन कार्ड के लिए, प्राथमिक एवं शिशु एवं आय वर्ग (पीएचएच/एएवाई) श्रेणियों के लिए वार्षिक घरेलू आय सीमा 1 लाख रुपये प्रति वर्ष है। विभाग द्वारा निरंतर गरीबी मूल्यांकन नहीं किया जाता है। |
| (ग) | यदि हाँ, तो ऐसी जाँच कितनी अवधि में एवं कब-कब की जाती है; | |
| (घ) | पिछले 10 वर्ष में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कितनेराशन काड धारकों को AAY/BPL श्रेणी सेहटाकर सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है वर्षवार विवरण सहित; | ऊपर (ख) में बताए गए कारणों से एएवाई श्रेणी से सामान्य श्रेणी में ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं होता है। |
| (ड़) | क्या सरकार की भविष्य में भी नए AAY/BPL राशन काड जारी करनेकी कोई योजना है; | भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, दिल्ली सरकार का राशन कोटा 72,77,995 यूनिट था, जो समाप्त हो चुका है।<br>दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राशन कोटे में किसी भी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं, जैसे कि पलायन, स्वैच्छिक समर्पण, मृत्यु, गलत दावे का पता चलना आदि। |
| (च) | यदि हाँ, तो वह योजना कब से और किन शर्तों पर लागू की जाएगी; | उपरोक्त (ड़) अनुसार |
| (छ)) | शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने राशन कार्ड आवेदन लंबित है और उनके लंबित रहने के कारण क्या है | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्पष्ट रिक्तियों की कमी के कारण शाहदरा सर्किल राशन कार्ड के लिए वर्तमान में 2,192 राशन कार्ड ई-आवेदन लंबित हैं। |
| (ज) | क्या यह सत्य है कि कई मामलों में राशन कार्ड बन जाने के बावजूद लाभार्थीयों को अभी तक राशन मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है; | ऐसे कई मामले हैं जहां राशन कार्ड धारकों ने SFA का दावा नहीं किया है। |
| (झ) | यदि हाँ, तो ऐसे मामलों की संख्या एवं कारण क्या है ; | राशन कार्ड एक प्रकार की सुविधा प्रदान करता है, जिसके तहत एसएफए प्राप्त करना धारक का विशेषाधिकार है। |

| | | |
|---|---|---|
| (ञ) | राशन कार्ड जारी होने में हो रही अत्यधिक देरी के कारण क्या है और सरकार इस प्रक्रिया मे तेजी लाने हेतु या ठोस कदम उठा रही है; | भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, दिल्ली सरकार का राशन कोटा 72,77,995 यूनिट है जो समाप्त हो चुका है।<br>दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कोटे में जब भी कोई रिक्ति उत्पन्न होगी, नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। |
| (ट) | क्या यह भी सत्य है की राशन कार्ड आवेदन अस्वीकृत (reject) होने के बाद भी संभंदित आधार कार्ड विवरण पोर्टल से स्वत: हटता नहीं है, जिससे लाभार्थ्री को पुनः आवेदन मे कठिनाई होती है; और | हां, यह सच है। हालांकि, पोर्टल से आधार हटाने की प्रक्रिया सरल है। राशन कार्ड आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में, आवेदक द्वारा सर्कल कार्यालय में आधार जारी करने का आवेदन जमा करने के तुरंत बाद आधार हटा दिया जाता है। |
| (ठ) | यदि हाँ, तो आधार विवरण को स्वतः हटाने (auto-deletion) की वर्त्तमान प्रक्रिया क्या है और सरकार इसे और अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? | राशन कार्ड आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में, आवेदक सर्कल कार्यालय में आवेदन जमा करके आधार विवरण हटवा सकता है। हालांकि, विभाग राशन कार्ड अस्वीकृति के समय स्वत: ही आधार जारी करने के संबंध में NIC से विचार कर रहा है। |

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 37 प्रश्नकर्ता: श्री संजीव झा

दिनांक: 07.01.2026

| क्रम संख्या | **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|---|
| (क) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम के तहत कितने लोन का सेटलमेंट किया गया सभी की जानकारी संपूर्ण दी जाए एवं सूची प्रदान की जाए; | एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना का कार्यान्वयन और इसके अंतर्गत ऋणों का निपटान दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा अपनी अनुमोदित नीतियों, लागू बैंकिंग मानदंडों और सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों के अनुसार किया जाता है। ओटीएस योजना के अंतर्गत निपटाए गए ऋणों से संबंधित विस्तृत अभिलेख बैंक द्वारा रखे जाते हैं। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। |
| (ख) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक विगत 5 वर्षों में कितनी भर्तियां की गई सभी भर्तियों की संपूर्ण प्रक्रिया जो अपनी गई | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में कर्मियों की भर्ती बैंक द्वारा अपने अनुमोदित सेवा विनियमों और भर्ती नियमों के अनुसार, लागू बैंकिंग मानदंडों |

| | | |
|---|---|---|
| | जैसे आईसीएस की अनुमति, आरबीआई की अनुमति, न्यूज़पेपर में विज्ञापन, आवेदन किए गए सभी आवेदन पत्र की कॉपी, उनका लिया गया टेस्ट एवं इंटरव्यू के विवरण सहित पूर्ण फाइल की सत्यापित कॉपी दें उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए; | के अधीन की जाती है। भर्ती नियमों का अनुमोदन, भर्ती प्रक्रिया का संचालन, विज्ञापन जारी करना, आवेदन प्राप्त करना, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित करना और संबंधित अभिलेखों का रखरखाव बैंक की जिम्मेदारी है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार केंद्रीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया संचालित नहीं करते हैं और न ही भर्ती फाइलें या आवेदन अभिलेख रखते हैं। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। प्राप्त होने पर इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। |
| (ग) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में 2020 से लेकर जवाब देने तक सभी लीगल खर्चों की जानकारी प्रति मद के हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रति वकील के नाम के साथ दी जाए एवं सूची उपलब्ध कराई जाए; | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा किए गए कानूनी खर्चों, जिनमें अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी शामिल है, का विवरण बैंक द्वारा अपने वित्तीय अभिलेखों और लेखापरीक्षित खातों में दर्ज किया जाता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास ऐसे खर्चों का कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं होता है। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर, इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। |
| (घ) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की सभी गाड़ियों की रखरखाव पर पेट्रोल में जो भी खर्च हुए हैं 2021 से लेकर जवाब देने तक विस्तृत जानकारी दी जाए एवं संबंधित सभी बिलों की खर्चों सूची प्रदान की जाए; | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा वाहनों पर किए गए व्यय, जिसमें पेट्रोल और रखरखाव खर्च शामिल हैं, को परिचालन व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। बैंक द्वारा ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी। |
| (ड) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक द्वारा 2021 से अभी तक कितने लोन सिक्योर्ड दिए गए कितने लोन अनसिक्योर्ड दिए गए हैं उनकी जानकारी विस्तृत रूप से सूची प्रदान करें; | ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन और लंबित होने से संबंधित अभिलेख दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा लागू बैंकिंग और सहकारी मानदंडों के अनुसार रखे जाते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ऐसे लेन-देन संबंधी अभिलेखों को केंद्रीय रूप से नहीं रखते हैं। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| (च) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में कितना डिपॉजिट आज की तारीख में है, एवं NPA कितना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए; | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में जमा और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से संबंधित विवरण शामिल हैं, जिन्हें बैंक द्वारा लागू लेखांकन और बैंकिंग मानदंडों के अनुसार तैयार और अनुरक्षित किया जाता है। यह जानकारी दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से मांगी गई है। प्राप्त होने पर इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। |
| (छ) | दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में 2021 से जवाब देने तक कितने कर्मचारियों को रिटायर किया गया, किस-किस का पैसा बकाया है और किस-किस कर्मचारियों को कब-कब उसका रिटायरमेंट के बाद भुगतान किया गया इसकी सूची एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए; और | कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, बकाया राशि और सेवानिवृत्ति के बाद के भुगतानों से संबंधित सेवा अभिलेख दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा रखे जाते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार बैंक कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा या भुगतान अभिलेख नहीं रखते हैं। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड से आवश्यक जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। |
| (ज) | वर्ष 2021 से अब तक आरसीएस द्वारा कराई गई ऑडिट एवं स्पेशल ऑडिट की कॉपी दें एवं विगत 5 वर्षों की आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी दें और आरबीआई द्वारा दिए गए एक्शनो पर क्या कार्यवाही की गई उसकी सूचना दी जाए एवं की गई कार्रवाई की कॉपी दी जाए? | को-ऑपरेटिव बैंकों का सालाना वैधानिक ऑडिट रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पैनल या रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पैनल के ऑडिटर्स से को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा खुद कराया जाता है। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है। साल 2021-2022 से 2023-2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट संबंधित बैंक से मांगी गई हैं, जैसे ही बैंक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई जाएंगी, माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएंगी।<br>वर्ष 2021 से अब तक रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड का कोई स्पेशल ऑडिट नहीं कराया गया है।<br><br>भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार, अपनी निरीक्षण रिपोर्टों पर स्वयं आवश्यक कार्रवाई करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक से दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की वर्ष 2021 से आगे की अवधि से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त रिपोर्टें प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएँगी। |

तारांकित प्रश्न संख्याः- 38 8/4/109

दिनांकः- 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः-श्री वीर सिंह धिंगान, माननीय विधायक

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पुनर्वास कॉलोनियों में सार्वजनिक शौचालय चलाये जा रहे है। | जी हाँ। |
| ख | यदि हाँ तो सीमापुरी विधान सभा की सीमापुरी, सुन्दर नगरी व नन्द नगरी में विभाग के कुल कितने शौचालय कहां कहां पर है, पूर्ण जानकारी दी जाए। | सीमापुरी विधान सभा की सीमापुरी, सुंदरनगरी व नंद नगरी में विभाग के कुल 19 शौचालय है| सूचि संलग्न है|(अनुलग्नक-क) |
| ग | क्या यह भी सत्य है कि विभाग ने सार्वजनिक शौचालय के रख रखाव का कार्य किसी निजी संस्था को दिया हुआ है। | जी हाँ, विभाग ने सार्वजनिक शौचालय का रखरखाव का कार्य टेंडर द्वारा निजी संस्था को दिया हुआ है| |
| घ | यदि हाँ, तो किस किस संस्थाओ को शौचालयो के रख रखाव की क्या क्या जिमेदारी दी है। | गुड ईयर सिक्योरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था को विभाग द्वारा मार्च 2024 से दो वर्षो के लिए शौचालय के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है| |
| ङ | क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधान सभा की पुनर्वास कालोनी के शौचालयों में हमेशा गन्दगी रहती है तथा रख रखाव पुरी तरह से बद से बदतर है | जी नही, शौचालय की सफाई प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार बार-बार की जाती है।<br>सीमापुरी विधान सभा में शौचालयों से संबंधित कमियों की संख्या वर्ष 2024-2025 में 28 थी अब यह संख्या वर्ष 2025-2026 (31.12.2025 तक) में 12 है।<br>वर्तमान में सीमापुरी विधानसभा की पुनर्वास कालोनियों के शौचालयों में दर्ज शिकायते काफी कम हो गयी है तथा सभी शिकायतो का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाता है| |

| | | |
|---|---|---|
| च | यदि हाँ, तो क्या विभाग का शौचालयों के रख रखाव का कार्य किसी और संस्थाओं को देने का प्रस्ताव है। | अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नही है। |
| छ | यदि हाँ, कब तक, और | लागू नही है। |
| ज | यदि नही तो इसके क्या कारण है? | वर्तमान में सीमापुरी विधानसभा की पुनर्वास कालोनियों के शौचालयों में दर्ज शिकायते काफी कम हो गयी है तथा सभी शिकायतो का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाता है| |

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

## पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट
प्रश्न संख्या : 39
डायरी संख्या : 8/4/214
प्रश्न : तारांकित
दिनांक : 07.01.2026

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी–69) में ई–कबाड़ से संबंधित शिकायतें दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; | हाँ। यह सत्य है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र में ई–कबाड़ से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। |
| ख. | क्या यह भी सत्य है कि मुस्तफाबाद में बहुतायत के रूप में ई–कबाड़ से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो रहा है; | हाँ। यह भी सत्य है कि ई–कबाड़ पर्यावरण को नुकसान होता है। |
| ग. | यदि हां तो पर्यावरण विभाग द्वारा अभी तक उपरोक्त संदर्भ में की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें; | मुस्तफाबाद, बाबू नगर, महालक्ष्मी एन्क्लेव आदि से ई–कचरे के अवैध निपटान, विघटन और जलाने के संबंध में समय–समय पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर, डीपीसीसी के अधिकारियों ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाकर इन अनियमित क्षेत्रों में संचालित ई–कचरा गोदामों को सील कर दिया है। अब तक बाबू नगर, महालक्ष्मी एन्क्लेव, दयालपुर और भागीरथी विहार में 14 गोदाम सील किए जा चुके हैं। सीपीसीबी के ई–कचरे संबंधी पर्यावरण मुआवजा दिशानिर्देशों 09.09.2024 के अनुसार, पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है और जब्त किए गए ई–कचरे को वैज्ञानिक निपटान के लिए सीपीसीबी द्वारा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप दिया गया ळें |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु दिल्ली में एक ई–वेस्ट इको पार्क की स्थापना के माध्यम से एक व्यापक योजना तैयार की गई है।<br>प्रस्तावित ई–वेस्ट इको पार्क का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई–वेस्ट के पुनर्चक्रण हेतु एक औपचारिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रणाली स्थापित करना है। इसे ई–वेस्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त एवं पर्यावरण–अनुकूल प्रसंस्करण के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे परियोजना स्थल अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा सभी लागू पर्यावरणीय मानकों एवं नियामक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।<br>यह परियोजना सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन एवं हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर 30 वर्ष की रियायत अवधि के साथ क्रियान्वित की जाएगी। पर्यावरण विभाग की ओर से दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) परियोजना क्रियान्वयन इकाई के रूप में कार्य करेगा। निजी रियायतधारी द्वारा लगभग ₹250 करोड़ का निवेश किया जाना अपेक्षित है तथा इस चरण में सरकार द्वारा किसी प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान का प्रावधान नहीं किया गया है। |
| घ. | क्या यह भी सत्य है कि ई–कबाड़ को जलाने से पिछले दिनों में लोगों का इन क्षेत्रों से पलायन आज तक जारी है, | इस विषय में विभाग के पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। |
| ड. | उनको रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है; | उपरोक्त (ग) के अनुसार। |
| च. | यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दें; और | उपरोक्त (ड.) के अनुसार। |
| छ. | यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? | |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

विधान सभा तारांकित प्र. स. 40

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री तिलक राम गुप्ता

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क ) | त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने राशन कार्ड धारक है; | त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के अभिलेख (रिकॉर्ड) अनुसार 01.01.2026 दिनांक तक त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र मे कुल 16103 राशन कार्ड धारक है !<br>(AAY-502, PHH-15601 = 16103) |
| ख ) | पिछले 10 वर्ष मे कितने राशन कार्ड धारक इस विधानसभा को छोड़कर चले गये है या उनकी मृत्यु हो गयी है; | उपरोक्त विधानसभा अभिलेखों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 277 कार्डधारकों ने अपने राशन कार्ड त्रिनगर के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सौंप दिए हैं और 51 लोगों की मृत्यु हो गई है, यह संख्या उपरोक्त 277 कार्डधारकों के अलावा है। |
| ग ) | त्रिनगर विधानसभा मे इस समय नये राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी रिक्तिया है; | त्रि नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई विशेष कोटा नहीं है। |
| घ ) | नये राशन कार्ड बनाने के लिए त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने आवेदन प्राप्त हुए है; और | पिछले 10 वर्षों में कुल 3773 e-आवेदन प्राप्त हुए ! |
| ड़ ) | त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगो ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको नए राशन कार्ड कब तक जारी कर दिए जायेंगे ? | वर्तमान में नए राशन कार्ड 'पहले आओ पहले पाओ' प्रणाली का उपयोग करके जारी किए जा रहे हैं, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के लिए एक इकाई के रूप में लागू है। |

# अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या - 111
दिनांक – 07.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम- **श्री जितेंदर महाजन जी (रोहतास नगर)**

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) दिल्ली अभिलेखागार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक कितने रिकार्ड या अभिलेख दिल्ली सरकार या अन्य संस्थाओं से लिए गए? | दिल्ली अभिलेखागार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 22,000 वॉल्यूम कार्यालय उप पंजीयक-I, II, III, IV एवं V, दिल्ली तथा तिहाड़ जेल, दिल्ली से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, विभाग को पद्मश्री क्षेम चंद सुमन और श्री सुरेन्द्र मोहन पाठक का निजी संग्रह भी प्राप्त हुए है। |
| (ख) अब तक कितने अभिलेखों का डिजिटलाइज कर दिए गया है, इनको डिजिटलाइज करने में कितना पैसा खर्च किया जा चुका है? | दिल्ली अभिलेखागार द्वारा वर्ष 2021 में Digitization and Microfilming of Archival Records प्रोजेक्ट के तहत 4 करोड़ अभिलेखीय पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि 29.49 करोड़ रुपये थी। |
| (ग) इन अभिलेखों को आम जनता द्वारा सुगमता से हासिल करने के लिए क्या जानकारी उपलब्ध कराई गई है? | इस कार्य हेतु दिल्ली अभिलेखागार विभाग द्वारा ई-अभिलेख पोर्टल को सफलतापूर्वक जनता को समर्पित किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क पंजीकरण कर अपनी आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त कर सकता है। |
| (घ) क्या इन अभिलेखों को देखने पर आम जनता तक जानकारी देने के लिए कोई विज्ञापन दिया गया है? | हाँ। |
| (ड.) यदि हां, तो कितनी बार और इस पर कितना खर्च किया गया है? | इस विज्ञापन प्रक्रिया का पूर्ण खर्च DIP (Directorate of Information of Publicity, GNCTD) के द्वारा वहन किया गया था तथा जिसकी अनुमानित राशि लगभग ₹ 48,32,412/- थी। |
| (च) इन अभिलेखों की देख-रेख के लिए कितने लोगों की नियुक्ति की गई है, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पेय स्केल सहित जानकारी प्रदान करे? | वांछित सूचना अनुलग्नक– क पर संलग्न है। |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

**तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या :** 112

**दिनांक :** 07.01.2026

**प्रश्नकर्ता का नाम :** श्री संजीव झा जी

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| प्रश्न संख्या 112 | अतारांकित प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | दिनांक 8 फरवरी 2025 से 28 दिसम्बर 2025 तक पर्यटन विभाग, डीटीटीडीसी, कला,संस्कृति व भाषा विभाग, साहित्य कला परिषद् और सभी राज्य भाषा अकादमियों द्वारा आयोजित, प्रायोजित सह-प्रायोजित उत्सवों, सांस्कृतिक कार्यकर्मों, प्रदर्शनियों व अन्य कार्यकर्मों की एक सम्पूर्ण सूची प्रदान करें, जिसमें कार्यक्रम का नाम, सम्बंधित विभाग/ अकादमी/एजेंसी का नाम, कार्यक्रम की तिथि व सटीक समय, आयोजन स्थल, जैसे सेंट्रल पार्क, मंडी हाउस, दिल्ली हाट, आदि भी बताएं; | दिनांक फरवरी 2025 से 28 दिसम्बर 2025 तक 8 पर्यटन विभाग, डीटीटीडीसी, कला,संस्कृति व भाषा विभाग, साहित्य कला परिषद् और सभी राज्य भाषा अकादमियों द्वारा आयोजित, प्रायोजित सह-रायोजित उत्सवों, सांस्कृतिक कार्यकर्मों, प्रदर्शनियों्प व अन्य कार्यकर्मों की एक सम्पूर्ण सूची इस प्रकार है :-<br><br>(i) दिल्ली अभिलेखागार विभाग (अनुलग्नक 'क' पर)<br><br>(ii) पुरातत्व विभाग (अनुलग्नक 'ख" पर)<br><br>(iii) साहित्य कला परिषद (अनुलग्नक 'ग' पर)<br><br>(iv) डा० गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिस्ठान (अनुलग्नक 'घ' पर)<br><br>(v) पंजाबी अकादेमी (अनुलग्नक 'ड़' पर)<br><br>(vi) संस्कृत अकादेमी (अनुलग्नक 'च' पर)<br><br>(vii) मैथिली भोजपुरी अकादेमी (अनुलग्नक 'छ' पर)<br><br>(viii) सिन्धी अकादेमी (अनुलग्नक 'ज' पर)<br><br>(ix) हिन्दी अकादेमी (अनुलग्नक 'झ' पर)<br><br>(x) गढ़वाली कुमाओनी एवं जौनसारी अकादेमी (अनुलग्नक 'त' पर)<br><br>(xi) उर्दू अकादेमी (अनुलग्नक 'थ' पर)<br><br>(xii) दिल्ली पर्यटन विभाग और डीटीटीडीसी (अनुलग्नक 'द' पर) |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | उक्त कार्यकर्मों के सम्बन्ध में जारी कार्यादेश अथवा अनुबंध जिस एजेंसी/ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी/वेंडर को जारी किए गए उनका नाम बताएं, यह भी बताएं कि इन वेंडर्स को खुली निविदा के द्वारा चुना गया था अथवा किसी सीमित जांच प्रक्रिया के द्वारा चुना गया था; | उपरोकतानुसार \| |
| (ग) | उक्त कार्यकर्मों में से प्रत्येक पर किया गया कुल खर्चे तथा कलाकारों को दी गई राशि, प्रस्तुतिकरण व बुनियादी ढांचे पर किया गया व्यय, प्रचार व विज्ञापन पर किया गया खर्च अलग-अलग भी सम्मिलित हो; और | उपरोकतानुसार \| |
| (घ) | निजी निकायों अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा उक्त अवधि में आयोजित जिन कार्यकर्मों को सरकार द्वारा सह – प्रायोजित किया गया, उनमें दिल्ली सरकार द्वारा किए गए वितीय सहयोग की राशि, तथा इस प्रकार के सह-प्रायोजन के लिए जिन मानदंडों का प्रयोग किया गया, उनका विवरण भी दें ? | उपरोकतानुसार \| |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध|

**तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या :** 113

**दिनांक :** 07.01.2026

**प्रश्नकर्ता का नाम :** श्री प्रेम चौहान जी

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| **प्रश्न संख्या 113** | **अतारांकित प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष 2025 में लाल किला पर व दिल्ली के अन्य स्थलों पर आयोजित गुरु तेग बहादुर जी की 350 वीं जयंती समारोहों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली | वर्ष 2025 में श्री गुरू तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्ष गांठ के परिपेक्ष्य में, दिल्ली के लाल किला व विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों की स्वीकृत राशि एवं खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:<br>**क्रम संख्या** **प्रोग्राम का विवरण** **स्वीकृत बजट** **व्यय राशि**<br>1. सर्व धर्म सम्मलेन 57.82 लाख 9,44,000 |

| | | |
|---|---|---|
| | सरकार द्वारा स्वीकृति धनराशि और वास्तव में खर्च की गई धनराशि क्या थी; | 2. लाल किले पर मेगा इवेंट 24.50 करोड़ 10,12,00,000<br>(अब तक)<br>इस राशि की स्वीकृति माननीय मंत्री, कला, भाषा एवं संस्कृति, तथा वित विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई है। यह प्रोगराम माननीय मंत्री मण्डल के फैसले सख्यां 3224 दिनांक 08.07.2025 के अनुसार की गई है। |
| (ख) | विभाग व विभिन्न भाषा अकादमियों, विशेषकर पंजाबी अकादमी द्वारा आयोजित या प्रायोजित इन सभी कार्यकर्मों, जैसे कीर्तन दरबार, लाइट एंड साउंड शो, सेमिनार आदि की सूची उनके आयोजन स्थलों सहित प्रदान करें; | विभाग द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रमों में विभिन्न आयोजनों की सूची, जिस का अनुमोदन माननीय मंत्री ACL द्वारा दिया गया था, आयोजित स्थल सहित निम्नलिखित है :-<br>1. मेगा कीर्तन दरबार (23-25 नवम्बर, 2025) : 15 अगस्त पार्क, लाल किला , नई दिल्ली<br>2. लाइट एंड साउंड शो (19-25 नवम्बर, 2025): ज्ञान पथ, लाल किला, नई दिल्ली<br>3. संग्रहालय (19-25 नवम्बर, 2025) : 15 अगस्त पार्क, लाल किला , नई दिल्ली<br>4. लंगर टेंट (23-25 नवम्बर, 2025): 15 अगस्त पार्क, लाल किला , नई दिल्ली<br>5. टेंट सिटी (23-25 नवम्बर, 2025): माधव दास पार्क, लाल किला, नई दिल्ली<br>6. अन्तर धार्मिक सम्मलेन (20 सितम्बर, 2025): आई सी ए आर कन्वेंशन सेंटर, पूसा रोड, टोडापुर नई दिल्ली<br>अनुमोदन की प्रति संलग्न है |
| (ग) | लालकिला पर आयोजित कार्यक्रम के लिए अनुबंधित इवेंट मैनेजमेंट एजेंसीयों, कैटरिंग फर्मों व प्रोडक्शन हाउसों का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें, जिसमें प्रत्येक | कैबिनेट निर्णय संख्या 3242 दिनांक 21.08.2025 के अनुसार, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के आयोजन कार्यान्वयन का कार्य माननीय मंत्री की स्वीकृति के उपरांत **शुरू से आखिर तक** (Turnkey Basis) के आधार पर DTTDC को प्रदान किया गया था । स्वीकृति की प्रति संलग्न है। संपूर्ण कार्य DTTDC की पैनल में सूचीबद्ध इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, M/s प्रोजेक्शन सिस्टम्स को |

| | | |
|---|---|---|
| | एजेंसी का नाम व पंजीकृत कार्यालय, उन एजेंसीयों को सौंपा गया विशिष्ट कार्य जैसे मंच सज्जा, साउंड-लाइट, सीटिंग आदि का विवरण भी सम्मिलित हो; | DTTDC द्वारा प्रदान किया गया। एजेंसी का पता इस प्रकार है: A-47, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-8, द्वारका, सीआरपीएफ रोड, नई दिल्ली-110077 |
| (घ) | प्रत्येक एजेंसी को दी गई या देने के लिए अनुबंधित राशि तथा क्या इन एजेंसीयों का चयन खुली निविदा के आधार पर किया गया था या इन्हें सीमित टेंडरिंग/नामांकन के द्वारा चुना गया था; | DTTDC द्वारा कार्य आदेश "**शुरू से आखिर तक**" के आधार पर M/s प्रोजेक्शन सिस्टम को कुल लागत ₹21,81,22,007/- (जीएसटी को छोड़कर) पर प्रदान किया गया। DTTDC के पास 33 इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों का पैनल है। आरएफपी सभी पैनल में शामिल एजेंसियों को प्रसारित की गई। चयन उन एजेंसियों में से किया गया जिन्होंने अपनी निविदाएँ प्रस्तुत कीं। |
| (ड.) | यदि चयन पद्धति खुली निविदा के आधार पर नहीं थी तो उसके लिए क्या प्रसासनिक औचित्य था; | उपरोक्त के अनुसार। |
| (च) | लालकिला पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो अथवा डिज़िटल पर्दर्शनी की तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी दें, जिसमें प्रदर्शन (शो) की अवधि व किए गए प्रदर्शनों की संख्या सम्मिलित हो; | <u>**तकनीकी दृष्टिकोण**</u> **:-**<br>1. **प्रोजेक्शन मैपिंग:** उच्च ल्यूमेन प्रोजेक्टरों का उपयोग कर लाल किले के अग्रभाग पर बिना किसी भौतिक परिवर्तन के सजीव 3D प्रभाव सृजित करना।<br>2. **ध्वनि डिज़ाइन:** पेशेवर रूप से मास्टर किया गया ट्रैक, सराउंड ऑडियो ज़ोन के साथ; गुरबाणी पाठ, कथात्मक वॉयसओवर तथा प्रामाणिक संगीत पर विशेष जोर।<br>3. **दृश्य शैली:**<br>a. अभिलेखीय स्केच, चित्रकला एवं काल-विशेष की पुनर्रचनाएँ।<br>b. गुरबाणी श्लोकों की सुलेख कला। |

| | | |
|---|---|---|
| | | c. आध्यात्मिकताको उभारने हेतु सूक्ष्म एनीमेशन (प्रकाश किरणें, प्रतीकात्मकमोटिफ़)।<br><br>**अवधि:** प्रति शो लगभग 16 मिनट, (सायंकालीन 7:00 बजे से 10:00 बजे के बीच)। |
| (छ) | क्या यह सत्य है कि कुछ निजी संगठनों या धार्मिक निकायों को इन समारोहों के लिए सीधे सहायता अनुदान राशि दी गई, ऐसे सभी संगठनों का नाम और प्रत्येक कू दी गई सहायता राशि की जानकारी दें; | 4. इस विषय में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा पंजाबी अकादमी ने किसी भी धार्मिक संस्था एवं निजी संस्था को कोई सहायता राशि प्रदान नही की गयी |
| (ज) | 350 वें जयंती समारोहों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण फाइल नोटिंग्स, वित्त विभाग से वित्तीय अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराएं; और | प्रति संलग्न है |
| (झ) | विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर जी की 350 वीं जयंती समारोहों के लिए विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय हुआ ? | पंजाबी अकादमी एवं कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने विज्ञापन पर अपने बजट से कुछ भी खर्च नहीं किया था। यद्धपि विज्ञापन संबंधी सारे खर्चो का वहन सूचना एवं प्रसार निदेशालय, दिल्ली सरकार ने किया था। |
| | | |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

| क्रम.सं | प्रश्न सं. - 114 | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष 2025 में कांवड़ यात्रा हेतु अस्थाई स्वागत द्वार बनाने, उनके रखरखाव व बाद में उन्हें हटाने पर पर्यटन तथा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग अथवा विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; | अस्थाई स्वागत द्वारों के निर्माण, उनके रखरखाव तथा यात्रा उपरांत उन्हें हटाने से संबंधित व्यय नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वहन किया गया। कुल व्यय का विवरण समेकित रूप में संधारित नहीं किया जाता, क्योंकि यह राशि विभिन्न मदों और कार्यों के अंतर्गत वितरित रही। |
| (ख) | रा.रा.क्षे.दिल्ली में इस प्रकार के कितने स्वागत द्वार लगाए गए और किन स्थानों पर लगाए गए; | सूची संलग्न है। |
| (ग) | इन स्वागत द्वारों की संरचना व इन्हें लगाने के लिए उत्तरदायी एजेंसियों का संपूर्ण विवरण, जिसमें वेंडर का नाम व पंजीकृत कार्यालय, अनुबंध निविदा द्वारा दिया गया या नामांकन द्वारा, प्रत्येक एजेंसी को दी गई धनराशि भी सम्मिलित हो; | उपरोक्त |
| (घ) | इन स्वागत द्वारों की तकनीकी विशिष्टताओं को दर्शाने वाले टेंडर दस्तावेजों तथा कार्यादेशों की प्रतियां भी प्रदान करें, जिनमें इन द्वारों में प्रयुक्त सामग्री, इनकी ऊंचाई व चैड़ाई, वायु-भार व संरचनात्मक स्थायित्व संबंधी सुरक्षा प्रमाणन का विवरण भी सम्मिलित हो; | उपरोक्त |
| (ङ) | क्या यह सत्य है कि कुछ द्वारों का निर्माण ज्वलनशील सामग्री से किया गया था? यदि हां तो इनको लगाए जाने के पहले कैसा अग्नि-सुरक्षा ऑडिट किया गया था और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका था; | जी नहीं। |
| (च) | स्थाई द्वारों पर किए गए खर्च का क्या औचित्य है जबकि इस राशि का प्रयोग स्थाई बुनियादी संरचना सरकार के सुधार व तीर्थयात्रियों के भोजन व बाढ़ नियंत्रण पर किया जा सकता था; और | सरकार द्वारा स्थाई द्वारों के निर्माण से संबंधित व्यय निर्णय समग्र प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक सुविधा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। |
| (छ) | पर्यटन विभाग से इन स्वागत द्वारों के बजट और डिजाइन की मंजूरी से संबंधित सभी फाइल नोटिंग और पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध कराये ? | स्वागत द्वारों का डिजाइन काँवर यात्रा पर आधारित था। |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

**अतारांकित प्रश्न संख्या-115 दिनांक 07-01-2026 के लिए|**

| क्रम. सं | प्रश्न सं - 115 | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष 2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डी.टी.टी.टी.डी.सी., एस.के.पी., भाषा अकादमियों आदि सहित रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा आयोजित समारोहों, कार्यक्रमों की पूरी सूची प्रदान करें; | सामान्य प्रशासन विभाग के नेतृत्व में अन्य कई विभागों,विशेषकर शिक्षा विभाग, के सहयोग से छत्रसाल स्टेडियम में राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ जिसमें माननीया मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थीं। डी.टी.टी.टी.डी.सी., एस.के.पी.तथा भाषा अकादमियों एक अलग स्वतंत्र विभाग/कार्यालय हैं\| |
| (ख) | उपर्युक्त प्रत्येक कार्यक्रम का नाम व प्रकृति, दिन व समय, सटीक आयोजन स्थल, आयोजनकर्ता/धनप्रदाता मूल विभाग व इनमें भाग लेने वाले/उपस्थित व्यक्तियों की अनुमानित अथवा वास्तविक संख्या; | छत्रसाल स्टेडियम में सा.प्र.वि. के समारोह में लगभग 10,000 बच्चे तथा 1100 शिक्षक, अधिकारीगण, पुलिसकर्मी आदि सम्मिलित हुए। |
| (ग) | क्या अगस्त 2025 में दिल्ली विधानसभा भवन परिसर में कोई विशेष सांस्कृतिक आयोजन आम जनता के लिए किया गया था, यदि हां तो प्रस्तुतियों (जैसे साहित्य कला परिषद के कार्यक्रम) की व आगंतुकों की संख्या; | सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित नहीं । |
| (घ) | दिल्ली सरकार के सभी विभागों में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था; | सामान्य प्रशासन विभाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बजट का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। |
| (ड) | इन समारोहों पर दिल्ली सरकार द्वारा जितना खर्चा किया गया उसका विस्तृत वर्गीकृत विवरण प्रदान करें, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों व कलाकारों का शुल्क, 'हर घर तिरंगा' अभियान पर होने वाला खर्च, झंडा वितरण के खर्च सहित; | सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 पर लगभग 20 लाख रूपए की राशि व्यय की गयी\| |
| (च) | सरकारी भवनों व प्रमुख स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था पर किया गया व्यय तथा सुरक्षा व यातायात प्रबंधन पर होने वाला व्यय; | सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| (छ) | इन कार्यक्रमों के आयोजन या प्रबंधन के लिए बाहरी वेंडरों व एजेंसियों को दिए गए सभी अनुबंधों का विवरण, जिसमें प्रत्येक का नाम, उन्हें सौंपा गया कार्य व प्रत्येक को किए गए भुगतान की जानकारी सम्मिलित हो; और | उपरोक्त (च) के कारण लागू नहीं। |
| (ज) | 2025 के स्वतंत्रता दिवस आयोजनों के संबंध में संपूर्ण पत्राचार की व आवंटित व व्यय की गई राशियों से संबधित सैंक्शन ऑर्डर्स की प्रतियां उपलब्ध कराएं? | उपरोक्त (ड)। |

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 116

दिनांक :- 06.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री करनैल सिंह, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

| अ. क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीमेंट साइडिंग क्षेत्र में बने हुए अस्थायी झुग्गी-झोपड़ियों में अभी तक सरकार द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था है और भविष्य में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें ? | शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीमेंट साइडिंग क्षेत्र में बने हुए अस्थायी झुग्गी-झोपड़ियों में वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकरों के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसका उपयोग सीधे पेयजल के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ए- ब्लॉक में एक आर.ओ. (RO) प्लांट भी स्थापित किया गया है, जिसका पानी भी पीने के लिए उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग जैसे कि स्नान, बर्तन धोना, कपड़े धोना, शौचालय में उपयोग आदि के लिए ट्यूबवेल और हैंड पंप के पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह भूमि रेल मंत्रालय के अधीन है, अतः इस क्षेत्र में पाइपलाइन डालना संभव नहीं है। |

अतारांकित प्रश्न सख्या- 117 8/4/170

दिनांक 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः-श्री वीर सिंह धिंगान, माननीय विधायक

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधान सभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कुछ खाली जमीन पड़ी है | जी हाँ। |
| ख) | यदि हाँ, तो विधान सभा में कुल कितनी जमीन कहां-कहां खाली पड़ी है, ब्लॉक वाईज जानकारी दी जाए। | सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-क) |
| ग) | क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा सीमापुरी विधान सभा में कुछ पार्किंग भी चलाई जा रही है। | जी हाँ। |
| घ) | यदि हाँ, तो क्षेत्र में कुल कितनी पार्किंग कहां-कहां चलाई जा रही है। | सीमापुरी विधान सभा में कुल 4 पार्किंग चलाई जा रही है। सूची संलग्न है। अनुलग्नक-ख) |
| ड) | क्या यह भी सत्य नही है कि पुनर्वास कॉलोनियों में पार्किंग बनाने की अधिक आवश्यकता है। | डूसिब के पास कोई निर्दिष्ट पार्किंग साइट नही है। यह सिर्फ खाली जमीन को अनाधिकृत कब्जे से सुरक्षा / बचाव के लिए अस्थाई रूप से आवंटन करता है। |
| च) | यदि हाँ, तो विभाग उक्त मुद्दे पर क्या कार्यवाही कर रहा है, विस्तृत जानकारी दिलाई जाये। | उपरोक्त (ड) के अनुसार। |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रषित किया जाता हैं।

अतारांकित प्रश्न सख्या- 118 8/4/224

दिनांक 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- श्री अनिल गोयल, माननीय विधायक

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | कृष्णा नगर विधान सभा में डूसिब के शौचालयों में वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत है, और कितने नियमानुसार कर्मचारी होने चाहिए; | कृष्णा नगर विधानसभा में DUSIB के शौचालयो में वर्तमान में टेंडर प्रणाली के माध्यम से एजेंसियो द्वारा सफाई कर्मचारी कार्यरत है और नियमानुसार 7 केयरटेकर और 16 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। |

| | | |
|---|---|---|
| ख) | क्या इन शौचालयों में समय-समय पर सफाई का पूरा समय उपलब्ध कराया जाता है; | जी हां, इन शौचालयों में टेंडर नियमानुसार एजेंसियो द्वारा समय-समय पर सफाई का सामान उपलब्ध कराया जाता है। |
| ग) | क्या कोई निगरानी अधिकारी है, और उनका कोई रोस्टर है। | जी हां,प्रत्येक शौचालय में टेंडर के नियमानुसार एजेंसी द्वारा निगरानी अधिकारी नियुक्त किये गए है और उनका roaster भी है। |
| घ) | क्या वहां पर कर्मचारी का कोई डयूटी रोस्टर और Grievance Redressal का कोई नम्बर लिखा है; | जी हां, शौचालयों में टेंडर के नियमानुसार एजेंसियो द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर है और DUSIB में Grievance Redressal प्रक्रिया है, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निराकरण किया जाता है। |
| ड) | क्या सफाई कर्मचारियों को उनके सेफ्टी का सामान जैसे-गमबूटस, ग्लोब्स आदि उपलब्ध कराये जाते है, यदि नही तो इसके क्या कारण है; | जी हां, टेंडर के नियमानुसार एजेंसियो द्वारा सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी का सामान उपलब्ध कराया जाता है। |
| च) | यदि हाँ, तो इनका फोटो सहित विवरण दे; | |
| छ) | क्या कृष्णा नगर विधान सभा के शौचालयों में तैनात ठेकेदार की लापरवाही की कोई कम्पलेंट आई है, और | DUSIB में Grievance Redressal प्रक्रिया है, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निराकरण किया जाता है। |
| ज) | यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है,उसका विवरण दे? | |

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्याः-119 8/4/303

दिनांक 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- श्री तिलक राम गुप्ता, माननीय विधायक

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डीयूएसआईबी द्वारा वर्ष 2024-2025 के दौरान किये गये सभी कार्य का विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये; और | त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डूसिब द्वारा वर्ष 2024-2025 के दौरान किए गए सभी कार्य की विस्तृत जानकारी की प्रतिलिपी संलग्न है। (अनुलग्नक-क) |
| ख) | नये वर्ष 2025-2026 में जो कार्य चल रहे है, वे सूचारू रूप से किये | नए वर्ष 2025-2026 में जो कार्य चल रहे है वह सूचारू रूप से किये जा रहे है तथा |

| | | |
|---|---|---|
| | जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है? | विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाती है। |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रषित किया जाता हैं।

अतारांकित प्रश्न सख्या-120 8/4/341

दिनांक 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नामः- श्री अशोक गोयल, माननीय विधायक

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | पिछले पांच सालों में डूसिब ने मॉडल टॉउन विधान सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न झुग्गी कलस्टरों में क्या-क्या काम किया गया, पूर्ण विवरण दें। | मॉडल टॉउन विधान सभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा गलियों, नालियों, शौचालयों एवं बस्ती विकास केन्द्रों का कार्य विभिन्न जेजे कलस्टरों में करवाया गया। मॉडल टॉउन विधान सभा के पिछले पाँच वर्षों के कार्यों की सूची संलग्न है।(अनुलग्नक-क) |
| ख) | क्या यह सत्य है कि मॉडल टॉउन विधान सभा क्षेत्र के सभी कलस्टरों की स्थिति दयनीय है, और | मॉडल टॉउन के सभी जेजे कलस्टरों में विकास के कार्य दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा समय-समय पर करवाये जाते है। जेजे कलस्टरों के कार्य प्रगति पर है तथा कुछ के कार्य पूर्ण हो चुके है।मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे एंव प्रस्तावित कार्यों की सूची संलग्न है।(अनुलग्न -ख) |
| ग) | पिछले पांच वर्षो में पूरी दिल्ली के झुग्गी कलस्टरों के रख रखाव एवं विकास के लिए सरकार ने कुल कितने पैसे खर्च किये गये, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र अनुसार वर्ष वार विवरण दे? | पाँच वर्षों के कार्य की सूची संल्ग्न है। (अनुलग्न-ग) |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

## यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 121

दिनांक :– 07/01/2026

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री, कैलाश गंगवाल ( मादीपुर)

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के वोटर कार्ड रखने वाले लोगो की समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं: और | ऐसे मामलो में लोक प्र तिनिधित्व अधिनियम १९५० के प्रावधानों के तहत नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है \| |
| खः | दो-दो वोटर कार्ड की वजह से दो-दो राज्यों में सभी सुविधाएं ले रहे लोगो पर रोक लगाने हेतु सरकार की क्या योजना है ? | इस विभाग से सम्बंधित नहीं है \| |

अतारांकित प्रश्न सं.–122

दिनांक :– 07/01/2026

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री, कैलाश गंगवाल ( मादीपुर)

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध शरणार्थी या घुसपैठियों से निपटने की सरकार की क्या योजना है ; | इस विभाग से सम्बंधित नहीं है \| |
| खः | जिस एजेंसी या व्यक्तियों ने इनके आधार या वोटर कार्ड बनाये थे क्या | इस विभाग से सम्बंधित नहीं है \| |

| | | |
|---|---|---|
| | उनपर क्या सख्त कार्यवाही करने की सरकार की कोई योजना है ; | |
| ग | क्या सरकार अवैध शरणार्थियों के आधार कार्ड या वोटर कार्ड जब्त करेगी; और | ऐसी कोई भी जानकारी संज्ञान में आने पर सम्बंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है। |
| घः | अवैध घुसपैठियों से उत्पन्न समस्या के स्थाई समाधान हेतु क्या सरकार गंभीरता से विचार कर रही है ? | इस विभाग से सम्बंधित नहीं है। |

अतारांकित प्रश्न सं.–123
दिनांक :– 07/01/2026
प्रश्नकर्त्ता का नाम :–श्री मोहन सिंह बिष्ट, (मुस्तफाबाद)
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्रम | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र (एसी-69) में अधिकतर मतदाता जो अन्य जगह रहते है क्या उनका भी पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा बना दिया गया है। | मतदाता पहचान पत्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाया जाता है । |
| ख | यदि हाँ तो इसके क्या कारण है पूर्व विवरण दे। | उतर (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्न नही उठता। |
| ग | क्या यह भी सत्य है की हाल ही में SIR प्रकिया के तहत वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। | जी नहीं।<br>आज दिनांक 02-01-2026 तक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में SIR की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई है। |
| घ | यदि हाँ तो बी एल ओ के रूप में वोटर लिस्ट को चेक करने तथा फर्जी नामों को काटने के लिए जिन बी एल ओ को यह काम दिया जा रहा है क्या | उतर (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। |

| | | |
|---|---|---|
| | वह एक ही समाज से संबंध रखते है तथा वहाँ के निवासी भी नहीं है पूर्ण विवरण दें। | |
| ड | क्या बी एल ओ नियुक्त करते समय उनकी जांच पडताल तथा संबंधित विधान सभा में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। | विधानासभा क्षेत्र में बी. एल. ओ. की नियुक्ति प्रकिया चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाती है । |
| च | क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों के अन्तर्गत एसी 69 में जो गेस्ट टीचर इस कार्य के लिए लगाये गये थे उनको भी वोट पंजीकरण में लगे होने के कारण मेमो दिए जा रहे है । | बी. एल. ओ. की नियुक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुमानुसार की जाती है । बी. एल. ओ. का कार्य प्रशिक्षण के बावजूद भी सन्तोषजनक नहीं होने के कारण कुछ बी. एल. ओ. को कारण बताओ नोटिस, प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया गया है । |
| छ | यदि हाँ तो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष केसे रहेगी पूर्ण विवरण दें । | उतर (च) के परिपेक्ष्य में, यह कारण बताओ नोटिस पूर्णतः प्रशासनिक प्रकिया के अतर्गत दिया गया है । विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन अक्षरक्षतः किया जाता है । |

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

**प्रश्नकर्ता का नाम : श्री हरिश खुराना**
**प्रश्न संख्या : 124**
**डायरी संख्या : 8/4/16**
**प्रश्न : अतारांकित**
**दिनांक : 07.01.2026**

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें किः–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | 1 जनवरी 2014 से अब तक के दिल्ली के AQI आंकड़े वर्षवार व महीने वार आधार पर बताएं; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक–'क'** में उपलब्ध है। |
| ख. | उक्त अवधि के लिए दिल्ली में सभी कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशनों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़े स्टेशनवार आधार पर प्रदान करें; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार सभी कंटीन्युअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशनों (CAAQMS) से डेटा को सीपीसीबी के सर्वर पर लगातार भेजती है, और सीपीसीबी इसी डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना करता है, (विस्तृत जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है) https://airquality.cpcb.gov.in/ccr/#/caaqm-dashboard-all/caaqm-landing |
| ग. | वर्ष 2014 से अब तक की, PM2.5 PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3, Pb प्रदूषकों के संबंध में, प्रदूषक वार वार्षिक औसत सघनता स्तर की जानकारी प्रदान करे; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक–'ख'** में उपलब्ध है। |
| घ. | वर्ष 2014 से अब तक एक्यूआई की गुड, सेटिस्फेक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वैरी पुअर, सीविअर श्रेणी की जानकारी वर्षवार गणना उपलब्ध कराएं; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक–'ग'** में उपलब्ध है। |
| ङ. | वर्ष 2014 से अब तक डीपीसीसी/सीपीसीबी द्वारा दिल्ली के लिए वार्षिक वायु गुणवत्ता के प्रकाशित आंकड़ों की प्रति उपलब्ध कराएं; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार वार्षिक वायु गुणवत्ता आंकड़ें सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित किए जाते है। |
| च. | वर्ष 2014 के बाद से एक्यूआई मापने की पद्धति, निगरानी मानकों, निगरानी स्टेशनों की संख्या अथवा डेटा गणना | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार अक्टूबर एवं नवंबर 2017 में 20 निगरानी स्टेशन स्थापित हुए और वर्तमान में |

**MANISH CHANDRA VERMA, DANICS**
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

| | | |
|---|---|---|
| | पद्धति में यदि कोई बदलाव हुआ है तो उसकी जानकारी दें व बदलाव के क्रियान्वयन की तिथि भी बताएं; | कुल 24 निगरानी स्टेशन सक्रिय है। |
| **छ.** | वर्ष 2014 से अब तक की जोन (नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल व एनसीआर) के आधार पर एक्यूआई औसत बताए; और | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार जोन (नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल व एनसीआर) के आधार पर एक्यूआई औसत आकड़ें डीपीसीसी द्वारा जारी नही किये जाते। |
| **ज.** | वर्ष 2014 के बाद से उच्चतम प्रदूषण प्रकरणों का विवरण दें, जिसमें उच्चतम दर्ज एक्यूआई, तिथि व स्थान, प्रमुख प्रदूषकों की जानकारी सम्मिलित हो; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार यह वायु प्रयोगशाला, डी.पी.सी.सी में उपलब्ध नही है। |
| **झ.** | उक्त अवधि के लिए अनुपलब्ध आंकड़ों, बंद पड़े निगरानी स्टेशनों व इनकी अवधि व कारण भी बताएं; और | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार<br>डी.पी.सी.सी 04 स्टेशन (अवधि):<br>मंदिर मार्ग (जुलाई–अगस्त 2016)<br>आर.के. पुरम (मार्च –अप्रैल 2017)<br>पंजाबी बाग (अप्रैल–मई 2017)<br>आनंद विहार (जुलाई–अगस्त 2018)<br>कारण: रखरखाव कार्य/मरम्मत कार्य<br><br>डी.पी.सी.सी 20 स्टेशन (फरवरी 2018 से नवंबर 2018):<br>कारण: पर्यावरण विभाग (DoE) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अक्टूबर 2017 में लगाए गए 20 स्टेशनों में से कुछ फरवरी 2018 से नवंबर 2018 के बीच शुरू हुए, और चूंकि स्टेशन अंशांकन (calibration) और स्थिरीकरण (stabilization) के अधीन थे, इसलिए वे AQI उत्पन्न करने के लिए जुड़े नहीं थे। |
| ञ. | उक्त अवधि के दौरान एक्यूआई रुझानों के आधार पर डीपीसीसी/सीपीसीबी द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण प्रदान करें? | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में समय–समय पर ग्रडेड रीस्पान्स एक्शन प्लान के तहत एक्शन लिए जाते रहे है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री हरिश खुराना
प्रश्न संख्या : 125
डायरी संख्या : 8/4/49
प्रश्न : अतारांकित
दिनांक : 07.01.2026

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | वर्ष 2015 के बाद से दिल्ली सरकार द्वारा अब तक जारी की गई, लागू की गई प्रदूषण नियंत्रण/शमन योजनाए, जिसमें श्ओड इवन ट्रैफिक स्कीमश, स्मॉग टावर्स, पराली जलाने हेतु बायो–डीकपोजर और स्मॉग गन/वाटर स्प्रिंकलिंग, वायु प्रदूषण पर जागरूकता अभियान का भी विवरण हो, परंतु यह विवरण केवल इन योजनाओं तक ही सीमित न हो; | दिल्ली सरकार द्वारा अब तक जारी की गई, लागू की गई वायु प्रदूषण नियंत्रण/शमन योजनाए :<br>• निरंतर वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी – दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा वास्तविक समय के आधार पर 8 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों, यथा PM2.5, PM10, $SO_2$, $NO_2$, CO, $NH_3$, $O_3$ एवं बेंजीन की निगरानी 24 real time ambient air quality monitoring stations द्वारा की जा रही है। निगरानी नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु, नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र (CAAQMS) की स्थापना के लिए निम्नलिखित 6 नए स्थलों की पहचान की गई है।<br>• समग्र कार्ययोजना (Comprehensive Action Plan – CAP) – राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के तहत दिल्ली के संबंध में वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (AQMC) द्वारा वर्ष 2018 में CAP तैयार की गई थी, जिसे सभी संबंधित हितधारकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को प्रस्तुत की जा रही है।<br>• तंदूरों से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.09.2018 के माध्यम से कोयला आधारित तंदूरों को विद्युत अथवा गैस आधारित तंदूरों से प्रतिस्थापित/रूपांतरित करने के लिए रेस्टोरेंट/ईटिंग आउटलेट/बैंक्वेट हॉल/होटलों को तंदूर की लागत का 50% अथवा अधिकतम ₹5,000/– प्रति तंदूर (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति |
| ख. | उक्त सभी प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं में से प्रत्येक के लिए आवंटित बजट व वास्तविक व्यय की गई राशि; | |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रदान की गई थी। यह भुगतान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा संधारित एयर एम्बिएंस फंड से किया जाना था।<br>• वर्ष 2018–19 में दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों तथा पुनर्विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) अपनाने हेतु प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति भी दी गई थी। उक्त भुगतान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एयर एम्बिएंस फंड से किया जाना था।<br><br>Source Apportionment and Forecasting for Advance Air Pollution Management in Delhi on real time basis : वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान हेतु यह परियोजना आईआईटी–कानपुर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल द्वारा अपने निर्णय संख्या 3011 दिनांक 08.07.2021 के माध्यम से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना की कुल लागत ₹12.727 करोड़ (रुपये बारह करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) तथा लागू कर अतिरिक्त है।<br>• Control of Sources of Air Pollution at source level – वर्ष 2019 में दिल्ली में PM2.5 एवं PM10 की वार्षिक सांद्रता के आधार पर 13 हॉटस्पॉट, यथा आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, मुंडका, जहांगीरपुरी, नरेला, ओखला, पंजाबी बाग, आर.के. पुरम, रोहिणी, विवेक विहार एवं वजीरपुर की पहचान की गई थी तथा इन क्षेत्रों में विशिष्ट शमन उपायों पर कार्यवाही की जा रही है।<br>• Summer Action Plan, 2023 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 01.05.2023 से ग्रीष्म ऋतु के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 14–बिंदुओं वाली "समर एक्शन प्लान, 2023" प्रारंभ की गई, जिसे दिल्ली सरकार के विभिन्न हितधारक विभागों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया।<br><br>14–बिंदुओं वाली ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना, 2023 में निम्नलिखित बिंदु शामिल थे:<br>• धूल प्रदूषण नियंत्रण<br>• औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण<br>• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>• वृक्षारोपण अभियान |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | • वृक्ष प्रत्यारोपण नीति<br>• वास्तविक समय स्रोत निर्धारण अध्ययन<br>• खुले में कचरा/अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध<br>• सिटी फॉरेस्ट का विकास<br>• शहरी कृषि<br>• दिल्ली में झीलोंध्तालाबों का विकास<br>• दिल्ली में पार्कों (हरित पार्क) का विकास<br>• ई–वेस्ट ईको–पार्क<br>• विद्यालयों/महाविद्यालयों में ईको–क्लब गतिविधियाँ<br>• पड़ोसी राज्य सरकारों के साथ समन्वय<br>• Winter Action Plan 2023–24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा शीत ऋतु के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु शीतकालीन कार्ययोजना प्रारंभ की गई। इस वर्ष भी, पिछले 5 वर्षों के वायु में कणीय पदार्थ (Particulate Matter) के आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत, 01 अक्टूबर 2023 से 29 फरवरी 2024 की अवधि के लिए 15–बिंदुओं वाली "विंटर एक्शन प्लान 2023–24" लागू की गई, जिसे विभिन्न हितधारक विभागों के समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है।<br>इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:<br>• पराली जलाने पर नियंत्रण<br>• धूल प्रदूषण नियंत्रण<br>• वाहन प्रदूषण नियंत्रण<br>• खुले में जलाने पर प्रतिबंध<br>• औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण<br>• ग्रीन वॉर रूम एवं ग्रीन ऐप को सुदृढ़ करना<br>• हॉटस्पॉट की निगरानी<br>• वास्तविक समय स्रोत निर्धारण अध्ययन<br>• ई–वेस्ट ईको–पार्क का विकास<br>• हरित क्षेत्रध्वृक्षारोपण में वृद्धि<br>• शहरी कृषि<br>• ईको–क्लब गतिविधियाँ/जन सहभागिता<br>• पटाखों पर प्रतिबंध<br>• वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्य सरकारों के साथ संवाद<br>• ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | कार्यान्वयन<br>• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) – वर्ष 2019 से दिल्ली, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (छब्।च्) का हिस्सा है। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण शमन उपायों के रूप में योजनाएँ तैयार कर लागू की जा रही हैं तथा मार्च 2026 तक कणीय पदार्थ (PM10) की सांद्रता में 40% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NCAP के तहत जीएनसीटीडी द्वारा वार्षिक/शहर कार्य योजना तैयार कर उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।<br>• स्मॉग टॉवर की स्थापना – माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 13029/1985 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 के अनुपालन में, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस पर स्मॉग टॉवर का निर्माण कर दिनांक 23. 08.2021 को जीएनसीटीडी द्वारा इसे चालू किया गया। इस परियोजना की कुल लागत ₹22 करोड़ (रुपये बाईस करोड़) है।<br><br>• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शहर में वर्ष भर वायु प्रदूषण से निपटने हेतु दिनांक 03.06.2025 को 25–बिंदुओं वाली **"Air Pollution Mitigation Plan 2025"** प्रारंभ की है।<br>• Implementation of GRAP: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा समय–समय पर GRAP लागू किए जाने पर, उसके अंतर्गत परिकल्पित कार्रवाइयों को दिल्ली में संबंधित हितधारक विभागों के समन्वय से लागू किया जाता है।<br>• सड़कों एवं खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण नियंत्रण दृ ब।फड के निर्देश संख्या 21 दिनांक 11.06.2021 के अनुपालन में, सड़क स्वामी/अनुरक्षण/निर्माण एजेंसियों द्वारा एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, डीडीए, एनसीआरटीसी, आई एंड एफसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीएमआरसी एवं डीजेबी में कुल 12 "Dust Control & Management Cells" (DCMCs)" गठित किए गए हैं। ये सेल Mechancal Road Sweepers , Water Sprinklers and Anti smog guns की तैनाती के माध्यम से धूल नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु स्वयं के बजट से कार्य कर रहे हैं। मासिक/त्रैमासिक कार्यवाही रिपोर्ट CAQM को भेजी जा रही है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

• 'प्रदूषण नियंत्रण एवं आपातकालीन उपाय' योजना के अंतर्गत, इस विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी को किराये के आधार पर ट्रक माउंटेड एंटी–स्मॉग गन की सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार निधि स्वीकृत की गई है:

2023–24 Rs. 40,84,24,500
2024–25 Rs. 60.81,74,900
2025–26 Rs. 58,83,44,800

• वर्ष 2025 में, दिल्ली की सड़कों के मध्यवर्ती भाग (सेंट्रल वर्ज) में विद्युत खंभों / अन्य खंभों पर मिस्ट स्प्रे/समान प्रणाली/तकनीक–अज्ञेय (Technology Agnostic) छिड़काव प्रणाली की स्थापना हेतु इस विभाग द्वारा ₹23,37,18,872/– की राशि उपलब्ध कराई गई है।

• सड़क धूल नियंत्रण एवं स्वच्छता के लिए, मंत्रिमंडल ने अपने निर्णय संख्या 3281 दिनांक 11.12. 2025 के माध्यम से एमसीडी को जीआईए (GIA) के अंतर्गत एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 106 प्राथमिक निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट संग्रह स्थलों का प्रबंधन, 70 यांत्रिक रोड स्वीपर (MRS), स्वच्छता हेतु 1000 वैक्यूम–आधारित बैटरी संचालित लिटर पिकर मशीनों की तैनाती तथा एमसीडी द्वारा 100 जल छिड़काव वाहनों के दो शिफ्ट संचालन को शामिल किया गया है। यह कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, जीएनसीटीडी की योजना "GIA MCD for Engagement of MRS, WS and ASG (GIA General)" के अंतर्गत किया जाएगा। उक्त परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 2300 करोड़ (निर्धारित अवधियों के लिए) है। यह परियोजना एमसीडी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी है।

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) ने दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु क्लाउड सीडिंग के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के सहयोग से एक पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना का परीक्षण दिनांक 27.10.2025 एवं 28.10.2025 को किया गया। उक्त परियोजना की स्वीकृत लागत ₹3.2146 करोड़ (तीन करोड़ इक्कीस लाख छियालीस हजार रुपये मात्र) है, (जिस पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) अतिरिक्त) है । पर्यावरण विभाग, GNCTD द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत प्रथम

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | किस्त के रूप में ₹37,93,420/- (सैंतीस लाख तिरानवे हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) की राशि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को जारी की गई है।<br>• जन शिकायत निवारण हेतु, दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप (Green Delhi App) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की 27 एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। यह ऐप एंड्रॉयड एवं पै मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपलब्ध है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर दर्ज शिकायतों की निगरानी ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से की जाती है। अंतर–विभागीय समन्वय हेतु 24×7 ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की गई है।<br>• सड़क पुनर्विकास हेतु समग्र कार्ययोजना ( **comprehensive road redevelopment action plan** ) – 2180 किमी लंबाई की उन सभी सड़कों की मैपिंग हेतु एक समग्र सड़क पुनर्विकास कार्ययोजना तैयार की गई है, जिन्हें पुनर्विकसित किया जाना आवश्यक है। इसमें राइट ऑफ वे (RoW) में पेविंग एवं हरितीकरण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना शामिल है, जिसकी वित्तीय अनुमानित लागत ₹5200 करोड़ है। यह योजना वर्ष 2026 में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित है।<br>• Anti&Smog Guns on High Rise Buildings: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत ऊँची इमारतों पर एंटी–स्मॉग गन की अनिवार्य स्थापना के संबंध में निर्देश दिनांक 29.05.2025 को जारी किए गए हैं। यह निर्देश सभी वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, होटलों (निर्मित क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से अधिक) तथा कार्यालय भवनों एवं अन्य संस्थानों (ळ5 एवं उससे अधिक) पर लागू हैं। अब तक चिन्हित ऊँची इमारतों पर 156 एंटी–स्मॉग गन स्थापित की जा चुकी हैं।<br>• Installation of Mist Spray/similar system/technology agnostic spraying system on Electric Poles/other Poles – दिल्ली की सड़कों के मध्यवर्ती भाग में विद्युत खंभों/अन्य खंभों पर मिस्ट स्प्रेध्समान प्रणालीध्तकनीक–अज्ञेय छिड़काव प्रणाली की स्थापना हेतु दिनांक 30.04.2025 को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया। अब तक 656 विद्युत खंभों पर मिस्ट स्प्रे प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | • Electric heaters का निःशुल्क वितरण – डीएसआईआईडीसी द्वारा कुल 1407 आरडब्ल्यूए को (प्रति आरडब्ल्यूए 2 हीटर) इलेक्ट्रिक हीटरों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अब तक 3240 हीटर वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सीएसआर के माध्यम से 10,000 अतिरिक्त हीटरों की खरीद प्रस्तावित है।<br>• Pusa Bio&Decomposer का छिड़काव दृ पूर्व वर्षों की भांति, वर्ष 2025 में विकास विभाग द्वारा 3655 एकड़ कृषि भूमि पर पराली के पर्यावरण–अनुकूल अपघटन हेतु पुसा बायो–डीकंपोजर का निःशुल्क छिड़काव किया गया। जलाने की घटनाओं की वास्तविक समय निगरानी एवं फील्ड टीमों के समन्वय हेतु कृषि इकाई में एक समर्पित कंट्रोल रूम (dedicated control room) संचालित किया गया है। दिल्ली के सभी धान उत्पादक क्षेत्रों में पुसा बायो–डीकंपोजर की प्रभावशीलता प्रदर्शित करने एवं पराली जलाने की आवश्यकता से बचने हेतु कुल 97 प्रदर्शन आयोजित किए गए।<br>• परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 से, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi Electric Vehicle (EV) Policy) के अंतर्गत सभी नए वाहनों में से 25ः वाहनों को बैटरी चालित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024 में, कुल नए वाहन पंजीकरणों में से 12% से अधिक वाहन इलेक्ट्रिक थे। 31.12.2025 तक पंजीकृत ई–वाहनों की कुल संख्या 4,67,384 है। दिल्ली ईवी प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार, कुल 78,158 लाभार्थियों को ₹179.35 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। |
| **ग.** | इन योजनाओं से संबंधित प्रयोग प्रमाणपत्र, कार्रवाई रिपोर्ट्स तथा मूल्याकन/प्रभाय–निधारण रिपोर्ट (यदि कोई हो तो) की प्रतियां प्रदान करें; | कार्यवाही रिपोर्टस सीएक्यूएम, सीपीसीबी, माननीय एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में विषयानुसार प्रस्तुत की जाती है |
| **घ.** | वर्ष 2015 से अब तक उक्त सभी योजनाओं के लिए विज्ञापन व प्रचार पर किया गया योजनावार खर्च; | वर्ष 2015 से अब तक पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्टीविटी योजना के द्वारा विज्ञापन व प्रचार पर किये गये खर्च का वर्षवार विस्तृत विवरण **अनुलग्नक–क** में संलग्न है। |
| **ड.** | उक्त विज्ञापन खर्च का मीडियावार (जैसे प्रिट, | उपरोक्तानुसार। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल, आउटडोर होर्डिंग, रेडियो, सोशल मीडिया, आदि) विवरण तथा विज्ञापन एजेंसियों के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण विज्ञापन संबंधी अनुबंध की प्रतियां, सेक्शन आर्डर, बिल/इनवॉइस की प्रतियां भी प्रदान करें। | |
| **च.** | प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर वास्तविक खर्च व उन उपायों के विज्ञापन/प्रचार होने वाले खर्च का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करें; | उपरोक्तानुसार। |
| **छ.** | ऐसे सभी आतरिक नोट्स, ऑडिट ऑब्जरवेशन, सीएजी रिमार्क अथवा विभागीय पत्राचारों की प्रतियां उपलब्ध कराए जिनमें व्यय की गई राशि के प्रदूषण नियंत्रण के मूल बजट से अधिक होने पर चिंता व्यक्त की गई हो; और | पर्यावरण विभाग में इस संदर्भ में अभी तक आतरिक नोट्स, ऑडिट ऑब्जरवेशन, सीएजी रिमार्क अथवा विभागीय पत्राचारों की प्रतियां इत्यादि विषयों पर किसी भी प्रकार से कुछ भी टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। |
| **ज.** | पर्यावरण अथवा प्रदूषण नियंत्रण नीतियों पर किए जाने वाले विज्ञापन/प्रचार व्यय को नियंत्रित करने के लिए रा.रा.के. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों नीतियों अथवा निदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं? | पर्यावरण अथवा प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में विज्ञापन/प्रचार व्यय को नियंत्रित करने के लिए सूचना एवं प्रसार विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिशा, निर्देशों एवं नीतियों को जारी किया जाता है। |

**MANISH CHANDRA VERMA, DANICS**
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**वन एवं वन्य जीव विभाग,**
**ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,**
**नई दिल्ली-110002.**

अतारांकित प्रश्न संख्या: 126
दिनांक: 07.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री संदीप सेहरावत (मटियाला)

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी सरकारी वन भूमि (Forest land) अधिसूचित है, क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध कराया जाए:</td><td>पश्चिम वन विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नीचे उल्लिखित अधिसूचित भूमि वन विभाग के कब्जे (possession) में है, क्योंकि इसे वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया था ।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>गांव का नाम</th><th>क्षेत्रफल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>रावता</td><td>7.5 एकड़</td></tr>
</table>
हालांकि, मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नीचे उल्लिखित गैर-अधिसूचित भूमि वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग को सौंपा गया था, जो वर्तमान में वन विभाग के कब्जे (possession) में है ।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>गांव का नाम</th><th>क्षेत्रफल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>गोयला खुर्द</td><td>14 एकड़</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पंडवाला खुर्द</td><td>10 एकड़</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जैनपुर</td><td>185 एकड़</td></tr>
<tr><td>4</td><td>दौराला</td><td>80.05 एकड़</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गुमनहेरा</td><td>85 एकड़</td></tr>
<tr><td>6</td><td>शिकारपुर</td><td>132 एकड़</td></tr>
<tr><td>7</td><td>खरखरी जटमल</td><td>125 एकड़ +<br>13.7 एकड़</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Asabesty
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>(जन शिकायत आयोग के निर्देशानुसार)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>रेवला खानपुर</td><td>120 एकड़</td></tr>
<tr><td>9</td><td>झटिकारा</td><td>8 एकड़</td></tr>
<tr><td>10</td><td>गालिबपुर</td><td>11.5 एकड़</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>784.25 एकड़</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कौन - कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है तथा उनका वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण क्या है</td><td>
<ul>
<li>खरखरी जटमल में वन विभाग के कब्जे वाली भूमि पर 50,000 पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है।</li>
<li>खरखरी जटमल में स्थित वृक्षारोपण स्थल पर एक नगर वन प्रस्तावित किया गया है और नगर वन के विकास कार्य को शुरू करने के लिए IFCD को प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति भेज दी गई है। इस परियोजना का कुल बजट 98.27 लाख रुपये है।</li>
<li>वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खरखरी जटमल और जैनपुर गांव में लगभग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, जिससे यह 2,09,200 पौधों के साथ दिल्ली का सबसे बड़ा मियावाकी वन बन जाएगा। कार्य प्रगति पर है।</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>क्या खरखरी नहर क्षेत्र में Forest City / Forest Park विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है: और</td><td rowspan="2">वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण एवं कार्य प्रारंभ होने की संभावित तिथि क्या है?</td></tr>
</table>

Asaboostu
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

| | | |
|---|---|---|
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री संजीव झां |
| प्रश्न संख्या | : | 127 |
| डायरी संख्या | : | 8/4/162 |
| प्रश्न | : | अतारांकित |
| दिनांक | : | 07.01.2026 |

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

| S. No | Matter | Reply |
|---|---|---|
| (क) | क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण कम करनेके उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) के परीक्षण किये गए | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु क्लाउड सीडिंग के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के सहयोग से एक पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना का परीक्षण दिनांक 27.10.2025 एवं 28.10.2025 को किया गया।<br>उक्त परियोजना की स्वीकृत लागत ₹3.2146 करोड़ (तीन करोड़ इक्कीस लाख छियालीस हजार रुपये मात्र) है, (जिस पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) अतिरिक्त) . पर्यावरण विभाग, GNCTD द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में ₹37,93,420/- (सैंतीस लाख तिरानवे हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) की राशि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को जारी की गई है। |
| (ख) | यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने ट्रायल किये गए तथा प्रत्येक ट्रायल पर हुआ कुल व्यय ( राशि सहित) कितना रहा | |
| (ग) | क्या यह सत्य है की इन क्लॉउड सीडिंग परीक्षणों के परिणाम सरकर द्वारा घोषित अथवा अपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रहे | उक्त पायलट परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है । IIT कानपुर से प्राप्त होने वाली प्रतिवेदन/रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। |
| (घ) | यदि तो उनके परिणामो का विस्तृत विवरण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए | |
| (ड.) | क्या यह सत्य है कि इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व अथवा इसके दौरान तत्कालीन पर्यावरण मंत्री द्वारा केंद्र सरकार एवं संबधित केंद्रीय एजेंसियो से विशेषज्ञ राय मांगी गयी थी | माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, GNCTD की अध्यक्षता में क्लाउड सीडिंग के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में IIT कानपुर, IITM पुणे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), रक्षा मंत्रालय (MoD), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) तथा अन्य संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। |
| (च) | क्या यह सत्य है कि दिनांक 30.08.2024, 10.10.2024, 23.10.2024, एवं 19.11.2024 को केंद्र सरकार तथा संबंधित एजेंसियो जैसे मौसम विज्ञान विभाग (IMD) वायु गुड़वत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पत्र लिखे गए थे | माननीय पूर्व पर्यावरण मंत्री (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय द्वारा दिनांक 30.08.2024, 10.10.2024 एवं 23.10.2024 को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपियाँ (पर्यावरण विभाग, GNCTD में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित उत्तर पत्रांक दिनांक 23.09.2024 की प्रतिलिपि संलग्न है। |
| (छ) | यदि हाँ तो उन पत्रों एवं प्राप्त पत्रों का विवरण दें | |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| ( ज) | क्या यह सत्य है कि प्राप्त विशेषज्ञ राय / रिपोर्टों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग करना या तो संभव नहीं है अथवा उसका प्रभाव सीमित हो सकता है | क्लाउड सीडिंग का परीक्षण/प्रदर्शन कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के सहयोग से किया जा रहा है , जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम पूर्वानुमान एवं उपयुक्त बादल परिस्थितियों के आकलन के आधार पर परीक्षण किया गया। यह गतिविधि पायलट चरण में एक संभावित आपातकालीन उपाय के रूप में संचालित की गई थी। |
| ( झ) | यदि हाँ तो उन रिपोर्टों का विस्तृत सार उपलब्ध कराया जाए | |
| (ट) | क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन विशेषज्ञ रिपोर्टों एवं चेतावनियों का समुचित अध्ययन किया गया अथवा इसके बावजूद क्लॉउड सीडिंग के परीक्षण जारी रखे गए ? विभागीय निर्णय प्रक्रिया का विवरण दिया जाए | |
| (ठ) | क्या यह सत्य है कि विशेषज्ञों की राय की अनदेखी करते हुए इस योजना पर सरकारी धन व्यय किये जाने जनता के धन के संभावित दुरूपयोग की स्थिति उत्पन्न हुई | |
| (ड) | यदि हाँ तो क्या इस सम्बद्ध में विभागीय जांच या समीक्षा की गई है | |
| (ढ) | यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं | |
| (ण) | भविष्य में इस प्रकार के वैज्ञानिक अथवा तकनिकी परीक्षणों में विशेषज्ञ सलाह की अनदेखी ना हो , इसके लिए सरकार द्वारा क्या ठोस पारदर्शी एवं जवावदेह व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है ? | क्लाउड सीडिंग गतिविधि वर्तमान में परीक्षण/प्रदर्शन/पायलट चरण में है, जिसका उद्देश्य अनुकूल बादल आवरण उपलब्ध होने की स्थिति में तीव्र एवं प्रासंगिक वायु प्रदूषण घटनाओं के दौरान आपातकालीन उपाय के रूप में राहत प्रदान करने हेतु एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में रखना है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

| | | |
|---|---|---|
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री वीर सिंह धिंगान |
| प्रश्न संख्या | : | 128 |
| डायरी संख्या | : | 8/4/203 |
| प्रश्न | : | अतारांकित |
| दिनांक | : | 07.01.2026 |

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | यह यह सत्य है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण सुरक्षा के कोई उपाय कर रही है; | हाँ, यह सत्य है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई उपाय कर रही है। |
| ख. | यदि हों, तो सरकार इस दिशा में क्या–2 कदम उठा रही है; | वायु प्रदूषण शमन हेतु, यह विभाग विभिन्न हितधारक विभागोंध्एजेंसियों, यथा शहरी स्थानीय निकाय (ULB), डीडीए, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी, राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (DJB), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (IFCD), सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एनसीआरटीसी, लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग, शिक्षा निदेशालय, डीपीजीएस, वन विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, उद्यानिकी आदि के साथ समन्वय करता है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपने–अपने आदेश/निर्देश जारी करते हैं।<br><br>वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:<br>1. Monitoring of Air Pollution<br>दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा वास्तविक समय के आधार पर 8 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों, यथा PM2-5, PM10, $SO_2$, $NO_2$, CO, $NH_3$, $O_3$ एवं बेंजीन की निगरानी 24 real time ambient air quality monitoring stations द्वारा की जा रही है। निगरानी नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु, नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र (CAAQM) की स्थापना के लिए निम्नलिखित 6 नए स्थलों की पहचान की गई है।<br>2. Launch of Air Pollution Mitigation Plan 2025<br>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शहर में वर्ष भर वायु प्रदूषण से निपटने हेतु दिनांक 03.06.2025 को 25–बिंदुओं वाली "Air Pollution Mitigation Plan 2025" प्रारंभ की है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-02

3. Implementation of GRAP: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा समय–समय पर GRAP लागू किए जाने पर, उसके अंतर्गत परिकल्पित कार्रवाइयों को दिल्ली में संबंधित हितधारक विभागों के समन्वय से लागू किया जाता है।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) – वर्ष 2019 से दिल्ली, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का हिस्सा है। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण शमन उपायों के रूप में योजनाएँ तैयार कर लागू की जा रही हैं तथा मार्च 2026 तक कणीय पदार्थ (PM10) की सांद्रता में 40% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NCAP के तहत जीएनसीटीडी द्वारा वार्षिक शहर कार्ययोजना तैयार कर उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

5. Increasing Ground Enforcement by Stakeholder Departments: विभागों द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं:

| S. No. | Action Points | No. of Teams constituted (Day & Night) |
|---|---|---|
| 1. | For Dust Control | 536 |
| 2. | For Open Burning Control | 622 |
| 4. | For Industrial Pollution Control | 65 |
| 5. | For Vehicular Pollution Control | 589 |
| | **Total** | **1812** |

जमीनी स्तर पर प्रवर्तन की जाँच हेतु मंत्रिपरिषद तथा विभागाध्यक्षों (HODs) द्वारा फील्ड विजिट की जा रही हैं। जमीनी प्रवर्तन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न हितधारक विभागों के 1165 अधिकारियों के साथ जिला–वार कुल 82 संयुक्त टीमें गठित की गई हैं।

6- Source pollution control at 13 hotspots: वार्षिक औसत PM10 (300 माइक्रोग्राम से अधिक) तथा PM2.5 (100 माइक्रोग्राम से अधिक) के आधार पर 13 हॉटस्पॉट, अर्थात् ओखला, द्वारका, अशोक विहार, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, वजीरपुर, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार, आर.के. पुरम एवं जहांगीरपुरी की पहचान की गई

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | है। संबंधित जोन के नगर निगम दिल्ली (MCD) के उपायुक्त को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जोनल कार्यालयों द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों में अवैध रूप से कचरा/प्लास्टिक अपशिष्ट डंपिंग की जाँच, भीड़भाड़ वाले यातायात बिंदुओं का डी–कंजेशन, सड़क पैच एवं गड्ढों की मरम्मत, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट का निस्तारण तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। इसके अतिरिक्त, बायोमास जलाने से संबंधित उल्लंघनों की जाँच हेतु रात्रिकालीन गश्त भी की जा रही है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली यातायात पुलिस आदि अन्य हितधारकों के साथ नियमित समन्वय में क्षेत्र स्तर पर अनेक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।<br>7. Use of IT for control of pollution<br>7.1 Green Delhi Application and Green War Room (GWR) for public grievance redressal: जन शिकायत निवारण हेतु, दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप (Green Delhi App) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की 27 एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। यह ऐप एंड्रॉयड एवं iOS मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपलब्ध है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर दर्ज शिकायतों की निगरानी ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से की जाती है। अंतर–विभागीय समन्वय हेतु 24×7 ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की गई है।<br>7.2 SAMEER App and social media: SAMEER ऐप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का प्रतिदिन समुचित रूप से निस्तारण किया जाता है। सभी शिकायतें समयबद्ध रूप से संबंधित विभागों को अग्रेषित की जाती हैं तथा उनके निस्तारण की निगरानी वरिष्ठ स्तर पर की जाती है।<br>7.3 MCD 311 APP: एमसीडी 311 ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी संबंधित हितधारक विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।<br><br>8. Industrial Pollution Control:<br>Shifting of industries to PNG/Approved fuels: एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में, स्वीकृत ईंधन संबंधी CAQM के निर्देश संख्या 64 दिनांक 02.06.2022 और निर्देश संख्या 65 दिनांक 23.06.2022 का पालन करते हुए, कुल 1,975 उद्योगों में से 1,925 उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में परिवर्तित किया जा चुका है। शेष 50 उद्योग स्वीकृत ईंधन यानी LPG पर संचालित हैं और उन्हें भी PNG में |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। उपरोक्त सभी उद्योग दिल्ली में स्वीकृत ईंधन पर संचालित हैं। |
| ग. | क्या यह भी सत्य है कि पर्यावरण सरक्षण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पानी की है; | हॉ, यह सत्य है कि पर्यावरण सरक्षण के लिए पानी की आवश्यकता होती है। |
| घ. | यदि हाँ तो दिल्ली के छोटे बड़े पार्को में पेड़ पौधों को उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने इस दिशा में क्या–क्या कदम उठाए है, विस्तृत जानकारी दी जाए; | पार्कों में पानी की व्यवस्था संबंधित पार्क के भू–स्वामी निकाय द्वारा माननीय एनजीटी के आदेशानुसार की जाती है। |
| ड. | क्या यह सत्य है कि एन०जी०टी० के आदेश के अनुसार जमीन से पानी निकालने पर रोक लगी हुई है; और | माननीय एन०जी०टी० के आदेश के अनुसार जहां भी एसटीपी स्थापित है उसके 5 कि.मी. की परिधि में रोक लगी है। 5 कि.मी. की परिधि के बाहर राजस्व विभाग द्वारा "बोरवैल/ट्यूबवैल की अनुमति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही दिल्ली सरकार के प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त (राजस्व) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति, उसके अन्तर्गत आने वाले संबंधित राजस्व क्षेत्र में भू–जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन के उद्देश्य से अधिकृत अधिकारी के रूप में की जाती है। |
| च. | यदि हाँ तो पार्को आदि में लगे पेड़ पौधो व पार्को में लगी घास को बिना पानी कैसे बचाया जाए, जानकारी दी जाए? | उपरोक्तानुसार। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**वन एवं वन्य जीव विभाग,**
**ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,**
**नई दिल्ली-110002.**

अतारांकित प्रश्न संख्या: 129
दिनांक: 07.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम – श्री चंदन कुमार चौधरी (संगम विहार)

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>यह सत्य है कि संगम विहार विधानसभा में प्रस्तावित पानी एवं सीवर लाइनों के विकास कार्य वन विभाग द्वारा अनुमति / एनओसी न दिए जाने के कारण लंबित हैं;</td><td rowspan="5">यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि संगम विहार के कुछ क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत आते हैं। राजस्व विभाग द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष ओ.ए. संख्या 58/2013 (सोन्या घोष बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य) में दायर हलफ़नामा के अनुसार, संगम विहार में स्थित वन क्षेत्र अतिक्रमण (ग्राम आबादी/आबादी अतिक्रमण) की श्रेणी में आते हैं।<br><br>यह क्षेत्र रिज भूमि के अंतर्गत आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिज भूमि में किसी भी प्रकार की गैर-वानिकी गतिविधि करने से पूर्व सर्वप्रथम डीआरएमबी (Delhi Ridge Management Board) से मंजूरी लेना आवश्यक है।<br><br>इसके अतिरिक्त, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि पर किसी भी प्रकार की गैर-वानिकी गतिविधि करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि हां, तो वन विभाग द्वारा उक्त अनुमति अब तक न दिए जाने के कारण क्या हैं;</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>क्या वन विभाग को इस तथ्य की जानकारी है कि अनुमति न मिलने के कारण क्षेत्र की बड़ी आबादी को पेयजल एवं सीवर व्यवस्था से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>क्या वन विभाग संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्यों के लिए शीघ्र अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रहा है; और</td></tr>
<tr><td>(ड)</td><td>यदि हां, तो उसकी समय-सीमा क्या है?</td></tr>
</table>

Asabesto
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट
प्रश्न संख्या : 130
डायरी संख्या : 8/4/211
प्रश्न : अतारांकित
दिनांक : 07.01.2026

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी–69) में पिछले दिनों गाड़ियों की जो बैटरी बनाई जा रही है उनसे ई–ब्लॉक, नेहरू विहार के अन्तर्गत कोई विस्फोट हुआ था; | इस संबंध में विभाग के पास कोई भी सूचना नहीं है। |
| ख. | यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि विस्फोट होने के बावजूद किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी; | उपरोक्तानुसार। |
| ग. | यदि हां, तो ऐसे बैटरी/तेजाब के कार्य करने वाले लोगों पर एक्शन न लेने के क्या कारण हैं; और | उपरोक्तानुसार। |
| घ. | कब तक इन पर कार्रवाई की जाएगी समय सीमा तय कर पूर्ण विवरण दें? | उपरोक्तानुसार। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री कुलदीप कुमार
प्रश्न संख्या : 131
डायरी संख्या : 8/4/213
प्रश्न : अतारांकित
दिनांक : 07.01.2026

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | क्या यह सत्य है कि विभाग ने एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनीटरिंग स्टेशनों पर अथवा उनके आसपास जल छिड़काव को अधिकृत किया है; | वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुसार *सड़कों एवं राइट ऑफ वे पर,* ***विशेषकर हॉटस्पॉट्स*** *एवं भारी यातायात वाले गलियारों में, प्रतिदिन धूल दमनकारी पदार्थों के साथ जल छिड़काव किया जाए, वरीयता से पीक ट्रैफिक घंटों से पूर्व। साथ ही एकत्रित धूल का निर्धारित स्थला/लैंडफिल में उचित निपटान सुनिश्चित किया जाए।*<br><br>उपरोक्त आदेशानुसार इन एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों, जिनमें यांत्रिक सड़क सफाई, सड़क की धूल नियंत्रण हेतु जल छिड़काव आदि शामिल हैं, की निगरानी की जा रही है तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जा रही है।<br><br>इसके अतिरिक्त, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के माध्यम से सड़क निर्माण/ चौड़ीकरण/ मरम्मत परियोजनाओं तथा अनुरक्षण गतिविधियों में एंटी–स्मॉग गनों के उपयोग, जल छिड़काव एवं धूल दमन उपायों को और अधिक सघन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चिन्हित सड़कों पर प्रतिदिन यांत्रिक/वैक्यूम स्वीपिंग एवं जल छिड़काव किया जाता है। यांत्रिक सफाई को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु ऐसी मशीनों की तैनाती के शिफ्टों/कार्य घंटों की संख्या बढ़ाई जाए।<br><br>धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण से संबंधित एजेंसियों द्वारा अर्थात् 12 'डस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेल (DCMC)', जिनमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, डीडीए, एनसीआरटीसी, आई एंड एफसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीएमआरसी तथा डीजेबी शामिल हैं, पूरी दिल्ली में जल छिड़काव किया जाता है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C Wing, [illegible], New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| ख. | यदि हां, तो इन स्टेशनों के आसपास जल छिड़काव का निर्देश देने वाला अधिकारी कौन है, नाम व पदनाम बताएं व एतद् संबंधी आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध कराएं; | उपरोक्तानुसार। |
| ग. | क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी अभिमत अथवा परामर्श है जिसमें यह बताया गया है कि सेंसर के समीप जल छिड़काव करने से नगर की भौगोलिक वायु गुणवत्ता का सटीक पता चलता है; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी अभिमत अथवा परामर्श डीपीसीसी के पास उपलब्ध नही है। |
| घ. | इन आरोपों पर विभाग की क्या प्रतिक्रिया है जिनके अनुसार इस प्रकार का सीमित छिड़काव इसलिए किया जा रहा है ताकि सेंसरों के आसपास स्वच्छ वायु का एक 'ccy' (बुलबुला) बनाकर चालाकी द्वारा कृत्रिम रूप से कम एक्यूआई का माप दर्ज कराया जा सके, यह भी बताएं कि जनता के स्वास्थ्य संबंधी इन आंकडों के छेड़छाड़ के लिए कौन उत्तरदायी है; | धूल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पानी का छिड़काव किया जा रहा है तथा यह कार्य दिल्ली में पिछले कई वर्षों से विभिन्न सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा किया जाता रहा है।<br><br>अंतः सीमित गतिविधि किए जाने का लगाया गया आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रांमक है। |
| ड. | वर्ष 2025 में दिल्ली के सभी 40 एक्यूआई स्टेशनों की परिचालनीय स्थिति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करें, जिसमें सर्वोच्च प्रदूषण वाले महीनों, अर्थात अक्टूबर से दिसंबर तक बंद रहे स्टेशनों की सूची तथा प्रत्येक स्टेशन (जैसे आनंद विहार, आरके पुरम अथवा जहागीरपुरी) के बंद रहने की अवधि के घंटे व बंद रहने की तिथियां भी सम्मिलित हो; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार 24 एक्यूआई स्टेशन डीपीसीसी, 06 सीपीसीबी, 07 आईएमडी एवं 03 आईआईटीएम के अर्न्तगत परिचालित हैं। **अनुलग्नक–क** में सूची संलग्न है।<br><br>दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के सभी 24 एक्यूआई स्टेशन परिचालित रहें हैं। |
| च. | इन स्टेशनों के बंद होने के क्या तकनीकी कारण (जैसे रखरखाव हेतु, बिजली न होना या सेंसर में खराबी) रहे; और | |
| छ. | इस प्रकार अत्यंत प्रदूषण वाले समय में इन स्टेशनों के बार–बार बंद होने के कारण क्या किसी निजी वेडर के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो विवरण दें? | |

**MANISH CHANDRA VERMA, DANICS**
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**वन एवं वन्य जीव विभाग,**
**ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,**
**नई दिल्ली-110002.**

अतारांकित प्रश्न संख्या: 132

दिनांक: 07.01.2026

प्रश्नकर्ता का नाम – श्री संजय गोयल (शाहदरा)

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | दिल्ली में बंदरों की बढ़ती संख्या से आम जनता को हो रही गंभीर समस्याओं (हमले, चोटें, संपत्ति क्षति, दुर्घटनाएं आदि) को देखते हुए उन्हें पकड़ने एवं सुरक्षित रूप से वन क्षेत्रों में स्थानांतरित (Relocation) करने के लिए सरकार की वर्तमान नीति/योजना क्या है; | माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा *Nyaya Bhoomi बनाम Govt. of NCT of Delhi & अन्य* (W.P.(C) 3346/2015) में दिनांक 30.09.2024 को पारित आदेश के अनुसार, बंदरों की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी नागरिक निकायों, अर्थात् एमसीडी (MCD) एवं एनडीएमसी (NDMC) की है। न्यायालय ने यह माना है कि *रिसस मकाक* (Rhesus Macaques) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सूची से हटाए जाने के पश्चात आवारा पशुओं के समान माना जाएगा, तथा दिल्ली नगर निगम (MCD) एवं नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) को सार्वजनिक पार्कों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय क्षेत्रों से बंदरों को हटाकर उनके पुनर्वास हेतु आसोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने का कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, स्वस्थ बंदरों का स्थानांतरण एमसीडी/एनडीएमसी द्वारा किया जा रहा है, जबकि शिकायत प्राप्त होने पर घायल बंदरों के रेस्क्यू का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है।<br><br>आसोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किए गए बंदरों का विवरण निम्नानुसार है: |
| (ख) | पिछले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा कुल कितने बंदरों को पकड़ा गया तथा उन्हें किन-किन वन क्षेत्रों/स्थानों पर स्थानांतरित किया गया कृपया वर्षवार एवं जिलावार विवरण प्रस्तुत किया जाए; | |
| (ग) | क्या बंदर पकड़ने हेतु सरकार के पास कोई स्थायी अथवा आउटसोर्स / अनुबंधित विशेष टीमें उपलब्ध हैं; | |
| (घ) | यदि हाँ, तो ऐसी टीमों की संख्या, उनकी तैनाती का क्षेत्र, जिम्मेदार एजेंसी एवं संपर्क विवरण क्या है; | |
| (ङ) | यदि नहीं, तो भविष्य में स्थायी व्यवस्था करने का क्या प्रस्ताव है और कब तक लागू किया जाएगा; | |

| क्रम सं. | अवधि | छोड़े/स्थानांतरित किए गए बंदरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 11. 02. 2021 से 31. 12. 2021 | 498 |

Asabosty
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

| | |
|---|---|
| (च) | क्या यह सत्य है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई न होने से जनता को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है; |
| (छ) | यदि हाँ, तो शिकायत प्राप्त होने से कार्रवाई तक की समय-सीमा (SLA) क्या निर्धारित है और उसके उल्लंघन पर क्या दंडात्मक प्रावधान हैं; |
| (ज) | क्या सरकार बंदरों की समस्या के स्थायी समाधान (जैसे नसबंदी, वैज्ञानिक पुनर्वास, फूड-सोर्स कंट्रोल, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान) हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना लागू कर रही है; और |
| (झ) | यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण दें? |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | 01. 01. 2022 से 31. 12. 2022 | 1484 |
| 3. | 01. 01. 2023 से 31. 12. 2023 | 1643 |
| 4. | 01. 01. 2024 से 31. 12. 2024 | 1432 |
| 5. | 01. 01. 2025 से 31. 10. 2025 | 1534 |
| | कुल | 6591 |

Asabaoth
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

| | | |
|---|---|---|
| **प्रश्नकर्ता का नाम** | : | **श्री सतीश उपाध्याय** |
| **प्रश्न संख्या** | : | **133** |
| **डायरी संख्या** | : | **8/4/220** |
| **प्रश्न** | : | **अतारांकित** |
| **दिनांक** | : | **07.01.2026** |

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | क्या सरकार 'पीयूसी नही तो पेट्रोल नहीं' की नीति को ग्रेप–4 की अवधि के बाद भी, स्थाई रूप से जारी करने जा रही है, यदि हाँ तो पेट्रोल पंप द्वारा इसके अनुपालन हेतु क्या तंत्र बनाया जा रहा है; | सरकार द्वारा 'पीयूसी (PUC) नही तो पेट्रोल नहीं' की नीति को ग्रेप–4 की अवधि के बाद भी, स्थाई रूप से जारी रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।<br><br>दिनांक 17.12.2025 के निर्देशों के अनुसार, पीयूसीसी (PUCC) का सत्यापन भौतिक प्रमाण–पत्रों, एएनपीआर (ANPR) तथा/अथवा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणालियों, जिनमें वाहन (VAHAN) या कोई अन्य केन्द्रीयकृत डेटाबेस, जहाँ भी लागू हो, के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।.<br><br>इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायंस पेट्रोलियम), अन्य सभी पेट्रोल/डीजल/सीएनजी/पंप/स्टेशन/रिटेल आउटलेट, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग, जीएनसीटीडी, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, नगर निगम दिल्ली तथा दिल्ली यातायात पुलिस इन निर्देशों का अक्षरशः एवं भावना के अनुरूप कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। |
| ख. | पूरी दिल्ली में और विशेषकर मालवीयनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी 'स्मॉग गन्स' लगाई गई हैं, उनका स्थान सहित विवरण दे; और | डस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सेल (dust control managment cells) द्वारा पूरी दिल्ली में 405 एंटी–स्मॉग गन तैनात की गई हैं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जानकारी पर्यावरण विभाग में अलग से उपलब्ध नही है। विभागानुसार एंटी स्मॉग गन्स की सूची **अनुलग्नक–'क'** में संलग्न है। |
| ग. | दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय व प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं? | परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का उद्देश्य सभी नए वाहनों में से 25% वाहनों को बैटरी चालित (इलेक्ट्रिक) वाहनों के रूप में तैनात करना है। वर्ष 2024 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में से 12% से |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | अधिक इलेक्ट्रिक वाहन थे। 31.12.2025 तक पंजीकृत ई–वाहनों की कुल संख्या 4,67,384 है। दिल्ली ईवी प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार, कुल 78,158 लाभार्थियों को ₹179.35 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है।<br>दिल्ली ईवी नीति का क्रियान्वयन निम्नलिखित वर्टिकल्स के माध्यम से किया जा रहा है:<br>i. वित्तीय प्रोत्साहन — क्रय प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन तथा ऋण पर ब्याज सब्सिडी।<br>ii. रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से छूट।<br>iii. चार्जिंग स्टेशनों एवं बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना तथा इनके संबंध में सार्वजनिक स्वामित्व वाले डेटाबेस का विकास।<br>iv. नीति का प्रशासन, जिसमें राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का गठन, समर्पित ईवी सेल की स्थापना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों एवं नीति के प्रमुख प्रावधानों के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम का विकास शामिल है। |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरमाष : 011–23392306

**प्रश्नकर्ता का नाम : डॉ. अनिल गोयल**
**प्रश्न संख्या : 134**
**डायरी संख्या : 8/4/226**
**प्रश्न : अतारांकित**
**दिनांक : 07.01.2026**

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | क्या कृष्णा नगर विधानसभा के विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में एसिड की फैक्ट्रियां, रंगाई की फैक्ट्रियां और लिथियम बैटरी बनाने जैसी खतरनाक श्रेणी की फैक्ट्रियां संचालित हैं; | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र रिहायशी क्षेत्र है इस क्षेत्र में अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कार्रवाई हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली नगर निगम को अधिकृत किया गया है ।<br>दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति केवल अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र में ही कार्यवाही का संज्ञान लेता है |
| ख. | यदि हाँ, तो इसका विवरण दें; | उपरोक्तानुसार। |
| ग. | क्या कृष्णा नगर विधानसभा में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) या संबंधित विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में ऐसी प्रदूषणकारी इकाइयों का कोई Survey किया गया है; | उपरोक्तानुसार। |
| घ. | यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है; | उपरोक्तानुसार। |
| ड. | उपरोक्त सर्वेक्षण में कितनी फैक्ट्रियां संचालित पाई गईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है, कृपया पूर्ण विवरण दें; | उपरोक्तानुसार। |
| च. | यदि अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो विभाग द्वारा इन रिहायशी क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वेक्षण करने की क्या समय–सीमा और योजना है; | उपरोक्तानुसार। |
| छ. | कृष्णा नगर विधानसभा में चल रही फैक्ट्रियों में कितनों का कलंदरा बनाया गया है; और | उपरोक्तानुसार। |
| ज. | क्या पिछले 5 वर्षों में कृष्णा नगर विधानसभा के रिहायशी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों, को DPCC द्वारा कितने नोटिस या चालान किया गया है? | उपरोक्तानुसार। |

**MANISH CHANDRA VERMA, DANICS**
**Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)**
**Govt. of NCT of Delhi**
**8th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02**

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

| | | |
|---|---|---|
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री विशेष रवि |
| प्रश्न संख्या | : | 135 |
| डायरी संख्या | : | 8/4/230 |
| प्रश्न | : | अतारांकित |
| दिनांक | : | 07.01.2026 |

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर्यावरण विभाग को लिखे गए निम्नलिखित पत्रों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रदान करें?<br>पत्र संख्या नं. – 130113/21/10/2025 Dated – 21/10/2025<br>पत्र संख्या नं. – 1030107 / 30 / 9 / 2025 Dated – 30/9/2025<br>पत्र संख्या नं. – 129947 / 8 / 9 / 2025 Dated – 8/9/2025<br>पत्र संख्या नं. – 129942 / 6 / 9 / 2025 Dated – 6/9/2025<br>पत्र संख्या नं. – 129849 / 13 / 8 / 2025 Dated – 13/8/2025 ? | दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के अनुसार पत्र संख्या – 130113/21/10/2025 दिनांक 21.10.2025 के माध्यम से दिनांक 24.11.2025 को संबंधित विभागों, आयुक्त (एमसीडी), संयुक्त आयुक्त (ट्रैफिक पुलिस) और एमसीडी (उद्यान विभाग) को पत्र अग्रेषित किया गया।<br><br>पर्यावरण विभाग को पत्र संख्या 1030107 / 30 / 9 / 2025 Dated – 30/9/2025 के संदर्भ में कोई पत्र प्राप्त नही हुआ है।<br><br>अन्य पत्र संख्या नं. – 129947 / 8 / 9 / 2025 Dated – 8/9/2025 पत्र संख्या नं. – 129942 / 6 / 9 / 2025 Dated – 6/9/2025 पत्र संख्या नं. – 129849 / 13 / 8 / 2025 Dated – 13/8/2025 के संदर्भ में पर्यावरण विभाग द्वारा वन्यजीव विभाग, दिल्ली सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। |

**MANISH CHANDRA VERMA, DANICS**
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**वन एवं वन्य जीव विभाग,**
**ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,**
**नई दिल्ली-110002.**

अतारांकित प्रश्न संख्या: 136
दिनांक: 07.01.2026
प्रश्नकर्ता का नाम – डॉ. अजय दत्त (अम्बेडकर नगर)
क्या माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | सिटी फॉरेस्ट हौजरानी में नीलगाय जैसे वन्यजीवों को रखे जाने के क्या कारण हैं, जबकि इससे सैर करने वाले हजारों नागरिकों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है; | हौज रानी सिटी फॉरेस्ट में वन्यजीवों के लिए कोई कृत्रिम आवास विकसित नहीं किए जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि यह वन क्षेत्र स्वयं इन वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। तथापि, सिटी फॉरेस्ट एवं उसके आसपास से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर वन्यजीवों के रेस्क्यू एवं उपचार हेतु वन्यजीव बचाव दल भेजे जाते हैं। |
| (ख) | यहाँ कितने कर्मचारी ठेके / अनुबंध पर कार्यरत हैं, उन्हें कितनी तनख्वाह दी जा रही है और भुगतान का माध्यम क्या है, पिछले 3 साल का उनके पद के नाम के साथ उनके नाम का विवरण दें; | रखरखाव का कार्य ठेका प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। श्रमिकों / कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है। ठेकेदारों का विवरण निम्नानुसार है:<br>1. मेसर्स बलराज सिंह, पता: 198/31/1, रमेश मार्केट, गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली।<br>2. मेसर्स एक्सीलेंट होम्स गार्डन्स, पता: 78-A, एल-ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली।<br>विगत 3 वर्षों की अवधि के रखरखाव हेतु 1,63,91,139/- (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख इक्यानवे हजार एक सौ उनतालीस मात्र) की राशि व्यय की गई है । अगले वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव हेतु ₹41,36,177/- (रुपये इकतालीस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्तहत्तर मात्र) की राशि प्रस्तावित है। |
| (ग) | यहाँ के रखरखाव के लिए पिछले 3 वर्षों में किन-किन कंपनियों को ठेका दिया गया है? कंपनियों का पूरा विवरण दें; | |
| (घ) | क्या कार्यरत कर्मचारियों को PF, ESI और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं; | |
| (ङ) | यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और | |
| (च) | पिछले 3 वर्षों में इस पार्क के लिए कितना फंड जारी हुआ और भविष्य में किस कार्य के लिए कितना बजट प्रस्तावित है? | |

A. Jabestin
05/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

| | | |
|---|---|---|
| | | निविदा की शर्तों एवं नियमों के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी द्वारा अनुबंधित कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) जमा किया गया है।<br><br>हौजरानी सिटी फॉरेस्ट में किए गए कार्यों का विवरण अनुबंध–क पर संलग्नित है । |

**अनुबंध–क**

| क्रम सं. | कार्यकारी एजेंसी/ठेकेदार | कार्य का विवरण | कार्य अवधि | कुल भुगतान (₹) | श्रमिकों की तैनाती |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मेसर्स एक्सीलेंट होम्स एंड गार्डन्स | हौज रानी सिटी फॉरेस्ट में 3, 23, 748 वर्ग मीटर (80 एकड़) क्षेत्र में पूर्ण चौकीदारी (वॉच एंड वार्ड) का कार्य। | 20. 05. 2022 से 19. 05. 2023 | 16, 67, 302 /- | 6 श्रमिक। |
| 2. | मेसर्स बलराज सिंह | हौज रानी सिटी फॉरेस्ट में 99, 552 वर्ग मीटर (24. 6 एकड़) क्षेत्र में पूर्ण झाड़ू/सफाई का कार्य। | 01. 06. 2022 से 28. 02. 2025 | 26, 28, 160 /- | यह अनुबंध श्रमिक आधारित नहीं था। |
| 3. | मेसर्स बलराज सिंह | हौज रानी सिटी फॉरेस्ट में 99, 552 वर्ग मीटर (24. 6 एकड़) क्षेत्र का पूर्ण रखरखाव का कार्य। | | 78, 11, 949 /- | |
| | | | कुल | 1, 21, 07, 411/- | |
| 4. | मेसर्स एक्सीलेंट होम्स एंड गार्डन्स | हौज रानी सिटी फॉरेस्ट में रखरखाव, सफाई/झाड़ू एवं चौकीदारी सहित 20 श्रमिकों की तैनाती। | 03.07.2025 से 02.07.2026 | – | अनुबंध अभी प्रक्रियाधीन है। |

A Jabestin
06/01/2026
Jabestin A, IFS
Conservator of Forest (HQ)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

| | | |
|---|---|---|
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री कुलदीप कुमार |
| प्रश्न संख्या | : | 137 |
| डायरी संख्या | : | 8/4/302 |
| प्रश्न | : | अतारांकित |
| दिनांक | : | 07.01.2026 |

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | क्या यह सत्य है कि प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तेमाल प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनकर दिल्ली की पुरानी सीवर एवं नाला व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है; | प्लास्टिक अपशिष्ट, विशेष रूप से सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUPs), का अंधाधुंध उपयोग और अनुचित निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तथापि, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा उसके संशोधनों के अनुरूप जन-जागरूकता, नियामक एवं अनुसंधान आधारित अनेक उपाय किए गए हैं।<br><br>प्लास्टिक प्रदूषण की समस्याओं, इसके दुष्प्रभावों तथा प्रबंधन से संबंधित जागरूकता कार्यशालाएँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (EEP) के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, इको-क्लब कार्यक्रम के तहत टेरी (TERI) द्वारा इको-क्लब विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनके लिए वार्षिक गतिविधि कैलेंडर में प्लास्टिक जागरूकता को एक घटक के रूप में शामिल किया गया। इसी प्रकार की संवेदनशीलता गतिविधियाँ MoEFCC के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य विद्यालयों में भी आयोजित की गईं।<br><br>नियामक स्तर पर, पर्यावरण विभाग द्वारा 28 फरवरी 2025 को सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी परामर्श जारी किया गया तथा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को राष्ट्रव्यापी SUP प्रतिबंध के सख्त प्रवर्तन के निर्देश दिए गए। ULBs और DPCC की संयुक्त निरीक्षण टीमें नियमित रूप से अनुपालन की निगरानी कर रही हैं तथा उल्लंघन पर दंड अधिरोपित कर रही हैं। साथ ही, DPCC द्वारा SUP के विकल्पों को अपनाने हेतु वैकल्पिक निर्माताओं की सूची भी प्रकाशित की गई है। |
| (ख) | क्या यह भी सत्य है कि प्लास्टिक कचरा नालों के माध्यम से यमुना नदी में पहुँचकर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है; | |
| (ग) | प्लास्टिक कचरे के स्रोत पर ही नियंत्रण लगाने, सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध सख्ती से लागू करने, पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने तथा नागरिकों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाने पर सरकार क्या विचार कर रही है; तथा | |
| (घ) | इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए तथा प्रस्तावित कदमों की विस्तृत जानकारी क्या है? | |

MANISH CHANDRA VERMA, DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| | | अनुसंधान पहलों के अंतर्गत "दिल्ली में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक" विषय पर अध्ययन किए गए हैं तथा SUP को समाप्त करने हेतु एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समानांतर रूप से स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देने, प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक संग्रहण एवं पुनर्चक्रण को सुदृढ़ करने तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढांचे के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास जारी हैं।<br><br>NDMC और MCD जैसे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निरंतर सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियाँ संचालित की गईं। जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान, NDMC ने 410 से अधिक जागरूकता एवं नागरिक सहभागिता गतिविधियाँ आयोजित कीं, जिनसे लगभग 30,000 नागरिक लाभान्वित हुए, साथ ही 72 नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लगभग 17,510 नागरिकों को जागरूक किया गया। MCD द्वारा 21 मई 2025 को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में प्लास्टिक-मुक्त सार्वजनिक स्थल कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा 4 जून 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।<br><br>इसके अतिरिक्त, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2025 को विद्यालयों में IEC गतिविधियों के आयोजन हेतु एक परिपत्र जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 12,55,910 विद्यार्थियों की भागीदारी हुई तथा 12,67,334 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिज्ञाएँ ली गईं। IIIT-दिल्ली द्वारा भी प्लास्टिक अपशिष्ट नीति तैयार की गई है तथा उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।<br><br>समग्र रूप से, ये सभी पहलें प्लास्टिक अपशिष्ट एवं माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन के प्रति दिल्ली सरकार की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। |

**MANISH CHANDRA VERMA,** DANICS
Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 138, (डायरी संख्या 8/4/204)**

**दिनांक 07.01.2026**

**प्रश्न कर्ता : श्री मोहन सिंह बिष्ट, विधायक**

| क्रमांक | प्रश्न | सम्बंधित जानकारी |
|---|---|---|
| (क) | क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में आबकारी योजना के नियम को ध्यान में न रखते हुए शराब के ठेके आबंटित किए गए थे. | जी नहीं \| शराब की खुदरा दुकान को लाइसेंस देने की प्रक्रिया दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी रूल्स, 2010 के अनुरूप की जाती हैं \| |
| (ख) | यदि हां तो पूर्ण विवरण दें | लागू नहीं होता \| |
| (ग) | क्या यह भी सत्य है कि हरिजन बस्ती व विद्यालयों को ध्यान में न रखते हुए 40 से 45 फुट चौड़ी सड़क पर शराब की दुकानें खोली गई हैं: | आबकारी विभाग द्वारा शराब की खुदरा दुकानों के लाइसेंस सरकारी कॉर्पोरेशंस को नियमो व शर्तो जो पत्र सं L-6/Ex/IMFL/2022-23/Vol-II/1997-2000 dt. 03.08.2022 में उल्लेखित मानदंड तथा दिल्ली आबकारी रूल्स , 2010 के रूल 51 (1) के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती हैं \| |
| (घ) | यदि हां तो पूर्ण विवरण दें | लागू नहीं होता \| |
| (ड.) | क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर मुख्य रोड पर अधिकांश रोड पर उपरोक्त ठेकों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है | उपरोक्त क्षेत्र में कभी कभार ट्रैफिक जाम की समस्या विभाग के संज्ञान में आया है \| विभाग द्वारा कॉर्पोरेशंस को इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही के लिए दिशानिर्देश जारी किये गए है \| |
| (च) | यदि हां, तो दिल्ली सरकार के पास इन ठेकों को हस्तांतरित करने की कोई योजना प्रस्तावित है; | माननीय विधायक के निर्देशानुसार Shop no D-1/1, Dayalpur Extension, Kh No 277/1, Karawal Nagar को शिफ्ट करने के लिए पंजाबी बाग में नए परिसर को चिन्हित कर लिया गया है और अगले 15 दिनों में उपरोक्त दुकान को स्थानांतरित कर दिया जायेगा \| |
| (छ) | यदि हां तो कब तक, और | उपरोक्त |
| (ज) | यदि नहीं तो क्यों नहीं, पूर्ण विवरण | लागू नहीं होता \| |

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 139 , (डायरी संख्या 8/4/266)**

**दिनांक 07.01.2026**

**प्रश्न कर्ता : श्री जरनैल सिंह, विधायक**

| क्रमांक | प्रश्न | सम्बंधित जानकारी |
|---|---|---|
| (क) | दिल्ली में खुले में गुटखा, सिगरेट, अन्य तंबाकू उत्पादों तथा शराब के सेवन एवं विक्री करने पर Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 और Delhi Excise Act, 2009 के तहत क्या कार्यवाही की जाती है, कृपया इससे संबंधित नियमो , अधिनियमों तथा दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण दिया जाए | | आबकारी विभाग समय - समय पर शराब की खुदरा दुकानों के पास Public Nuisance को रोकने के लिए कॉर्पोरेशन को दिशानिर्देश जारी करता रहता है |<br><br>इसके अलावा सभी जिलाधिकारी तथा DCP को भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है | इसके अलावा विभाग की टीम्स के द्वारा ऐसी स्थिति में दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के Section 40 के प्रावधानो के तहत समय - समय पर कार्यवाही की जाती है | |
| (ख) | क्या यह सत्य है कि दिल्ली की नीति/कानून के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्था एवं धार्मिक संस्था के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, तंबाकू उत्पादों या शराब की बिक्री अथया सेवन दंडनीय अपराध है; | जी हाँ | |
| (ग) | यदि हाँ तो इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों, दंड का प्रावधान तथा लागू नियमो का विस्तृत विवरण दिया जाए | | जी हाँ, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के Section 40 और दिल्ली आबकारी रूल्स , 2010 के रूल 51 (1) की प्रतिलिपि संलग्न हैं | |
| (घ) | क्या यह भी सत्य है कि नीति/कानून के बावजूद दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू एवं शराब की बिक्री की जा रही है | जी, नहीं |
| (ड.) | यदि हाँ. तो पिछले पाँच वर्षों में इस संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतों की संख्या, तथा उन पर की गई कार्रवाई का वर्षवार विस्तृत विवरण दिया | लागू नहीं होता | |
| (च) | क्या विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर किसी सर्वेक्षण, निरीक्षण या विशेष अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थानों के आसपास सिगरेट, गुटखा, तंबाकू अथवा शराब की बिक्री यः सेवन न हो; | आबकारी विभाग समय - समय पर शराब की खुदरा दुकानों के पास Public Nuisance को रोकने के लिए कॉर्पोरेशन को दिशानिर्देश जारी करता रहता है |<br><br>इसके अलावा सभी जिलाधिकारी तथा DCP को भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है | इसके अलावा विभाग की टीमों के द्वारा ऐसी स्थिति में दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के Section 40 के प्रावधानो के तहत समय - समय पर कार्यवाही की जाती है | |

| | | |
|---|---|---|
| (छ) | यदि हाँ, तो ऐसे सर्वेक्षण/अभियानों की प्रक्रिया, आवृत्ति एवं प्राप्त निष्कर्षों का विवरण दिया जाए, और | आबकारी विभाग द्वारा इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। |
| (ज) | नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा जोनवार किन अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, कृपया जोनवार संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण की सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि नागरिक ऐसे अवैध कृत्यों की शिकायत दर्ज करा सके? | वर्तमान में आबकारी विभाग में कोई भी जोनवार ऑफिस या अधिकारी नहीं है क्योंकि आबकारी विभाग ITO स्थित मुख्यालय से संचालित की जाती है। |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 140

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री हरीश खुराना

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली में मौजूद राशन कार्डों की कुल संख्या का वर्षवार विवरण क्या है; | वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली में मौजूद राशन कार्डों की कुल संख्या के (वर्षवार) विवरण की सूची सलग्न है। (अनुलग्नक-ए) |
| (ख) | वर्ष 2015 से अब तक कुल कितने राशन कार्ड जाली (Fake), डुप्लीकेट, घोस्ट (Ghost) अथवा अपात्र पाए गए, उनकी कुल संख्या कितनी है; | राशन कार्ड में उल्लिखित सभी लाभार्थियों के आधार नंबरों के आधार डेटाबेस के माध्यम से लाभार्थी की पहचान की जाती है। इसलिए, फर्जी या गलत राशन कार्ड की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक, सरकारी नौकरी, वाहन स्वामित्व, मृतक व्यक्ति और अन्य कारणों से कुल 4,20,804 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। |
| (ग) | जाली या गलत राशन कार्डों की पहचान के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का विवरण दें, जैसे— आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन, ई-पीओएस (e-POS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, घर-घर जाकर सत्यापन अभियान, और अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ आंकड़ों का मिलान; | उपरोक्त (ख) के अनुसार। |
| (घ) | उक्त अवधि के दौरान जाली या गलत राशन कार्डों के चिह्नीकरण, सत्यापन एवं निरस्तीकरण (Cancellation) हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, परिपत्रों (Circulars), अधिसूचनाओं अथवा दिशा-निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं; | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देश संलग्न हैं (अनुलग्नक-बी)। |
| (ङ) | इसी अवधि के दौरान सत्यापन के पश्चात कुल कितने राशन कार्ड रद्द किए गए, उनकी सूची और उन्हें रद्द करने के विशिष्ट कारणों का विवरण दें; | जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक अपात्रता के कारण रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या 4,20,804 है। ये राशन कार्ड सरकारी नौकरी, चार पहिया वाहन के स्वामित्व, मृत व्यक्ति और अन्य कारणों से रद्द किए गए थे। |

| | | |
|---|---|---|
| (च) | क्या उक्त अवधि के दौरान जाली/गलत राशन कार्ड जारी करने या अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थियों के रूप में जोड़ने के संबंध में कोई एफआईआर (FIR) दर्ज की गई अथवा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई; | (ख) को देखते हुए, प्रश्न में उल्लिखित कोई कार्रवाई नहीं की गई। |
| (छ) | यदि हां, तो ऐसे मामलों की कुल संख्या, एफआईआर की तिथि और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति (Status) से अवगत कराएं; और | उपरोक्त (च) के अनुसार। |
| (ज) | दिल्ली में राशन कार्ड जारी करने संबंधी अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई ऑडिट रिपोर्ट, आंतरिक समीक्षा नोट या समिति के निर्देश हों, तो उनकी प्रतियां प्रदान करें। | दिल्ली में राशन कार्ड जारी करने में अनियमितताओं से संबंधित ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। |

**सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट** https://dla.neva.gov.in/ **में** Question Module **पर उपलब्ध।**

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 141

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री अनिल झा

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा की अनुमानित आबादी लगभग 9 लाख है, जबकि वर्तमान मे क्षेत्र मे केवल लगभग 50,000 राशन कार्ड ही जारी है, जिनमें मात्र करीब 2.5 लाख लाभाश्री ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत आच्छादित हो पा रहे है; | किराड़ी विधानसभा में राशन कार्डो की कुल संख्या 51572 है (AAY-886, PHH-50686) तथा लाभार्थियों की कुल सख्या 2,11,988 है। |
| (ख ) | क्या यह भी सत्य है किराड़ी विधानसभा की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, इसके बावजूद बड़ी संख्या मे पात्र परिवारों के नए राशन कार्ड नही बनाए जा रहे है ; | राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है तथा नए राशन कार्ड 'पहले आओ पहले पाओ' प्रणाली का उपयोग करके जारी किए जा रहे हैं, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के लिए एक इकाई के रूप में लागू है। |
| (ग) | यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; | उपरोक्त अनुसार। |
| (घ) | क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा में लगभग 10,000 राशन कार्ड आवेदन लंबित (पेंडिंग) पड़े हुए है ? यदि हाँ तो इन आवेदनो के निस्तारण मे हो रही देरी के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृत किया जाएगा; | भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, दिल्ली सरकार का राशन कोटा 72,77,995 यूनिट है जो पूर्ण हो चुका है।<br>किराड़ी विधानसभा में कुल 11,146 e-आवेदन पेंडिंग हैं तथा नए राशन कार्ड 'पहले आओ पहले पाओ' प्रणाली का |

| | | |
|---|---|---|
| | | उपयोग करके जारी किए जा रहे हैं, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के लिए एक इकाई के रूप में लागू है। |
| (ड़) | क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा में आबादी एवं लाभार्थियों की संख्या की तुलना में उचित मूल्य (राशन) दुकानों की संख्या अत्यंत कम है, जिसके कारण अधिकांश दुकानों पर अत्यधिक भीड़ बनी रहती है और लाभार्थियों को घंटों कतार में लगकर परेशान होना पड़ता है; | किराड़ी विधानसभा में 39 उचित मूल्य दुकान है तथा दिल्ली में 100% पोर्टेबिलिटी लागू है, अर्थात लाभार्थी दिल्ली में कहीं भी स्थित किसी भी खाद्य सुरक्षा केंद्र (एफपीएस) से राशन प्राप्त कर सकते हैं। |
| (च) | क्या सरकार किराड़ी विधानसभा में आबादी के अनुपात में राशन कार्डों की संख्या बढ़ाने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा नई उचित मूल्य दुकानों की स्वीकृत/स्थापना हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर रही है; और | भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, दिल्ली सरकार का राशन कोटा 72,77,995 यूनिट है जो पूर्ण हो चुका है।<br>नए राशन कार्ड 'पहले आओ पहले पाओ' प्रणाली के आधार पर जारी किए जाते हैं। जब भी कोई खली जगह होती है जरूरत पड़ने पर नई दुकानों पर विचार किया जाता है। |
| (छ) | यदि हाँ, तो उसका विवरण एव संभावित समय-सीमा क्या है? | उपरोक्त (च) अनुसार। |

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 142

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री नीरज बसोया

| **क्रमांक** | प्रश्न | **उत्तर** |
|---|---|---|
| क ) | कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड धारक/लाभार्थी पंजीकृत हैं? कृपया श्रेणीवार विवरण (जैसे AAY - अंत्योदय अन्न योजना, PHH - प्राथमिकता वाले परिवार आदि) प्रदान करें। | कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में पंजीकृत राशन कार्ड धारक/लाभार्थी की जानकारी निम्नलिखित है:- |

| Card Category | Ration Card | Member |
|---|---|---|
| AAY | 420 | 1588 |
| PHH | 5099 | 20366 |
| Total | 5519 | 21954 |

| | | |
|---|---|---|
| ख ) | पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विशेष विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं? | पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विशेष विधानसभा क्षेत्र में कुल 109 नए राशन कार्ड जारी किए गए। |
| ग ) | केवाईसी (KYC) प्रक्रिया के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होने के कारण, कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित व्यक्तियों (जिनकी उंगलियां या हाथ विकृत हैं) को केवाईसी पूर्ण करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? | ऐसे व्यक्ति " मेरा e-KYC mobile app" के माध्यम से आइरिस अथवा फैस स्कैन के द्वारा अपनी e-KYC करा सकते है। |
| घ ) | क्या ऐसे मामलों में बायोमेट्रिक के स्थान पर कोई वैकल्पिक केवाईसी व्यवस्था (जैसे आइरिस स्कैन, ओटीपी, या मैन्युअल सत्यापन आदि) लागू की गई है | उपरोक्त अनुसार। |
| ड़ ) | यदि वैकल्पिक व्यवस्था लागू है, तो उसका विवरण क्या है? साथ ही, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक ऐसे कितने लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है? | उपरोक्त अनुसार। अब तक, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में 17788 लाभार्थियों ने मेरा ई-केवाईसी मोबाइल ऐप सुविधा का लाभ उठाया है। |

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 143

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री संदीप शेहरावत

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क ) | मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं? कृपया इन दुकानों की सूची एवं क्षेत्रवार (Area-wise) विवरण उपलब्ध कराएं। | मटियाला विधानसभा क्षेत्र में राशन की कुल 50 दुकानें हैं जिनकी सूची संलगन है I |
| ख ) | मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कुल राशन कार्डों की संख्या कितनी है? ऐसे कितने पात्र परिवार हैं जो अभी भी इस लाभ से वंचित हैं तथा क्षेत्र में राशन की कितनी नई दुकानें खोलना प्रस्तावित हैं? | मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 43136 राशनकार्ड बने है व 9884 राशनकार्ड के आवेदन अभी लंबित है I |

| | | |
|---|---|---|
| ग ) | मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड बनाने की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड आवेदन लंबित (Pending) हैं? | दिल्ली में नए राशन कार्ड FIFO प्रणाली का उपयोग करके जारी किए जा रहे हैं। मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 9884 राशनकार्ड के आवेदन अभी लंबित है, I |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 144

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : सुश्री आतिशी

| **क्रमांक** | प्रश्न | **उत्तर** |
|---|---|---|
| क ) | क्या होली और दीपावली के अवसर पर निःशुल्क अथवा ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सरकार कीकोई योजना है? | वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लागू नही की गयी है I |
| ख ) | यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी अधिसूचना, कैबिनेट निर्णय अथवा विभागीय आदेश की प्रति व योजना के कार्यान्वयनकी तिथि की जानकारी उपलब्ध कराएं। | उपरोक्त के अनुसार I |
| ग ) | यदि ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं? क्या सरकार ने इसे लागू किए जाने के लिए कोई समयअवधि निर्धारित की है? यदि हाँ, तो एतदसंबंधी संपूर्ण विवरण दें; और | उपरोक्त के अनुसार I |
| घ ) | उक्त प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाले लक्षित परिवारों की कुल संख्या कितनी है? इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं और इसके लिए कुल कितनी बजटीय राशि का आवंटन किया गया है? | उपरोक्त के अनुसार I |

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 145

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री मोहन सिंह बिष्ट

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क ) | मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र (एसी-69) के अंतर्गत वर्ष 2015 से अब तक कुल कितने राशन कार्ड बनाए गए हैं, उनका पूर्ण विवरण दें? | मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र (एसी-69) के अंतर्गत वर्ष 2015 सेअबतककुल 14772राशनकार्डबनायेगए हैं I |
| ख ) | क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा विगत वर्षों में राशन कार्ड व यूनिट के संबंध में प्राप्त आवेदन आज तक विचाराधीन हैं? | मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र (एसी-69) के अंतर्गत विगत वर्षों में 11156 राशन कार्ड व 40256 लाभार्थी के आवेदन आज तक विचाराधीन हैं जिनका फीफो (First-In-First-Out) सिस्टम के अनुसार निस्तारणकिया जा रहा हैं।<br>भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश ,2015 के अनुसार, दिल्ली सरकार का राशन कोटा 72,77,995 यूनिट था, जो समाप्त हो चुका है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राशन कोटे मे किसी भी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर नए राशन कार्ड बनाए जाते है, जैसे कि पलायन, स्वेच्छिक समर्पण, मृत्यु, गलत दावे का पता चलना आदि I |
| ग ) | यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक नए राशन कार्ड बना दिए जाएंगे, इसका पूर्ण विवरण दें? | उपरोक्त अनुसार। |
| घ ) | जो लोग अन्य प्रदेशों में चले गए हैं उनकी संख्या क्या है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे राशन कार्ड धारकों के एवज में नए कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे? | जो लोग अन्य प्रदेशों में चले गए हैं उनकी संख्या की सूचना रिकॉर्ड मे उपलब्ध नही है । राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है रिक्ति उपलब्ध होते ही (मृत्यु अथवा अन्य कारण से) नया राशन कार्ड FIFO सिस्टम के तहत जारी हो जाता है। |

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 146

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्री सतीश उपाध्याय

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क ) | दिल्ली में विधानसभा-वार लंबित राशन कार्ड आवेदनों की कुल संख्या क्या है; | दिल्ली में विधानसभा-वार लंबित राशन कार्ड आवेदनों की कुल संख्या का विवरण संलग्न है। |

| | | |
|---|---|---|
| ख ) | दिल्ली में लंबित राशन कार्ड आवेदनों के निपटान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और इसके लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है; | लंबित राशन कार्ड आवेदनों का निस्तारण FIFO (First InFirst Out ) प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2015 को जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश ,2015 के अनुसार, दिल्ली सरकार का राशन कोटा 72,77,995 यूनिट था, जो समाप्त हो चुका है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राशन कोटे मे किसी भी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर नए राशन कार्ड बनाए जाते है, जैसे कि पलायन, स्वेच्छिक समर्पण, मृत्यु, गलत दावे का पता चलना आदि Iइसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। |
| ग ) | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत उचित दर दुकानों (FPS) के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है; | मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत उचित दर दुकानों (FPS) के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 29869 है। |
| घ ) | क्या वर्ष 2025 में विभाग द्वारा राशन कार्डों का 'फील्ड वेरिफिकेशन' (क्षेत्रीय सत्यापन) एवं ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन किया गया था; | वर्ष 2025 में विभाग द्वारा गंभीर शिकायतों के मामले में ई-केवाईसी और 'फील्ड वेरिफिकेशन' (क्षेत्रीय सत्यापन) किया गया है। |
| ड़ ) | यदि हाँ, तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में ई-केवाईसी असफल होने के कारण तथा अपात्र पाए जाने के कारण रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या अलग-अलग बताएं; और | ई-केवाईसीप्रक्रिया अभी जारी है। इस कारण से कोई राशन कार्ड मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में रद्द नहीं किया गया है ।वर्ष 2025 मे अपात्र पाए जाने के कारण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्रमे रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या 405 है। |
| च ) | क्या वर्ष 2025 में, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में उचित दर दुकान (FPS) हेतु कोई अस्थाई लाइसेंस भी जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उसका संपूर्ण विवरण दें। | वर्ष 2025 में, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में उचित दर दुकान (FPS) हेतु कोई अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

विधान सभा अतारांकित प्र. स. 147

दिनांक : 07.01.2026

प्रश्न कर्ता : श्रीमती नीलम पहलवान

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क ) | नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत कितने राशन डिपो हैं, उनकी पूर्ण जानकारी प्रदान करें; | नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत 42 राशन डिपो/उचित दर दुकान है , जिनकी पूर्ण जानकारी सलग्न है । |
| ख ) | नजफगढ़ विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में कितने नए राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने कार्ड बनाए गए हैं, इसकी जानकारी साझा करें; और | नजफगढ़ विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में 57063 आवेदन पाप्त हुए है जिनमे से 8511 राशन कार्ड बनाये गये है । |
| ग ) | नजफगढ़ में वर्तमान समय में कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं, श्रेणीवार (वर्गीकरण सहित) जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। | वर्तमान में नजफगढ़ में कुल 36722 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 937 एएवाई और 35785 पीएचएच धारक हैं। |

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकितप्रश्नसंख्या :- 148

दिनांक:07.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम : Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)

क्यामाननीयमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:-

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) दिल्लीमेंWeights and Measures केनियमो केपालनकोसुनिश्चित करने केसंबंधमें दिल्लीसरकारकीवर्तमान नीतिक्याहै, इससे संबंधितनियम, मानकतथादिशानिर्देशोकाविस्तृतविवरणदियाजाए; | संवैधानिक प्रावधान-:<br><br>(संघ सूची – प्रविष्टि 50:अधिनियम एवं नियम बनाना, मानकों का विनिर्देशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण आदि)<br><br>(समवर्ती सूची – प्रविष्टि 33A:विधिक माप विज्ञान का प्रवर्त)(<br><br>जनता में माप तौल की शुद्धता एवं विश्वसनीयता-के प्रति विश्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत की संसद |

| | |
|---|---|
| | द्वाराविधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009तथा उससे संबंधित नियम अधिनियमित किए गए हैं।<br><br>अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के परामर्श से अपनेअपने-राज्य विधिक माप विज्ञान(प्रवर्तन)नियमभी बनाए हैं। इसी क्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारने भीदिल्ली विधिक माप विज्ञाननियम (प्रवर्तन), 2011बनाए हैं।<br><br>विधिक माप विज्ञान कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसारनियंत्रक विधिक माप विज्ञानतथा अन्यविधिक माप विज्ञान अधिकारियोंके माध्यम से किया जाता है।<br><br>विस्तृत जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।<br><br>(a)https://consumeraffairs.gov.in/pages/legal-metrology-overview<br>(b)https://weightnmeasures.delhi.gov.in/sites/default/files/inline-files/delhi_legal_metrology_enforcement_rules_2011_english.pdf |
| (ख) दिल्लीमें Weights and Measures नियमोकेप्रभावीकार्यान्वयनहेतु विभागद्वाराज़ोन-वाइज़कौन-कौनसे अधिकारीनियुक्तकियेगएहै , संबंधितअधिकारियों केनाम, पदनामएवं संपर्कविवरणसहितपूरीजानकारीदीजाए | विवरणसंलग्नक 'क' केरूपमेंसंलग्नहै। |
| (ग) पिछले पाँचवषमें Weights and Measures केअंतर्गतविभागद्वाराकिन-किन स्थानों/ प्रतिष्ठानोंपर निरीक्षणएवंजाँचकीगईहै, तिथि-वारएवंस्थान-वारनिरीक्षण काविवरण, कमी/अनियमिततापाईगईयानहीं , तथाजहाँ लंघनपायागयावहाँसंबंधितप्रतिष्ठानोंकेविरुद्धकी गईकारवाईकाविस्तृतविवरणदियाजाए | क्षेत्रीयकार्यालयोंमेंउपलब्धअभिलेखोंकेअनुसार, क्षेत्रवारसूचियाँसंलग्नक 'ख' केरूपमेंसंलग्नहैं। |
| (घ) यदिकिसीनागरिकको Weights and Measures से संबंधितकोईशिकायतदर्जकरानीहो, तोउसकेलिएविभागद्वारानिर्धारितप्रक्रियाक्याहै, शिकायतदर्जकरने कीप्रक्रिया, संबंधितअधिकारियों | नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान)एवंसहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान)से निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है: |

| | |
|---|---|
| सेसंपर्ककरनेकामाध्यमतथाशिकायतनिस्तारण कीसमय-सीमाकाविवरणदियाजाए | कार्यालय: नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान<br>प्लॉट संख्या–17, विश्वास नगर संस्थागत क्षेत्र,<br>दिल्ली – 110032<br><br>इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्र के सभीजोनल अधिकारियोंसे उनकी-उनकीजोनल कार्यालयों के पते परशिकायत दर्ज कराने हेतु संपर्क किया जा सकता है।<br><br>शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की जाती हैं, जैसे— पीजीएमएस (PGMS), एलजी लिसनिंग पोस्ट, सीपीग्राम्स (CPGRAMS), एनसीएच (NCH), ई-मेलआदि। इसके अलावा, भौतिक (लिखित) शिकायतेंभी संबंधित जोनल कार्यालयों तथावजन एवं माप मुख्यालयमें प्राप्त की जाती हैं।<br><br>सभी शिकायतों का निस्तारणशिकायत पोर्टल में निर्धारित समय-सीमाके भीतर किया जाता है। |
| (ङ) दिल्लीमेंत्योहारों अथवाअधिकबिक्री कीअवधिकेदौरानवज़नएवंमापसेसंबंधितधोखाधड़ीरोकने हेतु विभागद्वाराक्याविशेषव्यवस्था कीजातीहै, ऐसे समयमेंकीजाने वालीविशेषजाँच, निरीक्षणव्यवस्थातथाकीगईकारवाईकाविस्तृतविवरणदियाजाए; और | त्योहारों के मौसम के दौरान, सभी जोनल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से त्योहारों के समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतुसतर्क रहने के निर्देश दिए जाते हैं।<br><br>इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारादीपावली के अवसर पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशितकिए जाते हैं, ताकि आम जनता कोविधिक माप विज्ञान के प्रावधानोंके संबंध में जागरूक किया जा सके (प्रति संलग्न)।<br><br>त्योहारों के दौरानजांच एवं निरीक्षण हेतु कोई विशेष व्यवस्थानहीं है। तथापि, विभाग समय-समय पर दिल्ली केनिर्माताओं/आयातकों/पैकरों/व्यापारियोंको निर्देश जारी करता है कि वेविधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के अंतर्गतपूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाओं की लेबलिंगका पालन सुनिश्चित करें (प्रति संलग्न)। |
| (च) पश्चिमीदिल्लीकेतिलकनगरविधानसभामें Weights and Measures Department से संबंधितनियुक्तसभीअधिकारियों केनाम, पदनामएवंसंपर्कविवरणसहितविस्तृत जानकारीप्रदान की जाए? | **तिलकनगरविधानसभाक्षेत्र**वज़नीएवंमापविभाग (Weights & Measures Department) के**पश्चिमक्षेत्र**केअधिकारक्षेत्रकेअंतर्गतआताहै।पश्चिमक्षेत्रकेज़ोनलअधिकारीएवंस्टाफकाविवरणनिम्नलिखितहै: |

| | |
|---|---|
| | **ज़ोनलअधिकारीकानाम:**श्रीमतीअंजूभंडारी, ग्रेड-I / ज़ोनलअधिकारी<br>**निरीक्षकगणकेनाम:**<br>• श्रीविशालबिस्वास, ग्रेड-III / LMO<br>• श्रीललितकुमार, ग्रेड-III / LMO<br><br>**मैनुअलसहायककानाम:**श्री S.D. माँझी, MA<br><br>**कार्यालयकापता:**<br>सेकेंडरीस्टैंडर्डलैब, 12-ब्लॉक, तिलकनगर, नईदिल्ली<br>**टेलीफोननंबर:** 8588996161<br>**ईमेलआईडी:** zonalofficewest@gmail.com |

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

अतारांकितप्रश्नसंख्या :- 149

दिनांक: 07.01.2026

प्रश्नकर्ताकानाम : Sh. KailashGangwal (Madipur)

क्यामाननीयमंत्रीयहबतानेकीकृपाकरेंगेकि:-

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) विधिकमाप-तोलविभाग, माप-तोलउपकरणोंकीसटीकता,किसप्रकारसुनिश्चित करताहै; | जोनल कार्यालयों में कार्यशील मानक प्रयोगशालाएँ (वर्किंग स्टैंडर्ड लैब्स)स्थापित की गई हैं तथा प्रत्येककार्यशील मानक तुला/तराजूकाबारह माह की अवधि में कम से कम एक बार सत्यापनकिया जाता है। आवश्यकता होने पर, इसेसामान्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित संवेदनशीलता की सीमा एवं अन्य मेट्रोलॉजिकल गुणोंके अनुरूप सही करने हेतुसंदर्भ मानक प्रयोगशाला (रेफरेंस स्टैंडर्ड लैबोरेटरी)अथवा उन स्थानों पर समायोजित किया जाता है जहाँ सरकार द्वाराद्वितीयक मानक (सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स)संधारित किए जाते हैं।<br><br>विधिक मेट्रोलॉजी अधिकारी, परीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि कोईबाट या मापअधिनियम के अंतर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप है, तो उस परनियंत्रक द्वारा जारी एकरूप (यूनिफॉर्म) डिज़ाइन की मुहरअंकित करेगा। इस मुहर में उस विधिक मेट्रोलॉजी अधिकारी को प्रशासनिक प्रयोजन हेतु आवंटितक्रमांकअंकित होगा, जिसके द्वारा वह बाट या माप मुद्रांकित किया गया है। |

| | |
|---|---|
| | परंतु यह कि, यदि किसी बाट या माप केआकार या प्रकृतिके कारण उस पर मुहर लगाना उपयुक्त या व्यवहारिक न हो, तो विधिक मेट्रोलॉजी अधिकारी नियंत्रक द्वारासामान्य या विशेष लिखित आदेशके माध्यम से निर्देशित अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। |
| (ख) क्यायहसत्यहैकिअभीभीकाफीव्यापारीतराजू वालीपुरानामापप्रयोगमेंकररहेहै, | हाँ, इस प्रकार केतौल एवं मापन उपकरण (काउंटर मशीन)का उपयोग कई व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जिसकी अनुमतिविधिक मेट्रोलॉजी (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत दी गई है।<br><br>इसके अतिरिक्त, विधिक मेट्रोलॉजी (सामान्य) नियम, 2011 में लगभग 40 प्रकार के तौल एवं मापन उपकरणनिर्धारित किए गए हैं, जैसे— इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, वे-ब्रिज, पेट्रोल पंप, जल मीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तचाप मापक यंत्र), क्लिनिकल थर्मामीटरआदि।<br><br>इन तौल एवं मापन उपकरणों का उपयोगउद्योगों, व्यापारियों, अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनोंद्वारा तौल एवं मापन कार्यों के लिए किया जाता है, तथा इनसे प्राप्त तौल एवं मापन के परिणामप्रत्यक्ष रूप से आम जनता के हित मेंहोते हैं।<br><br>इन सभी तौल एवं मापन उपकरणों कानियत अवधि पर सत्यापनदिल्ली सरकार (GNCTD) के राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा, मानक बाट एवं मापतथानियमों में निर्धारित प्रक्रियाके अनुसार किया जाता है। |
| (ग) क्यायहभीसत्यहैकि व्यापारियोंद्वारा तोलने मेंविद्युततराजू का प्रयोगकरनेकेकुछमामलोमेंरिमोटसेतराजू कोकंट्रोल करनेकेभीमामलेप्रकाशमेंआयेहै, और | अबतकविभागमेंऐसीकोईघटनारिपोर्टनहींकीगईहै। |
| (घ) यहीहां, तोऐसे मामलोमेंविभागद्वाराक्याकायवाहीकीगईहै ? | लागूनहीं |

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या :- 150

दिनांक :- 02 जनवरी, 2026

प्रश्नकर्त्ता का नाम :- Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)

क्या मुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (Gurudwara Management Committee) के चुनाव कराए जाने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है, संबंधित नियमों, प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देशों सहित विस्तृत विवरण दिया जाए; | गुरुद्वारा निदेशालय दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्य करती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 5 (1) के अनुसार, समिति के सदस्य की पदावधि चार वर्ष की होगी और उस तारीख से प्रारंभ होगी जब धारा 15 के अधीन समिति का पहला अधिवेशन किया जाए। |
| (ख) उक्त नीति/नियमों के अनुसार गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव कितने समय के अंतराल पर करे जाने चाहिए, इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा का स्पष्ट विवरण दिया जाए; | दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 5 (1) के अनुसार, समिति के सदस्य की पदावधि चार वर्ष की होगी और उस तारीख से प्रारंभ होगी जब धारा 15 के अधीन समिति का पहला अधिवेशन किया जाए। |
| (ग) दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अंतिम चुनाव कब कराए गए थे, उन चुनावों की तिथि तथा कार्यकाल की अवधि की जानकारी दी जाए; | गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पिछले आम चुनाव 22 अगस्त, 2021 को हुए थे। समिति की पहली बैठक 22 जनवरी, 2022 को हुई थी, इसलिए कार्यकाल की अवधि उपरोक्त (ख) के अनुसार 22 जनवरी, 2026 तक है। |
| (घ) नीति के अनुसार अगले गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव किस वर्ष अथवा किस समयावधि में कराए जाने थे, पूर्ण विवरण दें; | दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऐवं माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन के अनुसार नई फोटो मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया जारी है ओर इसके पूर्ण होने के पश्चात गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव वर्ष 2026 में कराए जा सकते हैं। |
| (ङ) क्या यह सत्य है की नीति के अनुसार निर्धारित समयावधि के बावजूद गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों में देरी हो रही है; और | दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऐवं माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन के अनुसार नई फोटो मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके उपरांत नई फोटो मतदाता सूची बनाने के लिए फॉर्म-2 (निर्वाचक का पंजीकरण) को जमा करने की अंतिम तिथि को जनहित में क्रामशः 20.10.2025, 15.11.2025, 30.11.2025, 31.12.2025 तक बढ़ाया गया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाता नई फोटो मतदाता सूची में अपने नाम को पँजीकृत करा सकें। अब नई फोटो मतदाता सूची में अपने नाम को पँजीकृत कराने की अंतिम तिथि 20.01.2026 है। उपरोकतानुसार नई फोटो मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया जारी है ओर इसके पूर्ण होने के पश्चात गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव वर्ष 2026 में कराए जा सकते हैं। |
| (च) यदि हाँ, तो इस देरी के क्या कारण हैं, तथा अगले चुनाव कराने को लेकर सरकार द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं और चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए? | |

अतारांकित प्रश्न संख्याः- 151
दिनांक:- 07.01.2026
प्रश्नकत्ता का नाम:- श्री संजीव झा (बुरारी)
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>क्रम सं</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने प्रचार-प्रसार के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया था;</td><td>वर्ष 2025-2026 के लिए दिल्ली सरकार ने कुल राशि रू.109 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>फरवरी 2025 से अब तक इस बजट में से कितनी राशि वास्तविक रूप से खर्च की गई ;</td><td>01फरवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक विज्ञापन प्रचार प्रसार में खर्च की गई कुल राशि 16,88,17,971/- (16 करोड़ 88 लाख ) रुपए है।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>खर्च की गई राशि का विभाग किस प्रकार के प्रचार-प्रसार (टीवी, रेडियो, प्रिंट, मीडिया, डिजिटल आदि) में उपयोग कर रहा है, इसका विवरण प्रदान किया जाए ;</td><td>खर्च की गई राशि का विवरण निम्न हैः-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मद</th><th>कुल वास्तविक व्यय</th></tr>
<tr><td>1-</td><td>रेडियो</td><td>3,03,008/-<br>(लगभग 03 लाख )</td></tr>
<tr><td>2-</td><td>टेलीविज़न /प्रोडक्शन</td><td>1,61,07,000<br>(लगभग 01 करोड़ 61 लाख)</td></tr>
<tr><td>3-</td><td>प्रिंट मीडिया</td><td>13,96,68,698<br>(लगभग 13 करोड़ 96 लाख)</td></tr>
<tr><td>4-</td><td>डिजिटल मीडिया</td><td>52,28,368<br>(लगभग 52 लाख )</td></tr>
<tr><td>5</td><td>आउटडोर मीडिया</td><td>75,10,897<br>(लगभग 75 लाख )</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल व्यय</td><td>16,88,17,971/-<br>(लगभग 16 करोड़ 88 लाख)</td></tr>
</table>
फरवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक कुल 141 योजनाओं और अभियानों का प्रचार प्रसार किया गया ।</td></tr>
</table>

**Q. No. 152.**

| **क्रम सं.** | **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|---|
| (क) | क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा की अनुमानित आबादी लगभग ९ लाख है, किंतु इसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकसित पर्यटक अथवा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है; | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |
| (ख) | क्या यह भी सत्य है कि यद्यपि किराड़ी विधानसभा में नए पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु सीमित भूमि उपलब्ध है. किराड़ी गाँव, मुबारकपुर गाँव एवं निठारी गाँव में स्थित पारंपरिक तालाबों को यदि संरक्षित एवं विकशित किया जाए तो उन्हें स्थानीय पर्यटन, सार्वजनिक उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी बनाया जा सकता है। | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |
| (ग) | क्या यह सत्य है कि उपरोक्त तालाबों पर बर्तमान में भूमि-माफिया/अवैध कब्जाधारियों की नजर बनी हुई है, जिससे इन जलस्रोतों के अस्तित्व पर गंभीर खत्तरा उत्पन्न हो गया है। | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |
| (घ) | यदि हाँ, तो अब तक इन तालाबों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। | NA |
| (ड) | क्या यह भी सत्य है कि इन तालाबों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन न केवल स्थानीय नागरिको के लिए सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराएगा, बल्कि भू-जल | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| | स्तर सुधार, वर्षा जल संचयन एवं पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा: | |
| (च) | क्या सरकार किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के उपर्युक्त तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कर संरक्षित करने, उन्हें जलाशय हरित क्षेत्र/स्थानीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा इनके रख-रखाव हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर रही है। और | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |
| (छ) | यदि हों, तो उसका विवरण एवं समय-सीमा क्या है? | NA |

Q No.153

| क्रम सांख्य | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में, दिल्ली सरकार को पर्यटन के माध्यम से कुल कितनी आय हुई और इस पर कुल कितना खर्च किया गया? | वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, DTTDC ने पर्यटन गतिविधियों से कुल राजस्व 5.12 करोड़ रुपये अर्जित किया और कुल व्यय 3.59 करोड़ रुपये किया। |
| (ख) | क्या **हॉप-ऑन हॉप-ऑफ बस सेवा** वर्तमान में चल रही है | हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ (HO-HO) बस सेवा चालू नहीं है |
| (ग) | यदि हां तो वर्तमान में कितनी बस से चल रही है और उसकी औसत ऑक्युपेंसी क्या है | **N.A** |
| (घ) | दिल्ली में वर्तमान में किन-किन स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो संचालित है और क्या आगामी वर्ष में नए शो शुरू करने के कोई प्रस्ताव है और | दिल्ली में, तीन प्रमुख स्थानों पर प्रकाश और ध्वनि आधारित शो चल रहे हैं:<br><br>1. लाल किला - पारंपरिक ध्वनि और प्रकाश शो |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रदर्शन, प्रकाश व्यवस्था, संगीत और वॉयस-ओवर (हिंदी और अंग्रेजी) के साथ ऐतिहासिक वर्णन।<br>2. कुतुब मीनार - प्रकाश और ध्वनि/रोशनी शो ऑडियो वर्णन के साथ स्मारक की रोशनी।<br>3. अक्षरधाम मंदिर - मल्टीमीडिया प्रकाश, ध्वनि और जल शो (सहज आनंद जल शो)<br>प्रकाश, लेजर, फव्वारे, प्रोजेक्शन और ध्वनि का उपयोग; आध्यात्मिक विषय।<br><br>कुल संचालित स्थान: 3<br><br>डीटीटीडीसी गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शिक्षाओं और शहादत को दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाने वाले ध्वनि और प्रकाश शो के संचालन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह परियोजना वर्तमान में योजना चरण में है। |
| (ड) | दिल्ली में चल रहे टूरिज्म योजनाओं और टूरिस्ट प्लेस का विवरण प्रदान करें | अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, दिल्ली पर्यटन ने विभिन्न हेरिटेज वॉक शुरू किए हैं जो इस प्रकार हैं:-<br>1. देखो अपना सी पी<br>2. दिल्ली का दिल देखो<br>3. शाहजहाँनाबाद की वॉक (पुरानी दिल्ली)<br>4. फूड वॉक (पुरानी दिल्ली)<br>5. कुतुब मीनार और महरौली पुरातत्व पार्क की वॉक<br>6. वॉक ऑफ़ हौज खास<br>7. मालचा महल हॉन्टेड वॉक<br>8. फ़िरोज़ शाह कोटला मोन्यूमेंट हॉन्टेड हेरिटेज वॉक<br>दिल्ली पर्यटन ने दिल्ली में रात्रि प्रवास बढ़ाने के लिए इवनिंग हेरिटेज वॉक की घोषणा की है जो इस प्रकार है:-<br>1. एक शाम शहीदों के नाम<br>2. रोशन ए दिल्ली |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. नवाबों की आखिरी निशानी<br>4. दिल्ली का दिल और पूजा स्थल |
| | | दिल्ली बाय इवनिंग सेवा के लिए 2 ई-बसों के संचालन को मंजूरी मिल गई है, और डीटीसी से शुरुआत में 3 महीने के लिए 2 बसें किराए पर ली गई हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन बसों को दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थलों की छवियों से सजाया गया है। बसों की रैपिंग का काम पूरा हो चुका है। बसों को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। |
| | | दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने, दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत को विकसित और संरक्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए 40 युवा पेशेवरों के लिए एक फैलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। फेलो की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदनों की स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। |
| | | दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित दिल्ली पर्यटन वॉक फेस्टिवल का उद्देश्य शहर की समृद्ध विरासत, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करना है। ये वॉक प्रतिभागियों को दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों, परंपराओं और अनकही कहानियों से परिचित कराते हैं। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित इन वॉक्स के माध्यम से दिल्ली के प्रसिद्ध स्थलों के साथ-साथ छिपे हुए रत्नों को भी उजागर किया जाता है। अब तक इस फेस्टिवल के तीन संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। |
| | | दिल्ली पर्यटन विभाग नियमित रूप से कई तरह के टूर आयोजित करता है, जो इस प्रकार हैं:-<br>1. Delhi Local Sight Seeing Tour<br>2. Same Day Agra<br>3. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (03 Days)<br>4. Haridwar - Rishikesh (Overnight) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Agra-Mathura-Vrindavan- Fatehpur Sikri (Overnight Tour)<br>6. Fatehpur Sikri - Bharatpur Jungle Tour (02 Days) |
| | टूरिस्ट प्लेस का विवरण | - लाल किला<br>- कुतुब मीनार<br>- हुमायूं का मकबरा<br>- प्रधानमंत्री संग्रहालय<br>- यशोभूमि<br>- भारत मंडपम<br>- दिल्ली हाट आईएनए<br>- लक्ष्मी नारायण मंदिर<br>- जंतर मंतर<br>- लोटस टेम्पल<br>- अक्षरधाम मंदिर<br>- अग्रसेन की बावली<br>- सफ़दरजंग का मकबरा<br><br>- जामा मस्जिद<br>- लोधी गार्डन<br>- इंडिया गेट<br>- नेशनल वॉर मेमोरियल<br>- राज घाट<br>- गार्डन औफ 5 सेंस<br>- पुराना किला व अन्य |

**Q No. 154**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या दिल्ली सरकार द्वारा भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रमों में विधायकों के वाहनों के प्रवेश के | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| | लिए गेट नंबर 6 और 7 पर कोई प्रोटोकॉल है और | |
| ख) | क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पार्किंग लेवल के अभाव में रोका जाना नियमों के अनुकूल है? | यह प्रश्न डीटीटीडीसी से संबंधित नहीं है। |

**Q No. 155**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | विगत 5 वर्षों में आजाद हिंद ग्राम की मरम्मत, रखरखाव एवं सौंदर्यकरण के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत एवं व्यय किया गया है | पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक आज़ाद हिन्द ग्राम की मरम्मत और रखरखाव पर लगभग 85 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। |
| ख) | वर्तमान में इस स्थल की मरम्मत एवं पुनरविकास हेतु विभाग द्वारा क्या योजना प्रस्तावित की गई है और | वर्तमान में इस स्थल की मरम्मत का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। |
| ग़) | यदि कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है तो भविष्य में इसके संरक्षण और विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने प्रस्तावित है? | भविष्य में स्थल का विकास एवं संरक्षण चरणबद्ध योजना के तहत विचारणीय है। |

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्याः—156
दिनांकः—07.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नामः—डा. अनिल गोयल (कृष्णा नगर)
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

| | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यह सत्य है कि सरकार ने रू 2500 से अधिक मूल्य के रेडीमेड गारमेंटस पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढाकर 18 प्रतिशत कर दी है। | हॉ, यह सत्य है कि भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार ने रू 2500 से अधिक मूल्य के रेडीमेड गारमेंटस पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढाकर 18 प्रतिशत कर दी है। |
| ख | क्या सरकार जनहित और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए,GST Council में 2500 रू से ऊपर के रेडीमेड गारमेंटस पर कर की दर को पुनः 12 प्रतिशत या उससे कम करने के लिए सिफारिश कर रही है; और | इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, और GST Council में भेज दिए गए हैं। |
| ग | यदि नहीं, तो सरकार के पास इस विसंगति को दूर करने और स्थानीय व्यापारियों को राहत देने के लिए क्या वैकल्पिक योजना है? | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्याः–157
दिनांकः–07.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नामः– श्री जर्नेल सिंह (तिलक नगर)
क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| | | |
|---|---|---|
| क | डिजिटल भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन–देन के मामलों में Merchant fee को लेकर RBI द्वारा जारी सभी लागू दिशा–निर्देशों/परिपत्रों /नियमों का विस्तृत विवरण दें: | यह प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। |
| ख | क्या यह सत्य है कि अनेक व्यापारी इस मर्चेट फीस को उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं और डिजिटल भुगतान के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल की जा रही है: | वित विभाग से संबंधित नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| ग | यदि हॉ, तो पिछले पॉच वर्षों में ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की सूची, विभागवार/वर्षवार विस्तृत विवरण सहित दी जाए: | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |
| घ | इन प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है: प्रति मामले की गई कार्रवाई, चेतावनी, दंड, अथवा अन्य किसी कदम का विवरण दिया जाए: | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |
| ड | यदि किसी मामले में संबंधित व्यापारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई , तो उसके क्या कारण रहे हैं, इसका भी विस्तृत विवरण दिया जाए: | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |
| च | उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के दौरान इस प्रकार की वसूली और उत्पीड़न से बचाने के लिए विभाग द्वारा वर्तमान में क्या सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, तथा भविष्य में इसे रोकेन के लिए क्या ठोस नीति, निगरानी तंत्र या दंडात्मक प्रावधान लागू करने की योजना बनाई जा रही है: | यह प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। |
| छ | यदि हॉ, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए: | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |
| ज | क्या वर्तमान में सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है: | हॉ, वर्तमान में सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है। |
| झ | यदि हॉ, तो कृपया उसकी विस्तृत जानकारी दें: | नोटिफिकेशन नंबर 09/2025–राज्य कर (दर) तारीख 22 सितंबर 2025 के अनुसार, सोलर पावर से चलने वाले डिवाइस यानी सोलर पैनल पर 5 प्रतिशत जी एस टी लागू है। 22 सितंबर 2025 से पहले, सोलर पावर से चलने वाले डिवाइस पर जीएसटी रेट 12 प्रतिशत था। |
| ण | एक ओर नवीनीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी ओर उन्हीं सोलर पैनल एवं उससे संबधित उपकरणों पर GST भी लगाया जाता है, कृपया इस नीति– विरोधाभास (Policy | इस तरह की कोई भी नीति के लिए यह विभाग अधिकृत नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| | Contradiction) के पीछे के कारणों का विस्तृत विवरण दिया जाएः | |
| ट | क्या दिल्ली सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उददेश्य से वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) के समक्ष सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों को GST से छूट देने अथवा कम दर पर लाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा हैः और | नहीं, दिल्ली सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उददेश्य से वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) के समक्ष सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों को GST से छूट देने अथवा कम दर पर लाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। |
| ठ | यदि हॉ तो कृपया प्रपोजल की विस्तृत जानकारी दें? | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्याः—158
दिनांकः—07.01.2026
प्रश्नकर्त्ता का नामः—श्री संजय गोयल (शाहदरा)
क्या मुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

| | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में VAT, SGST/GST एवं Excise के अंतर्गत कुल कितने व्यापारी पंजीकृत हैं कृपया उनका व्यवसाय / उद्योग—वार विवरण (जैसे अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग आदि) दिया जाए साथ ही उन्हें micro, small, mediumएवं large श्रेणी के अनुसार कर विवरण उपलब्ध कराया जाए; | 1.) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख तक कुल VAT डीलर— 25 है।<br><br>(i) शराब— 10<br>(ii) पेट्रोलियम— 15<br><br>DVAT सिस्टम के अनुसार माइक्रों, छोटे, मध्यम और बडे डिलरों की कोई श्रेणी वर्गीकृत नहीं है ।<br><br>2.) GST के तहत रजिस्टर्ड एक्टिव टैक्सपेयर्स की कुल संख्या – 10724 है। |

| क्र. सं. | मुख्य व्यवसाय की प्रकृति (श्रेणी) | पंजीकृत करदाताओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | उत्पादन | 2345 |
| 2 | सेवा प्रदाता | 2474 |
| 3 | व्यापार–व्यापारी (खुदरा विक्रेता) | 2592 |
| 4 | व्यापार–व्यापारी (थोक व्यापारी) | 2583 |
| 5 | अन्य | 730 |

3.) Excise विभाग के अंतर्गत शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में शराब परोसने के लिए दो रेस्टोरेंट आबकारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हैं।

1. सिगार किचन एंड बार
2. लामोर हास्पिटैलिटी

शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में एक्साइज के अंतर्गत निम्न अस्पताल व मैन्युफैक्चरिंग को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

1. मानव व्यवहार एवं संबद्य विज्ञान संस्थान, दिलशाद गार्डन

2. गुरू तेग बहादूर अस्पताल, शाहदरा

3.मुन हर्बल रेमेडीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र

4.मून हर्बल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शाहदरा

5.हर्बवेदरा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया

शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली नारकोटिक ड्रग्स नियम 1985 और दिल्ली आबकारी अधिनियम ,2009 के अंतर्गत आबकारी विभाग के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग युनिटस का विवरण निम्न अनुसार हैः–

| क्र. सं. | लाइसेंस का प्रकार | लाइसेंसधारी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | पी–5 परमिट (सुधारित आत्मा के लिए) | मानव व्यवहार और संबंद्य विज्ञान संस्थान |
| 2 | प्राधिकरण परमिट (मानक दवाओं के भंडारण के लिए) | गुरू तेग बहादूर अस्पताल |
| 3 | डीडी–9 लाइसेंस (औषधीय अफीम, मार्फीन,कोडीन ,थेबेन और उनके लवण, कोकीन और उसके लवण और किसी भी अन्य युक्त तैयारियां बनाना, दिल्ली स्वापक औषधि नियम 1985 की धारा 2 (XI)(B) के तहत अधिसूचित निर्मित औषधियां तथा रखने और बेचने का अधिकार, अन्यथा प्रिस्क्रिप्शन , ऐसे ऊपर बताई गई,बनाई गई | मेसर्स मून हर्बल रेमेडीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | | मेसर्स मून हर्बल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | | मेसर्स हर्बवेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>दवाएं, मेडिकल इस्तेमाल के लिए)</td><td></td></tr>
</table>
<br>
4.) VAT/GST पोर्टल में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज जैसी कोई श्रेणी उपलब्ध नहीं है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>ख</td>
<td>शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार को Trade &Taxes Department के माध्यम से प्राप्त कुल राजस्व का वर्षवार, स्त्रोतवार (VAT,SGST/GST,Excise आदि तथा विधानसभावार संग्रह का विवरण प्रस्तुत किया जाए:</td>
<td>
1.) पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से VAT कलेक्शन :
<table>
<tr><th>वित वर्ष</th><th>VAT संग्रह (करोड़ रूपये में)</th></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>97.48</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>45.90</td></tr>
<tr><td>2018—19</td><td>5.35</td></tr>
<tr><td>2019—20</td><td>3.79</td></tr>
<tr><td>2020—21</td><td>3.15</td></tr>
<tr><td>2021—22</td><td>2.59</td></tr>
<tr><td>2022—23</td><td>2.94</td></tr>
<tr><td>2023—24</td><td>2.17</td></tr>
<tr><td>2024—25</td><td>1.90</td></tr>
<tr><td>2025—26</td><td>2.07</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2.) शाहदरा विधानसभा के तहत मिले GST (SGST CASH) का साल के हिसाब से कलेक्शन 01/07/2017 से 31/12/2025 तक:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | SGST कलेक्शन (राशि करोड़. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2017-18 (01/07/2017 से आगे) | 29.34 |
| 2 | 2018–19 | 44.68 |
| 3 | 2019–20 | 53.07 |
| 4 | 2020–21 | 50.41 |
| 5 | 2021–22 | 57.67 |
| 6 | 2022–23 | 69.34 |
| 7 | 2023–24 | 74.21 |
| 8 | 2024–25 | 75.50 |
| 9 | 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) | 55.33 |

3.) आबकारी विभाग द्वारा राजस्व का वर्गीकरण विधानसभावार नहीं होता है हालांकि, आबकारी विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों का कुल राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार है–

| | | |
|---|---|---|
| | | (रूप्ये हजारों में) |
| पिछले 10 सालों के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क | | |
| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | प्रमुख शीर्ष 0039 के अंतर्गत राजस्व संग्रहण |
| 1 | 2015—16 | 42376896 |
| 2 | 2016-17 | 42514019 |
| 3 | 2017-18 | 44534928 |
| 4 | 2018—19 | 50281871 |
| 5 | 2019—20 | 50680092 |
| 6 | 2020—21 | 41081482 |
| 7 | 2021—22 | 54875810 |
| 8 | 2022—23 | 55479723 |
| 9 | 2023—24 | 51640849 |
| 10 | 2024—25 | 57014058 |

| | | |
|---|---|---|
| ग | क्या विभाग द्वारा शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों के लिए कोई विशेष सहायता केंद्र, हेल्पडेस्क, जागरूकता कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शिविर संचालित किए गए हैं; | उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2025—26 में ऐसा कोई कार्यक्रम शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित नहीं किया है। |
| घ | यदि हॉ, तो उनके स्थान, तिथि एवं लाभान्वित व्यापारियों की संख्या का विवरण दिया जाए; | उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता |
| ड | SGST के अंतर्गत Faceless (ऑनलाइन / बिना प्रत्यक्ष संपर्क) | यह सुविधा सभी श्रेणी के व्यापारियों के लिए लागू है। |

| | | |
|---|---|---|
| | सुविधा किन–किन श्रेणी के व्यापारियों के लिए लागू की गई है; | |
| च | इस सुविधा के अंतर्गत कौन–कौन सी प्रक्रियाएं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, असेसमेंट, नोटिस, अपील आदि सम्मिलित हैं; और | इस सुविधा के अंतर्गत पंजीकरण, रिटर्न, असेसमेंट, नोटिस सम्मिलित है। अपील फाइल करना फेसलेस है। हालांकि ,कार्यवाही सक्षम अधिकारी के सामने होती है। |
| छ | इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु व्यापारियों को क्या प्रक्रिया एवं शर्ते पूरी करनी होती हैं? | इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रखी है। |

**अतारांकित प्रश्न संख्या** :– 159
**डायरी सं०** :– 8 / 4 / 35
**दिनांक** :– 07.01.2026
**प्रश्नकर्त्ता का नाम** :– माननीय विधायक श्री करनैल सिंह जी।

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :–

| क्र० सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | विधानसभा क्षेत्र शकुरबस्ती के अंतर्गत कहाँ–कहाँ पर सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी हुई है, उसका पूरा विवरण दें; | शकुरबस्ती विधान सभा के सभी गांव 1963 में शहरीकृत हो गए थे और जमीन के रिकॉर्ड डीडीए को स्थानांतरित कर दिया गए थे। |
| (ख) | शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने उक्त जमीन को कहाँ–कहाँ किस–किस विभाग को किस–किस उद्देश्य के लिए आवंटित किया हुआ है; | |
| (ग) | सरकार ने अपनी इन जमीनों की सुरक्षा, रख रखाव एवं अवैध कब्जों से बचाने के लिए किस–किस भूखंड की चारदीवारी की हुई है तथा शेष भूखंड की चारदीवारी कब तक कर ली जायेगी; | |

| | | |
|---|---|---|
| (घ) | स्रकार उस आवंटित जमीन पर कब तक अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेगी; | इस संदर्भ में राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। |
| (ड़) | क्या शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीतमपुरा के रोड नम्बर 42 पर रबाडा होटल के साथ कोई सरकारी भूमि है; | |
| (च) | यदि हाँ, तो क्या इस जमीन पर दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार ने कोई निर्माण करवाया हुआ है; | |
| (छ) | यदि नहीं, तो क्या इस सरकारी जमीन पर किसी विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है; और | |
| (ज) | यदि हाँ, तो सरकार इस सरकारी जमीन पर से अवैध निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है और इस सरकारी जमीन को कब तक अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया जायेगा? | |

53/

# शहरी विकास विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
## 9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री जरनैल सिंह
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्रश्न संख्या व डायरी संख्या : प्रश्न सं. 160 डायरी सं. 08 / 04 / 36
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | दिल्ली में तहबाजारी लगाने के संबंध में नगर निगम दिल्ली (एम.सी.डी) की वर्तमान नीति क्या है कृपया तहबाजारी की अनुमति अवधि स्थान चयन, संख्या निर्धारण तथा नवीनीकरण से संबंधित नीति का विस्तृत विवरण दिया जाए, | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत तहबाजारी लगाने के संबंध में विस्तृत जानकारी स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम 2007 में दी गई है, जिसकी प्रति **अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 आने के उपरान्त पुरानी स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम 2007 स्वतः निरस्त होने के उपरान्त वर्तमान में स्ट्रीट वेंडर रूल 2017 एवं स्ट्रीट वेंडिग स्कीम 2019 के तहत पथ विक्रेताओं का सर्वे जारी है और सर्टीफिकेट ऑफ वेंडिग जारी करने के उपरान्त मदतदाता सूची बनाकर नई टाउन वेंडिग कमेटी का गठन किया जायेगा, जोकि वेंडिग / नोनवेंडिग जोन निर्धारित करे रेहडी पटरी वालों को वेंडिग लाईसेंस प्रदान करेगी। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, वेंडर रूल 2017 एवं स्ट्रीट वेंडिग स्कीम 2019, निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है। |
| ख | वर्तमान में दिल्ली में नगर निगम दिल्ली द्वारा अनुमोदित कितनी तहबाजारी संचालित की जा रही हैं, तहबाजारी का स्थानवार विवरण, प्रत्येक स्थल पर कुल स्वीकृत रेहडी–पटरी की संख्या, तथा उन्हें किस आधार पर वैध मान्यता प्रदान की गई, इसका विस्तृत विवरण दिया जाएं, | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** आनॅलाईन तहबाजारी रिकार्ड के अनुसार कुल 12691 तहबाजारी निगम द्वारा स्वीकृत है। |
| ग | तहबाजारी का संचालन नियमों एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी द्वारा क्या–क्या कदम उठाए जाते हैं, इस संबंध में निगरानी तंत्र, निरीक्षण प्रकिया तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया जाए, | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** तहबाजारी का संचालन नियमों एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए 12 क्षेत्रीय लाईसेंसिंग विभाग हैं क्षेत्रीय लाईसेंसिंग निरीक्षकों द्वारा तहबाजारी का संचालन नियमों एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। |
| घ. | पिछले 5 वर्षों में दिल्ली की विभिन्न तहबाजारियों में नियमों के खुलेआम उल्लंघन से संबंधित एमसीडी को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वर्षवार प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का तहबाजारीवार विस्तृत विवरण दिया जाए, | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** तहबाजारी से सम्बन्धित शिकायतें दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में प्रायः प्रेषित नहीं की जाती हैं। तहबाजारी के नियमों का उल्लंघन / अतिक्रमण करने वाले वैंडरों के विरूद्ध शिकायतों का निवारण सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है। |
| ड. | क्या यह सत्य है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद अनेक तहबाजारियों में गैस सिलेंडरों का खुलेआम एवं असुरक्षित उपयोग | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–** न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जा रहा है तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है। |

J. P. MEENA
Dy. Secretary

52/c

| | | |
|---|---|---|
| | किया जा रहा है, | |
| च. | यदि हां, तो पिछले पॉच वर्षों में ऐसे उपयोग को रोकने के लिए एमसीडी द्वारा क्या—क्या कदम उठाए गए हैं तथा उन कदमों के क्या परिणाम निकले, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए, | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः—</u>**<br>तहबाजारी के नियमों का उल्लंघन / अतिक्रमण करने वाले वैंडरों के विरूद्ध समय—समय पर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है। |
| छ. | क्या एमसीडी के बायलॉज के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में बने शॅपिंग मॉल और अस्पतालों के अन्दर पार्किंग में भी वाहन खडे करने पर पार्किंग शुल्क लेने का प्रावधान है, | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः—</u>**<br>बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार स्वीकृत पार्किंग क्षेत्र में केवल वाहन ही खडे किए जा सकते हैं, बिल्डिंग बायलॉज में स्वीकृत पार्किंग क्षेत्र के अन्दर वाहन खडे करने के लिए पार्किंग शुल्क लेने या ना लेने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। |
| ज. | क्या पश्चिमी दिल्ली में सुभाष नगर स्थित पैसिफिक मॉल में पिछले कुछ सालों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः—</u>**<br>**(ज) एवं (झ)**<br><br>वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पैसिफिक मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। |
| झ. | यदि नही तो क्या इस पैसिफिक मॉल में आज की तिथि में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, | |
| ण. | यदि हां, तो एमसीडी बायलॉज के विरूद्ध जाकर पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति एमसीडी द्वारा दिए जाने के क्या कारण है, | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः—</u>**<br>माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.2023 के आदेशानुसार पैसिफिक मॉल को पुनः पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी प्रति **अनुलंग्नक 'ख'** पर संलग्न है। |
| ट. | इस अनुमति को वापस लेने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः—</u>**<br>माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2023 के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.04.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। प्रतिलिपि **अनुलंग्नक 'ग'** पर संलग्न है। |
| ठ. | एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शॅपिंग माल और अस्पतालों में खड़े किए जाने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लेने का क्या प्रावधान है प्रत्येक शॅपिंगमाल और अस्पताल के सन्दर्भ में अलग—अलग पूर्ण विवरण दें ? | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः—</u>**<br>दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले शॉपिंग मॉल एवं अस्पतालों में पार्किंग की व्यवस्था मास्टर प्लान दिल्ली—2021 तथा दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उपविधि, 2016 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है। कुछ शॉपिंग मॉल एवं अस्पतालों द्वारा पार्किंग शुल्क वसूले जाने के संबंध में संज्ञान में आने पर भवन विभाग द्वारा संबंधित परिसरों को नोटिस जारी किए गए थे। उक्त नोटिसों के विरूद्ध संबंधित प्रबंधनों द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गई। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा एल.पी.ए. 130 / 2020 और सी.एम.अपील 9216 / 2020, 9219 / 2020, 1145 / 2021 तथा 47364 / 2023 के मामलों में सभी पक्षों को सुनने के उपरान्त याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. (संख्या 10899 / 2024) दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.04.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। |

J. P. MEENA
Dy. Secretary

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री नीरज बसोया
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–161** व 08/4/56

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| कं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यह सत्य है कि कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में अनेक व्यावसायिक संपत्तियों द्वारा संपत्ति कर के बकाया का भुगतान अब तक नहीं किया गया हैं ; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** जी हाँ, कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ व्यावसायिक संपत्तियों द्वारा संपत्ति कर का भुगतान समय पर नहीं किया गया है। |
| ख | यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों की बकाया राशि और उनका विवरण क्या है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** वर्ष 2025–26 में इस क्षेत्र की लगभग 156 सम्पत्तियों पर लगभग 5103913/– राशि बकाया है। |
| ग | क्या इन बकायेदार व्यावसायिक संपत्तियों को विभिन्न अवसरों पर एमसीडी द्वारा संपत्ति कर भुगतान हेतु नोटिस जारी किए गए थे; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** (ग) एवं (घ) जी हाँ, बकायेदार व्यावसायिक संपत्तियों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अतंर्गत समय–समय पर मांग नोटिस जारी किए गए है। इस वर्ष क्षेत्र में लगभग 375 नोटिस जारी किये गए हैं, जिनमें से 156 सम्पत्तियों से कर वसूली की कार्यवाही प्रकियाधीन है। |
| घ | यदि हाँ, तो कितनी संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए और इसके पश्चात कितनी संपत्तियों द्वारा अब तक कर भुगतान नहीं किया गया ; | |
| ड | क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी द्वारा संपत्ति कर की वसूली सुनिश्चित करने तथा एमसीडी को राजस्व हानि से बचाने हेतु कर न चुकाने वाली संपत्तियों को कुर्क/सील करने से संबंधित नियम बनाए गए हैं; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** (ड) एवं (छ) ऐसी सम्पत्तियों पर समय–समय पर कार्यवाई की जाती है। तथा इस वर्ष भी एम.सी.डी द्वारा ऐसी सम्पत्तियों को कर जमा करने हेतू SUNIYO Scheme 2025–2026 लाई गयी है तथा इसके अतंर्गत क्षेत्र में प्रचार भी किया जा रहा है। संबंधित संपत्तियों के विरूद्ध कुर्की/सीलिंग की कार्रवाई एम.सी.डी अधिनियम 1957 के नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। |
| च | यदि हाँ, तो कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक ऐसी संपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; | |
| छ | उक्त संपत्तियों के विरूद्ध कुर्की/सीलिंग की कार्रवाई कब तक की जाएगी; | |
| ज | क्या यह भी सत्य है कि कुछ व्यावसायिक संपत्तियों ने एमसीडी एवं कर संग्रह अधिकारियों की मिलीभगत से स्वयं को आवासीय संपत्ति दर्शाकर कर जमा किया, जिससे एमसीडी को करोड़ों रूपये का राजस्व नुकसान हुआ; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** (ज) से (ठ) संपत्ति कर से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है। |
| झ | यदि हाँ, तो क्या इस संबध में कोई जांच कराई गई है; | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| ण | यदि हाँ, तो जांच की वर्तमान स्थिति एवं निष्कर्ष क्या हैं; | |
| ट | यदि नही तो क्या इस गंभीर मामले पर दिल्ली नगर निगम कोई जाँच कराने पर विचार कर रहा है, और | |
| ठ | यदि हाँ, तो क्या जाँच किन अधिकारियों द्वारा और कब तक पूरी कर ली जाएगी? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री नीरज बसोया
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–162** व 08/4/57

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान कस्तूरबा नगर विधानसभा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLALAD) के अंतर्गत कितने कार्यों के लिए कायदिश जारी किए गए हैं, प्रत्येक कार्य का विवरण, स्वीकृत राशि, वर्तमान स्थिति तथा पूर्णता की समय-सीमा क्या है; | **एमएलएलैड शहरी विकास विभाग :–** सूची संलग्न (अनुलग्नक ए व बी) |
| (ख) उक्त कार्यों के अंतर्गत अब तक किए गए आंशिक अथवा पूर्ण भुगतानों का विवरण क्या है; | |
| (ग) क्या यह सत्य है कि कुछ कार्यों में बिना कार्य पूर्ण हुए अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य न होने के बावजूद पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान किया गया; | **एमएलएलैड शहरी विकास विभाग :–** एमएलएलैड दिशा–निर्देशों के अनुसार विकास कार्य की स्वीकृति के साथ कार्यकारी एजेंसी को पहली किश्त जारी की जाती है । टेंडर करने के बाद कार्यकारी एजेंसी के आग्रह पर दूसरी किश्त भी जारी की जाती है । कार्यकर्ता एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ शहरी विकास विभाग में जमा किया जाता है । जिसके आधार पर अंतिम किश्त का भुगतान कार्यकर्ता एजेंसी को किया जाता है ।<br>इस तरह का कोई भी कार्य अभी तक संज्ञान में नहीं आया है । |
| (घ) यदि हाँ, तो ऐसे कार्यों का विवरण क्या है और इसके लिए कौन अधिकारी/एजेंसी उत्तरदायी है; | लागू नहीं । |
| (ड) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; | |
| (च) यदि हाँ, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और | |
| (छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी जांच गठित करने पर विचार कर रही है? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री संदीप सहरावत
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–163** व 08/4/110

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | मटियाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले पॉच वर्षों में कितनी धनराशी विभिन्न विकास कार्यों हेतु आवंटित (Allot) की गई है, वर्षवार एवं कार्यवार विवरण दिया जाए: | **एमएलएलैड (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>एमएलएलैड तथा एमएसपीवाई योजना के अन्तर्गत मटियाला विधानसभा में 2021–22 से 2024–25 तक स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण संलग्न है (अनुलग्नक 'क') । वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण किसी भी विधानसभा में एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था ।<br><br>**अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>शहरी विकास विभाग के अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो को पूरा करने के लिए कार्यकारी एजेंसीयों को एक मुश्त राशि अधिकृत की जाती है। इस वित्तीय वर्ष मटियाला विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए डी.एस.आई.आईडी.सी. को रुपये 20 करोड़ re-allocate किये गए हैं । पिछलें पॉच वर्षों में एजेंसी द्वारा फण्ड वितरित किया गया है। यह मामला डी.एस.आई.आईडी.सी. और आई. एण्ड एफ सी विभाग से संबंधित है।<br><br>**डी.एस.आई.आई.डी.सी. के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>मटियाला विधानसभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में यूडी विभाग द्वारा डी.एस.आई.आईडी.सी. के पत्र कमांक संख्या No. F1/CI/DCI/ Policy/460/2022/ dated 06.11.2025 रुपये 20 करोड़ की धनराशि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य हेतु आवंटित की गई है। पत्र संलग्न है । |
| ख | I&FC Department द्वारा मटियाला विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितना बजट आबंटित किया गया है, और | **एमएलएलैड (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में मटियाला विधान सभा के अन्तर्गत अनाधिकृत कॉलोनी में दो विकास कार्यों के लिए आई. एण्ड एफ सी विभाग को 67.16 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है (अनुलग्नक 'ख')।<br>**अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>यह कॉलोनी डी.एस.आई.आई.डी.सी. को स्थानांरण हो गई है । |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| ग | मटियाला विधानसभा क्षेत्र की जिन कॉलोनियों को Urban Development (UD) की श्रेणी से हटाया गया है, उन्हें पुनः शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है ? | <u>अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u><br>ऐसा कोई मामला अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के संज्ञान में नहीं हैं । |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

माननीय विधायक का नाम : श्री मनोज कुमार शौकीन
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–164** व 08/4/120

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्रं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या यह सत्य है कि वर्तमान में दिल्ली में स्ट्रीट डॉग की सटीक संख्या, उनके टीकाकरण एवं नसबंदी की उद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण रैबीज नियंत्रण में कठिनाई आ रही है। | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या का सर्वे नही कराया गया है।<br><br>पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार दिल्ली नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों का बंध्याकरण एवमं रैबीज रोधी टीकाकरण गैर सरकारी सस्थांओं के माध्यम से 20 बंध्याकरण केन्द्रो पर किया जा रहा है।<br>पिछले पांच वर्षो में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण एवमं रेबीज रोधी टीकाकरण का विवरण निम्नप्रकार है।<br><br>**कम संख्या** / **वित्तीय वर्ष** / **आवारा कुत्तों का बंध्याकरण एवमं रेबीज रोधी टीकाकरण की संख्या**<br>1 / 2021-22 / 91326<br>2 / 2022-23 / 57076<br>3 / 2023-24 / 79959<br>4 / 2024-25 / 131137<br>5 / 2025-26 (Nov, 2025 rd) / 68408 |
| ख) | यदि हाँ तो क्या सरकार माइक्रोचिपिंग प्रकिया के माध्यम से एक बार पूरी दिल्ली के सभी स्ट्रीट डॉग का डेटा कलेक्शन कर यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि कितने कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी हो चुकी है तथा कितने अभी शेष हैं | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आवारा कुत्तों का Vaccination करता है। दिल्ली नगर निगम Microchip लगाकर बंध्याकरण एवं रैबीज टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए टेडर प्रकिया पर कार्य कर रहा है। |
| ग) | क्या सरकार का इस अभियान को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), एनिमल वेलफेयर संगठनों एवं डॉग लवर्स के सहयोग से व्यापक जन–जागरूकता एवं कैंपेनिंग कार्यक्रम के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव है। | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>दिल्ली नगर निगम द्वारा गैर सरकारी संस्थान (NGOs) के माध्यम से समय–समय पर रैबीज रोधी टीकाकरण एवं जागरुकता अभियान चलाया जाता है। जिसमे सम्बधित क्षेत्र आर. डब्लू. ए. तथा अन्य लोगो को शामिल किया जाता है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| घ) | क्या सरकार रेबीज के मामलों की रिर्पोटिंग हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर विचार कर रही है, जिससे नागरिक समय पर सूचना दे सकें, और | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–</u>**<br>दिल्ली नगर निगम के पास कुत्तों के काटने की शिकायत के लिए हेल्प लाईन 155305 उपलब्ध है । |
| ड़ | क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली ''जीरो डेथ रैबीज कैपिटल'' बनाने का लक्ष्य घोषित होने के बावजूद दिल्ली में वर्तमान में एक भी समर्पित रेबीज टैस्ट लैब उपलब्ध नहीं है? | **<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–</u>**<br>रैबीज टेस्ट के लिए NCDC के पास लैब उपलब्ध है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : सुश्री आतिशी
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्रश्न संख्या व डायरी संख्या : प्रश्न सं. 165 डायरी सं. 08/04/156
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यह सत्य है कि चालू वित्त वर्ष में शहरी विकास विभाग द्वारा Unauthorised कॉलोनियों के विकास हेतु विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को वित्तीय फण्ड/अनुदान आवंटित किए गए हैं। | **शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–**<br>जी हॉ। |
| ख | यदि हॉ, तो विधानसभा–वा विवरण दिया जाए कि किस क्षेत्र को कितनी राशि स्वीकृत एवं जारी की गई, | **शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–**<br>निर्वाचन क्षेत्रवार सूचि संलग्न है। डीएसआईआईडीसी की सूची अनुलंग्नक–'ए' तथा आई एण्ड एफ सी की सूची अनुलंग्नक–'बी' पर है। |
| ग | चलू वित्त वर्ष में Unauthorised कॉलोनियों के विकास से संबंधित कुल कितने प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को प्राप्त हुए, ये प्रस्ताव किन–किन विधानसभा क्षेत्रों से तथा किन–किन विभागों/ एजेंसियों के माध्यम से भेजे गए थे, | **शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–**<br>अनाधिकृत कॉलोनी शाखा, शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यकारी एजेंसियों को एकमुश्त राशि अधिकृत (Authorize/Allocate) करता है। चालू वित्त वर्ष में Unauthorised कॉलोनियों के विकास से संबंधित कुल 38 प्रस्ताव/पत्र एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें I&FC के द्वारा 14 (AC- 01, 03, 06, 07, 8, 9, 10, 11, 31, 36, 49, 55, 64, 68 और DSIIDC के द्वारा 24 (AC- 70, 01, 05, 32, 60, 69, 46, 57, 61, 13, 07, 33, 37, 30, 31, 58, 47, 34, 53, 01, 60, 30, 32, 09) प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को प्राप्त हुए थे। |
| घ. | प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, कितने लंबित हैं तथा कितने अस्वीकृत किए गए विधानसभा–वार विवरण दिया जाये, और | **शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–**<br>38 प्राप्त प्रस्तावों में से कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 01 विचाराधीन हैं। किसी को भी अस्वीकृत नहीं किया गया है। |
| ड. | जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उनके अन्तर्गत किस प्रकार के विकास कार्य (जैसे सड़क, सीवर, जलापूर्ति, ड्रेनेज आदि) स्वीकृत किए गए तथा उनके लिए कितनी राशि स्वीकृत/व्यय की गई, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए? | **शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के द्वारा दी जानकारी के अनुसारः–**<br>अनाधिकृत कॉलोनी शाखा, शहरी विकास विभाग अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यकारी एजेंसियों को एकमुश्त राशि अधिकृत (Authorization) करता है। अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को कार्यकारी एजेंसियों, जैसे कि आई एंड एफ सी और डीएसआईआईडीसी द्वारा अपने–अपने स्तर पर स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाता है। |

J.P. MEENA
Dy. Secretary

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

# पर्यावरण विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002, दूरभाष : 011–23392306

**प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झां**
**प्रश्न संख्या : 166**
**डायरी संख्या : 8/4/171**
**प्रश्न : अतारांकित**
**दिनांक : 07.01.2026**

**क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें किः—**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क. | राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)के अंतर्गत दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम को अब तक कितनी कुल धनराशि प्राप्त हुई है, दिल्ली सरकार और डब्क को प्राप्त राशि का अलग–अलग विवरण दिया जाए; | राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत DPCC को प्राप्त हुई सम्पूर्ण धनराशि 100% रूप से MCD एवं NDMC को निर्गत की गई थी. जिसका विवरण **अनुलग्नक–'क'** में संलग्न है। |
| ख. | उक्त प्राप्त धनराशि में से दिल्ली सरकार एवं MCD द्वारा अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है तथा कितनी राशि अभी तक अनुपयोगी/अव्ययित पड़ी है– इसका विभागवार वितरण दिया जाए; | |
| ग. | जिन योजनाओं परियोजनाओं के लिए NCAP फंड का उपयोग किया जाना था, उनमें से कौन–कौन सी योजनाएँ दिल्ली सरकार एवं डब्क स्तर पर अभी तक प्रारंभ नहीं हो सकीं या अधूरी हैं, तथा इसके कारण क्या है; | |
| घ. | NCAP फंड के समुचित उपयोग न होने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से PM2.5 और PM10 स्तर के संदर्भ में इस संबंध में सरकार एवं MCD का आकलन क्या है; | इस संबध मे पर्यावरण विभाग राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कोई पृथक आकलन नहीं किया गया है |
| ड. | यह भी सत्य है कि NCAP के तहत स्वीकृत कई कार्य प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया, अंतर विभागीय समन्वय अथवा निर्णय में देरी के कारण लंबित हैं; | कुल निर्गत 81.34 करोड़ राशि मे MCD एवं NDMC द्वारा 14.09 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं / शेष राशि की UC दोनों विभागों से मांग की गई है। |
| च. | यदि हाँ,तो उसका विवरण दिया जाए, और | |
| छ. | दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुपयोगी पड़ी NCAP राशि के प्रभावी उपयोग हेतु आगे क्या कार्ययोजना, समयसीमा एवं निगरानी तंत्र निर्धारित किया गया है? | MCD और NDMC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि से किए जाने वाले कार्यों का विवरण **अनुलग्नक–'ख'** में दिया गया है। |

**MANISH CHANDRA VERMA, DANICS**
**Dy. Secretary, (Environment, Forest & Wildlife)**
**Govt. of NCT of Delhi**
**6th Level, C-Wing Delhi Secretariat, New Delhi-02**

सभी संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री कुलदीप कुमार
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–167** व 08/4/208

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | दिल्ली में कुल कितने अनुमोदित/लाईसेंसधारी स्लाटर हाउस (salughter house/abattoirs) संचालित है। और उनकी सूची क्या है, प्रत्येक स्लाटर हाउस का पूरा पता, क्षमता, और लाईसेंस जारी करने वाली प्राधिकारी का विवरण प्रस्तुत करे, | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>**क, ख एवं गः–**<br>दिल्ली नगर निगम द्वारा Buffalo Traders Welfare Association V/s Union of India & Ors. (W.P.C. No. 3769/1996) के सन्दर्भ में माननीय उच्च्तम न्यायलय द्वारा दिनांक 14.07.2004 के आदेश के अनुपालन में गाजीपुर में एक स्लाटर हाउस की स्थापना की गई है जिसमें प्रतिदिन 15000 जानवरों को तीन पाली में स्लाटर करने की क्षमता है। गाजीपुर स्लाटर हाउस में प्रत्येक पाली में जानवरों को स्लाटर करने की क्षमता का विवरण निम्नलिखित है।<br>1. Halal (Sheep/goats) section 3000 sheep/goats per shift<br>2. Jhatka (sheep/goats) section 1500 sheep/goats per shift.<br>3. Buffalo Section 500 buffaloes per shift. |
| ख) | क्या कोंडली विधानसभा क्षेत्र (kondli) में कोई मान्यता प्राप्त स्लाटर हाउस है, | |
| ग) | यदि हाँ, तो उनका नाम, स्थान, संचालन क्षमता और वह किस प्राधिकरण द्वारा लाईसेंस प्राप्त है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, | |
| घ) | स्लाटर हाउस के संचालन की जिम्मेदारी किस विभाग/संस्था के पास है, और क्या उसके संचालन के लिए किसी निजी एजेंसी/कॉन्ट्रैक्ट के तहत अनुबंध (contract/ppp) किया गया है। | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>**घ एवं ङः–**<br>दिल्ली नगर निगम द्वारा गाजीपुर स्लाटर हाउस का संचालन M/s Qureshi Intl. DS-Max-FNF Consortium को जनवरी 2021 में दस साल के पटटे पर दिया गया है। इस सदंर्भ में उपरोक्त कंपनी के साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा (पूर्व में ईस्ट दिल्ली नगर निगम) किए गए अनुबंध की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' पर संग्लन है जिसमें नियम व शर्ते का भी विवरण है। |
| ङ) | यदि हाँ, तो संबंधित अनुबंध की कॉपी, उसके कार्यकाल, शुल्क/शर्तें, और निगरानी/जाँच तंत्र के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएँ, | |
| च) | उपरोक्त स्लाटर हाउस की सभी निरीक्षण रिर्पोट, लाईसेंस/प्रमाण–पत्र, और अनुपालन दस्तावेजों की प्रतियॉं उपलब्ध कराई जाए, और | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्लाटर हाउस और रेन्डरींग प्लांट की मशीनरी का निरीक्षण जून 2017 में National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) से कराया गया था जिसकी रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' संग्लन है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| छ) | क्या ये स्लाटर हाउस लाईसेंस प्राप्त करने के सभी मानक को पूरा करते है? | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः—** इस स्लाटर हाउस के संचालन के लिए DPCC द्वारा समय समय पर certificate जारी किया जाता है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री राजकुमार भाटिया
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–168 व** 08/4/219

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या आजादपुर मंडी में सड़ी-गली सब्जियों के नाले में फेंके जाने के कारण नाले नालियों के बंद होने की समस्या के लिए तत्काल सर्वेक्षण व सुधारात्मक प्रणाली लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है; और | लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>जी हॉ, सुधारात्मक प्रणाली लागू किए जाने की आवश्यकता है।<br><br>दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>मंडी परिसर के अन्दर नालियों का सर्वेक्षण व सफाई नियमित रूप से की जाती है । वर्ष 2025 में मंडी में सफाई को लेकर 542 चालान जारी किये गए हैं। |
| ख | उक्त समस्या के कारण क्षेत्र में होने वाले जल जमाव व गंदगी की समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, विवरण दें। | लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>आजादपुर मंडी क्षेत्र में आम जन द्वारा सड़क किनारे बनी नालियों में सड़ी-गली सब्जियाँ, मुर्गा मंडी का कूड़ा-कचरा तथा अदरक लहसुन की धुलाई से उत्पन्न अवशेष सीधे नालियों में फेंके जा रहे हैं,जिसके कारण नालियाँ बार-बार चोक हो जाती हैं और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कंसल्टेंट के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर प्रीकास्ट डेनेज सिस्टम लगाए जाने हेतु विस्तृत अनुमान तैयार किया गया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।<br><br>दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>मंडी क्षेत्र के अन्दर नियमित सफाई की जाती है तथा जल भराव रोकने हेतु अतिरिक्त पम्पो की व्यवस्था की जाती है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री सतीश उपाध्याय
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–169 व** 08/4/283

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | दक्षिण दिल्ली जिले में, विशेषकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण तथा अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न यातायात जाम के हॉटस्पॉटों की स्थानवार सूची प्रदान करें? | <u>लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u><br>दक्षिण दिल्ली जिले के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण तथा अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के कारण यातायात जाम के निम्नलिखित हॉटस्पॉट है :-<br>-मैक्स अस्पताल, साकेत के सामने युसुफ सराय मार्केट<br><u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u><br>सड़को पर से अस्थाई अतिक्रमण हटाना एक निरंतर प्रकिया है । दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत, विशेष रूप से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, अस्थाई अतिक्रमण तथा अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधयों हटाने हेतु की गई कार्रवाई की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है ।<br>सड़को पर अवैध पार्किंग के कारण या अन्यथा लगने वाले यातायात जाम से संबंधि तमामले दिल्ली यातायात पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते है ।<br>मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाली सड़कों पर किसी भी प्रकार का स्थाई अतिकमण (permanent Encroachment) के कारण जाम की कोई स्थिति विदयमान है। |
| ख | क्या यह सत्य है कि साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के आसपास का क्षेत्र, जो श्री अरबिंदो मार्ग से यूसुफ सराय मार्केट तक फैला हुआ है,दक्षिण दिल्ली के सर्वाधिक यातायात जाम व दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में से एक है, यदि हां तो? | <u>लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u><br>जी हाँ, यह सत्य है की युसुफ सराय मार्केट के आसपास का क्षेत्र यातायात जाम और दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में यातायात जाम के कारणों में अवैध पार्किग और अतिक्रमण शामिल है। |
| ग | इस क्षेत्र में यातायात जाम और सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में यातायात पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से क्या कोई अल्पावधि व दीर्घकालिक योजना बनाई गई है, विवरण दें? | <u>लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u><br>यातायात जाम और सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और गाडियों की पार्किंग के लिए डायग्रल मार्किंग की गई है।<br><u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u><br>दिल्ली नगर निगम दक्षिणी क्षेत्र सामान्य शाखा द्वारा यातायात पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग के सहयोग से समय–समय पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने के हेतु निरंतर कार्यवाही की जाती है । |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| घ | क्या यह सत्य है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री अरविंदो मार्ग पर एक त्रुटिपूर्ण यू टर्न के कारण न केवल दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि यातायात भी गलत दिशा में चला जाता है, इसके लिए यूटर्न को हटाने, उसे नए सिरे से बनाने जैसे क्या यह सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? | लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– इस स्थान पर होने वाली दुर्घटना की जानकारी लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध नहीं है। इससे सम्बंधित समस्याओं में सुधार के लिए सम्बंधित स्टेक होल्डर्स जैसे युटीटीपैक, दिल्ली पुलिस, एमसीडी इत्यादि के साथ जोइंट इंन्सपैक्शन के लिए 09.01.2026 को मीटिंग बुलाई गई है। तदानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

संलग्नक नेवा वेबसाइट https://dla.neva.gov.in/ में Question Module पर उपलब्ध।

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री अनिल झा
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–170 व** 08/4/292

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्रं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या यह सत्य है कि लगभग 9 लाख की जनसंख्या वाली किराड़ी विधानसभा में शहरी विकास से जुड़ी मूलभूत सुविधाएँ अत्यंत अपर्याप्त है, | **क से झ** पूरा विवरण एकत्रित किया जा रहा है । पूर्ण जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा । |
| ख) | क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अनेक कॉलोनियों में सड़कें, नालियाँ, सीवर लाइनें, फुटपाथ एवं स्ट्रीट लाइटें या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा जर्जर अवस्था में है, | |
| ग) | क्या यह भी सत्य है कि बरसात के मौसम में किराड़ी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव एवं गंदगी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, जिससे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, | |
| घ) | शहरी विकास विभाग द्वारा किराड़ी विधानसभा में पिछले पाँच वर्षो में कितनी विकास परियोजनाएँ स्वीकृत की गई तथा उनमें से कितनी परियोजनाएँ अब तक पूर्ण, प्रगति एवं लंबित है, | |
| ड़) | क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा में कई विकास कार्य स्वीकृती के बावजूद प्रारंभ नही हुए अथवा अधूरे छोड़ दिए गए है, | |
| च) | यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/एजेंसियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, | |
| छ) | क्या किराड़ी विधानसभा को उसकी जनसंख्या एवं आवश्यकताओं के अनुपात में पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, | |
| ज) | किराड़ी विधानसभा के समग्र विकास हेतु विशेष शहरी विकास योजना/ विशेष पैकेज तैयार करने पर विचार कर रही है, और | |
| झ) | यदि हाँ, तो उक्त योजना को लागू किए जाने की समय–सीमा क्या है? यदि नही, तो क्या कारण है? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

# शहरी विकास विभाग
## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री सूर्य प्रकाश खत्री
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–171 व** 08/4/307

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या सत्य है कि दिल्ली नगर निगम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृति तथा विगत कई वर्षो से उनके रिक्त पदों पर नई भर्तियॉ न होने से सफाई कर्मचारियों की भारी संख्या में कमी है, जिससे सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है ; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** वर्तमान मे कुल कार्यरत सफाई कर्मचारियों (नियमित, दैनिक वेतन भोगी, एवजीदार एवं पीसमील) की संख्या 61154 हैं। निगम की कोशिश है, सभी सफाई कर्मी नियमित तथा लगन से काम करें, ताकि अनुपस्थित रहने की समस्या पर लगाम लग सके। |
| ख | यदि हाँ, तो क्या सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकारी ने कोई ठोस एवं समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** वर्तमान में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कोई योजना नही है क्योंकि संशोधित भर्ती विनियम की प्रकिया जारी है। |
| ग | क्या सरकार की संविदा आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की कोई योजना है; | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** (ग) से (ड) संविदा के आधार पर कोई सफाई कर्मचारी कार्य नही कर रहे है केवल नियमित, दैनिक वेतन भोगी, एवजीदार एवं पीसमील सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे है। |
| घ | यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दें; और | |
| ड | सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एवं प्रस्तावित कदमों का पूर्ण विवरण दें? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री अशोक गोयल
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–172 व** 08/4/339

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| कं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधान सभा में दिल्ली नगर निगम की कई सड़कों पर ड्रैन नहीं है, | दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br><br>क से ड़<br>मॉडल टाउन विधानसभा के अन्तर्गत आने वाली दिल्ली नगर निगम की सभी सड़कों पर ड्रैनेज सिस्टम की व्यवस्था है। |
| ख | यदि, हॉं, तो ऐसी सड़कों की सूची मुहैया करवाए, | |
| ग | इन सड़कों पर बरसात या अन्य समय में बहने वाले पानी से सीवर जाम होने की समस्या से निपटने के लिए विभाग का एक्शन प्लान क्या है, | |
| घ | क्या यह समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने टाईम लाईन के साथ कोई योजना बनाई है और | |
| ड | यदि हॉं, तो विस्तृत जानकारी मुहैया कराए ? | |

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**शहरी विकास विभाग**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार**
**9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.**

मान्नीय विधायक का नाम : श्री अशोक गोयल
दिनांक : 07.01.2026
अतारांकित प्र. स. व डायरी संख्या : **प्र.स.–173 व** 08/4/342

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>कं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>1 जनवरी, 2015 से लेकर अब तक दिल्ली नगर निगम में वार्ड संख्या 67, 68 व 69 में कितने अवैध निर्माण हुए, उसका वर्ष अनुसार जानकारी दें;</td><td>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>अधिसूचना दिसम्बर 2022 के अनुसार वार्डो के नाम व नंबर परिसीमन मे बदलाव किये गये है जिसमे की वार्ड नंबर 67, 68 व 69 भी सम्मलित है। उपलब्ध लेखानुसार वार्ड संख्या 67, 68 व 69 में निम्नलिखित सम्पतियों को चिन्हित कर धारा 344(1) & 343 DMC अधिनियम के अतंर्गत बुक किया गया है:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वार्ड (67)</th><th>वार्ड(68)</th><th>वार्ड(69)</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>06</td><td>29</td><td>18</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>06</td><td>38</td><td>18</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>03</td><td>14</td><td>21</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख</td><td>इन अवैध निर्माण में से कितनों को गिराया गया व कितनों को सील किया गया इसकी भी वार्ड अनुसार विस्तृत जानकारी दें;</td><td>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>वार्ड संख्या 67, 68, 69 में रिकॉर्ड अनुसार तोड़–फोड़ व सीलिंग की कार्यवाही निम्नलिखित हैः–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कार्यवाही</th><th>वार्ड(67)</th><th>वार्ड(68)</th><th>वार्ड(69)</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>तोड़ फोड़</td><td>5</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>तोड़ फोड़</td><td>5</td><td>24</td><td>13</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>तोड़ फोड़</td><td>1</td><td>04</td><td>03</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>कार्यवाही</th><th>वार्ड(67)</th><th>वार्ड(68)</th><th>वार्ड(69)</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>सील</td><td>01</td><td>02</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>सील</td><td>01</td><td>10</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>सील</td><td>01</td><td>01</td><td>04</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग</td><td>सील की गई संपत्तियों में से कितनी संपत्तियों को डी–सील किया गया व किस आधार पर किया उसकी भी जानकारी दें;</td><td>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>किसी भी सम्पत्ति को स्थायी रूप से डी सील नही किया गया है।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>उपरोक्त अवैध निर्माण में कितनों को आंशिक रूप से तोड़ा गया व कितनों को पूर्णता तोड़ा गया इसकी भी जानकारी दें;</td><td>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>कुल 3 वार्डो में 78 सम्पत्ति को आंशिक रूप से तोड़ा गया और 3 सम्पत्ति को पूर्णता तोड़ा गया है।</td></tr>
<tr><td>ड</td><td>जिन संपत्तियों पर सील व डिमोलिशन एक्शन हुआ उन्हें पुनः न बनाने देने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की होती है;</td><td>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>संबंधित कनिष्ठ अभियंता और संबंधित थाना अध्यक्ष।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>क्या सील की गई या डिमोलिश की गई संपत्ति के पुनःनिर्माण से संबंधित कोई शिकायत विभाग के पास आई;</td><td rowspan="2">दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–<br>(च) एवं (छ)<br>जब इस तरह की कोई शिकायत विभाग के पास प्राप्त होती है उस सम्पत्ति के विरूद्ध जाँच के बाद DMC ACT जे तहत उचित कार्यवाही की जाती है हालांकि उपलब्ध लेखानुसार इस तरह का कोई भी संकलन लेखा उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>छ</td><td>यदि हां, तो उन सभी शिकायतों का विवरण दें कि कितनी सील की गई या डिमोलिस की गई संपत्ति पर दोबारा कंस्ट्रकशन कर लिया गया;</td></tr>
</table>

From:
Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

| | | |
|---|---|---|
| ज | क्या यह सत्य है कि डिमोलिश की हुई अवैध संपत्तियों पर पुनः निर्माण की जानकारी होने के बावजूद विभाग द्वारा इसे रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई; और | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br><br>यह पूर्ण रूप से असत्य है। |
| झ | अवैध संपत्तियों के पुननिर्माण के संबंध में विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई, वार्डवार जानकारी दें? | **दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**<br>ऐसा कोई संकलन लेखा नहीं है (संबधित विभाग / सीनियर अधिकारी गलती मिलने पर कानूनानुसार उचित कार्यवाही करता है। |

From:
Dy. Secretary (D.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

**श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष:** सदन की कार्यवाही कल **11** बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(**सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 08 जनवरी,2026 को पूर्वाह्न**11** बजे तक के लिए स्थगित की गई)